खण्ड-129, अंक-7
गुरूवार, 29 माघ, शक संवत् 1875
(18 फरवरी, 1954 ई0)

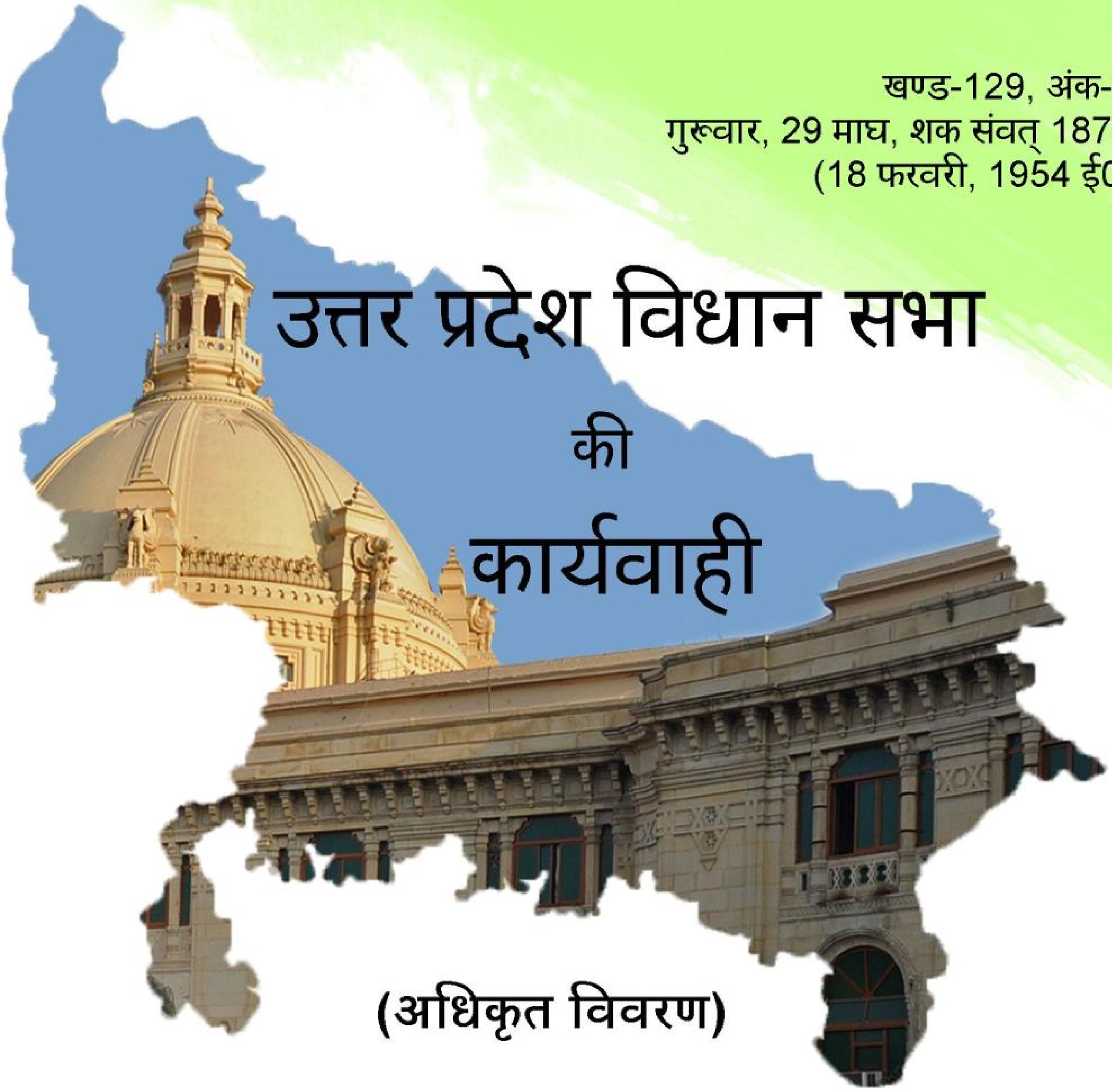

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 129 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १८ फरवरी, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५५

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशा लता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशी राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविंद वल्लभ पंत, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगन्नारायण, श्री,
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
डल्ला राम, श्री
डाल चन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाता राम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिंहा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री

बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मातल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बनो सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
मही लाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अंधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पांडेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
राम चरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
राम दास आर्य, श्री
राम दास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री

राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
राम बली मिश्र, श्री
राम भजन, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
राम राज शुक्ल, श्री
राम लखन, श्री
राम लखन मिश्र, श्री
राम वचन यादव, श्री
राम शंकर द्विवेदी, श्री
राम शंकर रविदासी, श्री
राम सनेही भारतीय, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
राम सुमेर, श्री
राम स्वरूप, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
राम हेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफ़ हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेख राज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ फाटजू, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिव राज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक संघ द्वारा प्रान्त व्यापी हड़ताल

*१--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार को ज्ञात है कि "उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक संघ" ने तमाम गन्ना उत्पादक किसानों से आगामी १ फरवरी से प्रान्त व्यापी हड़ताल करने की अपील की है ?

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)--जी हाँ, प्रेस द्वारा ज्ञात हुआ था ।

*२--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--अगर हाँ, तो क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस परिस्थिति को संभालने और गन्ना उत्पादकों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिये वह क्या कदम उठा रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक संघ के अतिरिक्त जो प्रस्ताव यू० पी० कोआपरेटिव केन यूनियन फेडरेशन ने गन्ना हड़ताल के विषय में १८ जनवरी, १९५४ को पास किया था उस सम्बन्ध में प्रादेशिक सरकार ने फेडरेशन और चीनी मिलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की जिसके फलस्वरूप ३१ जनवरी को फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने हड़ताल न करने का फैसला कर लिया था । इस सम्बन्ध में यह निश्चित हुआ है कि इस सीजन में और भविष्य में भी जो अधिक लाभ चीनी मिलों को प्राप्त हो उसमें से गन्ना उत्पादकों को भी उचित हिस्सा दिलाया जाय और इस मामले में एक उचित नियम बनाने के लिये शीघ्र ही एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया जाय ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस त्रिलीय सम्मेलन को बुलाने के लिए कोई तारीख निश्चित की है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--तारीख तो अभी निश्चित नहीं हुयी है क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी ने हड़ताल अभी जारी कर रक्खी है । पीसफुल एटमासफियर हो तब जा कर निश्चय हो सकता है ।

नोट--तारांकित प्रश्न १-२ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछे ।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि त्रिदलीय सम्मेलन में कौन कौन सी संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे ?

श्री हुकुम सिंह—यूनियन के फेडरेशन, चीनी मिलों के एसोसियेशंस और सरकार के प्रतिनिधि होंगे।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने कितने प्रतिनिधि इन संस्थाओं के और सरकार के इस कमेटी में होंगे ?

श्री हुकुम सिंह—यह अभी तै नहीं हुआ है कि कितने-कितने रिप्रेजेन्टेटिव्स होंगे।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलायेगी कि राज्य की कुछ राजनैतिक पार्टियों के लोग किसानों की गाड़ियों के सामने पिकेटिंग करते हैं जिससे किसानों का नुकसान हो रहा है ?

श्री हुकुम सिंह—जी हां।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि मिल मालिकों का साथ देने के लिये सरकार इस आंदोलन को कुचल रही है और उसने अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुयी हैं ?

श्री हुकुम सिंह—यह सही नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक इस आंदोलन में कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी प्रादेशिक सरकार ने कराई ?

श्री हुकुम सिंह—ठीक फीगर्स तो मालूम नहीं लेकिन माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं।

श्री सीता राम शुक्ल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह क्या उपाय कर रही है जिससे किसानों के सामने पिकेटिंग बन्द हो और उन बेचारों का नुकसान न हो ?

श्री हुकुम सिंह—अमनो-अमान कायम करने के लिये जहां गड़बड़ी होती है वहां सरकार दखल देती है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या उद्योग मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस त्रिदलीय सम्मेलन में सोशलिस्ट पार्टी का कोई सदस्य नहीं रहेगा तो फिर इस वजह से त्रिदलीय सम्मेलन को बुलाने में क्यों देर की जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह—मैंने पिछले प्रश्न के जवाब में बता दिया था कि पोसफुल एटमास-फियर हो जाय, उसी की वजह से देर हो रही है। आप हड़ताल रोक दीजिये। मैं सम्मेलन अभी बुलाऊं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना उत्पादकों ने किन-किन शर्तों पर हड़ताल स्थगित कर दी थी ?

श्री हुकुम सिंह—वही प्राफिट शेयरिंग वाला मजमून था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या उद्योग मंत्री को मालूम है कि किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिये केन कमिश्नर विभाग की सरकारी जीपों और गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया ?

श्री हुकुम सिंह—ये सब इल्जामात बेबुनियाद मालूम होते हैं।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—हड़ताल में जो गिरफ्तारियां हुयी हैं उसमें उस एरिया के किसान जिनका गन्ना है वे कितने गिरफ्तार हुए हैं?

श्री हुकुम सिंह—उनकी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुयी।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह यह जो सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं वह हड़ताल पर भी निर्भर करता है?

श्री हुकुम सिंह—जी नहीं, हड़ताल तो रोक दी गयी थी तब बुलाने का इरादा किया गया था।

*३-५—**श्री बाबू नन्दन** (जिला जौनपुर)—[२५ फरवरी, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

सामूहिक विकास योजना के लिए अमरीकी विशेषज्ञ तथा सामान

*६—**श्री लक्ष्मण राव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सामूहिक विकास (Community Project) योजना के सम्बन्ध में इस प्रदेश में कितने अमरीकन विशेषज्ञ किस किस पद पर काम कर रहे हैं तथा उनको कितना-कितना वेतन और एलाउन्स आदि दिया जा रहा है?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)—सामूहिक विकास योजना के सम्बन्ध में इस प्रदेश में अब कोई अमरीकन विशेषज्ञ इस समय काम नहीं कर रहा है।

*७—**श्री लक्ष्मण राव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सामूहिक विकास योजना के सम्बन्ध में उसने कोई सामान मंगाने के लिये अमरीका को आर्डर दिया है? यदि हां, तो किस किस सामान का तथा कितने रुपये का?

श्री फूल सिंह—सामूहिक विकास योजना के सम्बन्ध में जो सामान अमरीका से मंगाये जाने का आर्डर दिया गया है और उनके मूल्य की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४७६ पर)

श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिस सामान के लिए करीब सवा चौबीस लाख रुपये का आर्डर अमरीका को दिया गया है, क्या उसके लिए हिन्दुस्तानी तथा अन्य विदेशी फर्मों से टेंडर या कोटेशंस मांगे गये थे?

श्री फूल सिंह—जी नहीं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि वह सामान जो अमरीका से मांगा जा रहा है, इस देश में मिलता है या नहीं?

श्री फूल सिंह—यह तो मैं नहीं कहता कि सब यहां मिलता ही है या नहीं, लेकिन जो एग्रीमेंट है उसकी एक चीज यह है कि ऐसा सामान जो बाहर से आयेगा वह अमरीका से आयेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस एग्रीमेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया है उसके मुताल्लिक अमरीका से हमको विशेष रुपया इस कार्य के लिये मदद में मिला है?

श्री फूल सिंह---यह सामान मिलेगा।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी खास खास बातें क्या हैं ?

श्री फूल सिंह---वह एग्रीमेंट गवर्नमेंट आफ इंडिया और अमरीका के बीच में हुआ था। उसकी तो कई मर्तबा चर्चा हाउस में आ चुकी है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने जो एग्रीमेंट किया, उसके पहले प्रांतीय सरकार से उसकी टर्म्स के सम्बन्ध में कोई परामर्श किया था ? यदि हां, तो गवर्नमेंट यू० पी० ने क्या उस सिलसिले में गवर्नमेंट आफ इंडिया को राय दी थी ?

श्री फूल सिंह---इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका के अतिरिक्त और किसी विदेश से भी यह सामान मंगाया जायगा ?

श्री फूल सिंह---जी नहीं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो सवा चौबीस लाख रुपये का सामान अमरीका से मंगाया जा रहा है इसमें इस प्रांत का कितना रुपया सर्फ होगा ?

श्री फूल सिंह---मेरे खयाल में कोई सर्फा नहीं होगा।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एग्रीमेंट के मातहत यह जरूरी है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में जो सामान मंगाया जाय वह अमेरिका से ही मंगाया जाय ?

श्री फूल सिंह---यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो विकास योजना है उसमें एक चीज यह है कि कुछ सामान अमेरिका देगा, कुछ एड सेंटर देगा और कुछ प्रान्त देगा।

श्री दीनदयालु शर्मा---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सामान अमेरिका से आयेगा उसको इस्तेमाल करने को सिखाने के लिए भी कुछ अमेरिकन आदमी आयेंगे ?

श्री फूल सिंह---जी नहीं।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या यह बात सही है कि जो सामान अमेरिका से आ रहा है वह कहीं कम कीमत पर यूरोप के और बाजारों में मिल सकता है ?

श्री फूल सिंह---इसकी तो शायद कोई कीमत देनी नहीं पड़ेगी।

फेफना सुल्तान शुगर मिल्स, जिला बलिया पर गन्ने की बक़ाया कीमत

*८---श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार को विदित है कि जिला बलिया के अन्तर्गत फेफना सुल्तान शुगर मिल्स के जिम्मे अब भी १९५१-५२ की गन्ने की कीमत बाकी है ? यदि हां, तो कुल बाकी रकम कितनी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री---जी हां। १९५१-५२ सीजन के गन्ने के मूल्य के हेतु फेफना सुल्तान शुगर मिल्स के जिम्मे ४,९६२ रुपया २ आना ३ पाई बाकी है।

*९—श्री गंगा प्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि इस कीमत वसूली के सम्बन्ध में पारसाल सरकार को कोई प्रार्थना-पत्र भी दिया गया था ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी—जी हां । प्रार्थना-पत्र आने पर जिलाधीश बलिया ने मिल को शीघ्र मूल्य चुकाने की नोटिस दी । फिर भी मिल ने जब काश्तकारों का रुपया अदा नहीं किया तो मिल पर मुकदमा चलाने की आज्ञा दी गयी ।

*१०—श्री गंगा प्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपया कोई ऐसा प्रबंध करेगी जिससे किसानों को गन्ने की कीमत प्राप्त हो सके ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी—उपरोक्त मुकदमें के निर्णय होने के बाद किसानों को गन्ने का मूल्य दिलाने का प्रबंध किया जायगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ५२ और ५३ के सीजन का भी कुछ रुपया किसानों का मिल के ऊपर बकाया है ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिए नोटिस की जरूरत है ।

श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या जिन जिन किसानों का रुपया इस मिल पर बाकी है सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि इन किसानों को मालगुजारी में यह रुपया मिनहा करले और वसूलयाबी के बाद फिर रुपया काट कर किसानों को दिला दे ?

श्री हुकुम सिंह—ऐसा कानून नहीं हो सकता ।

श्री गंगा प्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि इस मुकदमें की कोई तारीख नहीं पड़ी थी, और मिल मालिक फरार हो गया और मिल को बन्द कर दिया ?

श्री हुकुम सिंह—फरार होने की बात नहीं मालूम । लेकिन स्टेआर्डर्स सेशन कोर्ट से हो गये थे ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को गन्ने की कीमत का सूद भी मिलों से दिलवाया जायगा ?

श्री हुकुम सिंह—जो इधर ऐक्ट पास हुआ है उसमें सूद का प्राविजन रखा गया है । उसे हमारे मित्र पढ़ लें ।

विलीन काशी राज्य की ओर से पहाड़ी निवासियों को सुविधायें

*११—श्री रामलखन (जिला बनारस)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलीन काशी राज्य की तरफ से वहां के पहाड़ी इलाके के निवासियों को कौन-कौन सी विशेष सुविधायें जंगल के सामानों के लेन-देन में प्राप्त थीं ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द बल्लभ पंत)—इसकी एक सूची (१) मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४७७ पर)

*१२—श्री रामलखन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वहां के निवासियों को पूर्ववत् सरकार से वही सुविधायें प्राप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द बल्लभ पंत—जी हां। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*१३—श्री रामलखन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चकिया तहसील, जिला बनारस में रिजर्व फारेस्ट कितने हैं और (ordinary forests) कितने हैं। क्या सरकार यहां के जंगलों की उन्नति की कोई योजना बना रही है ?

श्री गोविन्द बल्लभ पंत—तहसील चकिया में प्रायः सभी जंगल विलीन काशी राज्य की ओर से रिजर्व फारेस्ट घोषित हैं। इनको फिर से (Indian Forest Act, 1927) के अनुसार रिजर्व फारेस्ट घोषित करने की कार्यवाही हो रही है। इन जंगलों की उन्नति के लिये जो योजनायें कार्यान्वित हैं उनकी एक सूची (२) मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४७८ पर)

अतारांकित प्रश्न

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् वन विभाग द्वारा जनता को सुविधायें

*१—श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)—क्या वन विभाग के मंत्री सर्वसाधारण जनता के सुभीते के लिये विज्ञापन तथा अन्य साधनों द्वारा यह स्पष्ट रूप से घोषणा करेंगे कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के पश्चात् नवीन परिस्थिति में जनता को वन विभाग द्वारा क्या-क्या सुभीते दिये गये हैं ?

श्री गोविन्द बल्लभ पंत—सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं कि उन निजी जंगलों में, जो जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप सरकार में निहित हो गये हैं, जनता को वह सब सुविधायें दी जायं जो उन्हें जमींदारों से प्राप्त थीं। इस सम्बन्ध में कुछ जिलों में जांच-पड़ताल भी पूरी हो चुकी है। इसकी घोषणा के लिये किसी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। क्योंकि हर वन में गांव वालों के हक हकूक मुख्तलिफ होते हैं इसलिये कोई एक विज्ञापन जो सारे प्रदेश में लागू हो सके नहीं बनाया जा सकता।

सार्वजनिक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—मुझे अब एक सूचना देनी है। परसों श्री मदन मोहन उपाध्याय ने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट को पेश करने के सम्बन्ध में मेरे सामने प्रश्न रखा था। मैं अभी तक उसके विषय में अपनी निश्चित राय नहीं बना सका हूं। उसका कारण यह है कि अभी तक जो प्रथा यहां पर थी उसको बदलने का प्रश्न उसमें निहित था। मैंने यह उचित समझा कि सब जगह अन्य प्रांतों में भी एक ही प्रथा रहे तो ठीक होगा तो अन्य जगहों से राय मंगा लूं। अभी तक मेरे पास टेलीग्राम आते जा रहे हैं और केंद्रीय पार्लियामेंट से मेरे पास राय आ चुकी है। इस प्रकार की प्रथा बननी चाहिये कि जिस समय हमारे नियम बदल जायं उसके वह अनुकूल हो। इसी वास्ते यह प्रश्न पेश है कि पहले नियम अलग थे और अब नियम अलग हैं। कुछ प्रथायें सदस्यों ने अपने नियम के अनुकूल कायम की हैं। इसी प्रकार सब बातों पर विचार करके मैंने सोचा था कि यह बात भी तय करूंगा लेकिन अभी तक सब बातें मालूम नहीं कर सका हूं। इसलिए अब मैं इस सम्बन्ध में कल या परसों निश्चित अपनी राय यहां पर दे दूंगा।

सेक्सरिया शुगर मिल्स, बभनान की हड़ताल के सम्बन्ध में श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरी बात यह है कि श्री रामनारायण त्रिपाठी ने अभी मेरे आने के थोड़ी देर पहले एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है। मुझे यह मालूम हुआ कि वह गृह मंत्री जी से संबंधित है। वह अभी तक यहां पर नहीं आये तो उनकी बातचीत यहां पर नहीं हो सकती और कल अगर इस प्रश्न को उठा लिया जाय तो ठीक होगा ऐसा मुझे सुझाव मिला है। मैं इसको कल ले लूंगा। कल लेने के कारण जो देर होगी वह इस प्रस्ताव के लिये बाधक नहीं होती है। आज ही बाधक हो तो यह प्रश्न नहीं लिया जा सकता है लेकिन आज के बजाय कल लेने से जो देर हो वह देर बाधक नहीं होगी।

*उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

मैं इसके सम्बन्ध में कोई भाषण करना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि जो रिपोर्ट आयी है उसमें कोई उसूली संशोधन नहीं किया गया है। सब मामूली से किये गये हैं जिनके बारे में अभी कुछ नहीं कहना है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करते हुये कुछ आपत्तियों पर प्रकाश डालना अपना फर्ज समझता हूं। इसमें कुछ आपत्तियां हैं जिनसे मेरे खयाल में किसानों को लाभ नहीं होगा और उनसे नुकसान हो सकता है। जब आप बिल के अध्याय २ में.....

श्री अध्यक्ष---क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---विरोध नहीं कर रहा हूं। कुछ आपत्तियां बताना चाहता हूं। जो कमियां हैं.....

श्री अध्यक्ष---जिस समय संशोधन आवेंगे उस समय आप उनको पेश कर दें। आपके कुछ संशोधन भी हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---जी हां। प्रशासकीय मंडल में कहा गया है कि इसमें कृषि मंत्री, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त २ उपमंत्री अथवा सभासचिव भी होंगे। इस प्रकार ३ आदमी तो यही हो जावेंगे सरकार के। इस मंडल में वही आदमी सम्मिलित किये जावेंगे जो सरकार के इशारे पर चलने वाले होंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि २ उपमंत्री अथवा सभासचिव की उसमें क्या आवश्यकता है। कृषि मंत्री ही इतने शक्तिशाली होंगे कि सरकार को कोई कमी महसूस नहीं होगी। फिर जिला समिति में डिविजनल फारेस्ट आफिसर रखा गया है। बहुत से जिले ऐसे हैं जहां यह अफसर नहीं है।

श्री अध्यक्ष---यह बातें तो संशोधनों में आ जावेंगी। या तो आप विरोध करें या इस प्रस्ताव के लिये अमेंडमेंट दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इसमें कहा गया है कि लाभार्थियों से प्रतिकर वसूल किया जायगा। किसी किसान के खेत के पास बांध बनाया जाता है तो उससे सैकड़ों किसानों को लाभ होगा लेकिन प्रतिकर उसी किसान से वसूल करने की बात कही गयी है जिसके खेत में बांध बनाया जायगा। इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे.....

* प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक १५ फरवरी १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री अध्यक्ष---आप व्योरे में जा रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आपका कोई ऐसा संशोधन नहीं है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाय।

श्री चरण सिंह---रामसुन्दर जी असंगत बात कह रहे थे, आपने उन्हें कहने ही नहीं दिया। तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

परिभाषाएं

२---इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न होने पर:---

(१) 'लाभार्थी' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे या जिसकी भूमि को योजना के निष्पन्न होने के कारण परिणामस्वरूप लाभ होगा, और इसके अन्तर्गत गांव समाज भी है,

(२) 'मंडल' का तात्पर्य धारा ३ के अधीन स्थापित भूमि संरक्षण मंडल से है,

(३) 'कलेक्टर' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के अधिकारों और कर्त्तव्यों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त अथवा पदयुक्त करे,

(४) 'जिला समिति' का तात्पर्य धारा ५ के अधीन स्थापित जिला भूमि संरक्षण समिति से है,

(५) 'नियत' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(६) 'जिला भूमि संरक्षण अधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त अथवा पदयुक्त अधिकारी से है,

(७) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(८) 'निर्माण (work)' का तात्पर्य योजना के अधीन बनाये या खड़ा किये गये निष्पादित या किये गये (constructed, erected. performed or carried out) किसी सार्वजनिक उपयोगिता के निर्माण से है और इसके अन्तर्गत योजना के अधीन व्यवस्थित अथवा लगाये गये पशुचर (pasture) अथवा वन भी हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति में से शब्द 'जिसे या' निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, यह भूमि संरक्षण विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है। यह विधेयक आफीशियल एजेंसी द्वारा तो बनाया गया है लेकिन खर्चे का पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं रहता है इस ढंग से बनाया गया है। मेरा संशोधन प्रथम पंक्ति में है जो इस प्रकार है---'लाभार्थी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे या जिसकी भूमि को योजना के निष्पन्न होने के परिणाम स्वरूप लाभ होगा। इसमें जो शब्द 'जिसे या' आये हैं मैं उनको निकाल देना चाहता हूं क्योंकि यह सुपरफ्लुअस मालूम होते हैं। इसीलिये मैंने यह संशोधन पेश किया है।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, आप की बात ज्यादा तो समझ में नहीं आयी लेकिन आप यह चाहते हैं कि 'जिसे या' निकाल दिये जायं। इससे यह मालूम होगा कि बाकी धारा इस प्रकार से रह जायगी--

'लाभार्थी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि को योजना के निष्पन्न होने के परिणामस्वरूप लाभ होगा, और इसके अन्तर्गत गांव समाज भी है'

इसलिये मैं समझता हूं कि 'जिसे या' शब्द रहना अत्यन्त आवश्यक है, व्याकरण के हिसाब से भी इसका रहना सही है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास भूमि न हो और फिर भी भूमि से लाभ उठाते हों और उस भूमि के मालिक न माने जाते हों। जैसे कि गड़रिया है उसकी भेड़ें चरती हैं वह भूमि से लाभ उठाता है लेकिन उसका मालिक नहीं है। भूमि का मालिक गांव समाज है तथा और लोग भी हो सकते हैं। सेलेक्ट कमेटी ने यह बहुत सोच विचार कर रखा है अतः मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है।

श्री गंगाधर मैठाणी---अध्यक्ष महोदय, भूमि जिसके पास नहीं होगी वह भूमि का लाभार्थी नहीं हो सकता लेकिन क्योंकि इस बात से बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २ के उपखंड (३) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"जो डिप्टी कलेक्टर से कम पद का व्यक्ति न होगा"

श्रीमन्, अगर यह संशोधन इसमें कर दिया जायगा तो धारा इस प्रकार होगी ---

"२(३) 'कलेक्टर के न्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त अथवा पदयुक्त करे, जो डिप्टी कलेक्टर से कम पद का व्यक्ति न होगा।"

श्रीमन् यह एक खास बात है कि इस ओहदे पर डिप्टी कलेक्टर से कम पद का व्यक्ति न हो। अगर तहसीलदार आदि की नियुक्ति इस पर की गयी तो अच्छा काम न होगा। इसी चीज को देखते हुये यह संशोधन रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

श्री चरणसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि मैं राजा वीरेन्द्र शाह जी के इस अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह बिलकुल गैर जरूरी है। 'जो डिप्टी कलेटक्र से कम पद का व्यक्ति न होगा' इसकी जरूरत ही नहीं है कहने की, क्योंकि कलेक्टर कलेक्टर के ही पद का होगा। यह तो डिफाइन करके एक तरह से गुन्जायश रख लेते हैं कि मान लीजिये कलेक्टर को बहुत ज्यादा काम है किसी जिले में तो वह किसी दूसरे अफसर को अपने स्थान पर मुकर्रर करे। तो वह डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चरल अफसर तो नहीं होगा, वह डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टाफ अफसर तो नहीं होगा, वह कोई इंजीनियर तो नहीं होगा ए० डी० एम० हो सकता है तो सब जगह कलेक्टर ही होगा हमारी नियत इस बात से जाहिर है कि यह जो धारा ५ थी उसमें उपधारा (२) में जैसा कि पहले बिल पेश हुआ था, ये अल्फाज थे:

"कलेक्टर अथवा उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नामांकित उसका प्रतिनिधि समिति की बैठकों का सभापतित्व करेगा"। तो अब सेलेक्ट कमेटी ने "अथवा उसकी अनुपस्थिति में

[श्री चरण सिंह]

उसके द्वारा नामांकित उसका प्रतिनिधि" ये अल्फाज निकाल दिया है। इसका मतलब यह है कि सब कलेक्टरों के लिये यह लाजिमी है कि मीटिंग में वही प्रेसाइड करे। अपने बजाय किसी डिप्टी कलेक्टर को न भेज दे। क्योंकि यही इतना महत्वपूर्ण काम है कि यह सोचा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर ही हर बैठक में प्रेसाइड करे। इसीलिये यह डिस्क्रिशन नहीं रखा गया है कि जो चाहे मीटिंग में प्रेसाइड करे। लेकिन एहतियातन ये अल्फाज रख दिये गये हैं कि ऐसा हो सकता है कि कभी अधिक काम होने की वजह से कलेक्टर किसी डिप्टी कलेक्टर को ही वहां भेज दे। लेकिन यह कोई माने नहीं रखता है, वह डिप्टी कलेक्टर से कम पद का नहीं होगा। जो प्रेसाइड करेगा वह कलेक्टर की हैसियत का ही होगा।

राजा वीरेन्द्रशाह---श्रीमान् जी, मैंने माननीय मंत्री जी के उत्तर को सुना और जो मुझे भ्रम था वह दूर हो गया है, मैं समझता था कि सरकार जैसा पहले भी ऐसी जगहों पर करती थी वैसा ही यह भी है लेकिन मेरा भ्रम दूर हो गया है लिहाजा मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---अब कोई संशोधन खंड २ में नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

प्रशासकीय संगठन

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल

३---(१) इस अधिनियम के प्रचलित होने के बाद यथाशीघ्र राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के लिये भूमि संरक्षण मंडल की स्थापना करेगी।

(२) मंडल में निम्नलिखित होंगे:---

(क) कृषि मंत्री, जो पदेन सभापति होंगे,

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो उपमंत्री अथवा सभा-सचिव,

(ग) विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित तीन व्यक्ति,

(घ) विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित दो व्यक्ति, और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा नामांकित पांच तक व्यक्ति।

(३) राज्य सरकार के कृषि विभाग का सचिव अथवा अन्य ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार नामांकित करे, बोर्ड का पदेन सचिव (Secretary) होगा।

(४) उपधारा (२) के खंड (ग) से (ङ) तक में अभिदिष्ट सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सदस्य यथास्थिति उपमंत्री, विधान सभा का सदस्य अथवा विधान परिषद् का सदस्य न रहे तो वह इस बात के होते हुये भी कि उपर्युक्त कार्यकाल समाप्त न हुआ हो, सदस्य न रह सकेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि उस सदस्य का कार्यकाल जो आकस्मिक रिक्ति (Casual vacancy) की पूर्ति के लिये निर्वाचित अथवा नामांकित

हुआ हो उसके पूर्वगामी व्यक्ति के कार्यकाल का अवशिष्ट भाग होगा।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) में शब्द "द्वारा" के पश्चात् शब्द "पदेन" जोड़ दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक्सप्लेन करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जो उप मंत्री या सभा सचिव के पद पर हैं वे ही सदस्य होंगे इसलिये यह रखा गया है कि "पदेन" जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) में शब्द "द्वारा" के पश्चात शब्द "पदेन" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ग) में शब्द "तीन" के स्थान पर "चार" रखा जाय तथा भाग (घ) में शब्द "दो" के स्थान पर "एक" रक्खा जाय।

यहां पर विधान सभा के सदस्यों की संख्या ४३० के क़रीब है और विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या ८५ है वहां पर विधान सभा के लिए तो "तीन" रखा गया है और विधान परिषद् के लिये "दो" रखा गया है। मैं समझता हूं कि अनुपात के हिसाब से यह बिलकुल ग़लत है। मैं चाहता हूं कि विधान सभा के सदस्यों की संख्या "तीन" के बजाय "चार" होनी चाहिये और विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या "दो" के बजाय "एक" होनी चाहिये, तभी अनुपात ठीक बैठ सकता है।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, दुनिया के हिसाब सिर्फ तादाद के लिहाज से नहीं लगाये जा सकते। हम अपनी असेम्बली में ही देखते हैं कि श्री रामनारायण जी दिन में कई बार बोलते हैं और इधर के लोगों को बोलने को बहुत कम मिलता है अब फिर अगर अपोजीशन का नंबर लगाया जाय तो फिर दिन भर में एक आदमी का नम्बर आना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं लगाते उसी तरह से लेजिस्लेटिव असेम्बली और लेजिस्लेटिव कौंसिल के लिये हिसाब नहीं लगाया जा सकता। फिर लेजिस्लेटिव कौंसिल और असेम्बली दोनों बराबर की चीजें हैं। इसलिये वहां दो रहना ठीक है। इसके अलावा असेम्बली के आदमियों के लिये कोई रुकावट नहीं है। गवर्नमेंट को पांच आदमियों के नामजद करने की बात है उसमें असेम्बली के मेम्बर भी हो सकते हैं। इसके अलावा मिनिस्टर आफ ऐग्रीकल्चर जो होगा या डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यह सब भी आमतौर पर इसी हाउस से हो सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव कौंसिल को कोई प्रिपान्डेंट्री रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं कि "दो" रहना चाहिये और इसके अलावा बिल में पहले ही हमारी तरफ से आ गया है तो अब उसको घटाना लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बरों के लिये शोभायमान भी नहीं होगा।

श्री बलवन्त सिंह—जो एक्सप्लेनेशन माननीय मंत्री जी ने दिया है उसको देखते हुये मैं अपना यह संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

राजा वीरेन्द्र शाह—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ग) में अन्त का शब्द "व्यक्ति" निकाल कर "सदस्य" रख दिया जाय और इसी प्रकार भाग (घ) में भी अन्त का शब्द "व्यक्ति" निकाल कर "सदस्य" रख दिया जाय।

[राजा वीरेन्द्र शाह]

श्रीमन्, अगर आप देखेंगे कि जब पहले यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था उसमें उस समय यही शब्द था। अब मैं नहीं समझा कि क्यों सरकार ने और कमेटी ने इसको निकाल कर "व्यक्ति" रखा है। इसमें आपत्ति इस बात पर है कि "व्यक्ति" से सूबे भर के लोग इसमें आ जायेंगे और उससे होगा यह कि पोलिटिकल पार्टी के लीडरों को चुना जायगा और इससे इस योजना के कार्य करने वालों में विवाद और झगड़े ज्यादा पैदा होंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि पहले जैसा था कि विधान सभा द्वारा विधान सभा के सदस्य ही चुने जायं वही ठीक है। मैं समझता हूं कि यह दोनों ही संशोधन मेरे सदन को स्वीकार होंगे।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि फिर अपने मित्र की बात मानने में मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूं। उसमें व्यक्ति का लफ्ज रख देने से सदस्य रूल आउट तो नहीं होते। सदस्य तो फिर भी चुने ही जा सकते हैं। व्यक्ति तो ज्यादा व्यापक है। आखिर सदस्य जो यहां हैं वे व्यक्ति जो जरूर ही हैं। "व्यक्ति" में डिस्क्रीशन है कि जो नान मेम्बर हों उनको भी चुन सकते हैं। इसलिये उसको ज्यादा व्यापक बनाने के लिये लफ्ज "व्यक्ति" यहां रखा गया है। असेम्बली का मेम्बर न हो और इस मसले में विशेषज्ञ हो और असेम्बली यह समझती हो कि ऐसा है तो उसको भी नामिनेट कर दें। हम पहले से क्यों तय कर दें कि बाहर का आदमी एलेक्ट नहीं हो सकता। उसको भी एलेक्ट कर सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि शाह साहब मेरी बात को मान लेंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, मैंने मंत्री जी का उत्तर बड़े ध्यान से सुना, लेकिन मेरी यह समझ में नहीं आता कि जब सरकार ने इसी बिल में यह रखा है कि पांच सरकार द्वारा व्यक्ति नामजद किये जायंगे, फिर क्या कारण रह जाता है कि इसमें सदस्य रखने में आपत्ति सरकार को है। दूसरे मुझे यह कहना है कि इसका स्कोप बढ़ जाता है और आप धारा सभा के सदस्यों को इस बात की इजाजत देते हैं कि वे बाहर के लोगों को भी चुन सकते हैं। मैं यह चाहता हूं कि इस सदन द्वारा इसी सदन के सदस्य चुने जायं। माननीय मुख्य मंत्री जी भी आ गये हैं और मुझे यह आशा है कि मेरे इस संशोधन पर इस तरह से विचार किया जायगा कि इस सदन के द्वारा इस सदन के सदस्य ही चुने जायं। इसके अतिरिक्त उसमें विशेषज्ञ पहले से मौजूद हैं और राज्य सरकार द्वारा पांच व्यक्ति नामजद किये जायंगे। बिल में पहले सदस्य ही था, अब अगर किसी वजह से व्यक्ति रखा जाता है तो मैं इसमें हानि ही समझता हूं, लाभ नहीं समझता। इसलिये मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं।

श्री चरण सिंह—मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ग) और (घ) के अन्त का शब्द "व्यक्ति" निकाल कर शब्द "सदस्य" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री गंगाधर मैठाणी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ङ) में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु इन सदस्यों में कोई राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होगा।"

अध्यक्ष महोदय, इस प्रशासकीय संगठन में जो लोग रखे गये हैं, उनमें भाग (क) में कृषि-मंत्री हैं, भाग (ख) में उपमंत्री अथवा सभासचिव हैं, भाग (ग) में विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित तीन व्यक्ति हैं, भाग (घ) में विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित दो व्यक्ति हैं, और भाग (ङ) में राज्य सरकार द्वारा नामांकित पांच तक व्यक्ति हैं जिनकी कोई

क्वालिफिकेशन या योग्यता नहीं रखी गयी है। जहां तक यह सूबी है इसमें मंत्री या उप मंत्री या सभा सचिव आदि सब पदेन या सरकारी पक्ष के लोग होंगे। नीचे यह रखा गया है कि विभाग के कई कर्मचारी होंगे जो कि राजकीय पक्ष के आदमी होंगे। इसलिये हमने यह प्रस्ताव रखा है कि सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति जो हों वे सरकारी कर्मचारी न हों बल्कि नानआफिशल हों। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है क्योंकि अगर तीन नान आफिशल्स को नहीं लिया जायगा तो इस विधेयक का उतना लाभ नहीं होगा जितना होना चाहिये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय मैठाणी जी ने पेश किया है उसके ठीक विपरीत आगे चल कर दो संशोधनों का नोटिस है नम्बर ९ और १०, जिनमें से एक श्री बलवन्त सिंह के नाम पर है और एक श्री श्रीचन्द जी के नाम पर है। श्री मैठाणी जी यह चाहते हैं कि इसमें यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि राज्य कर्मचारी कोई नहीं होगा जब कि श्री बलवन्त सिंह जी और श्री श्रीचन्द जी यह चाहते हैं कि अधिकारी हों और लाजिमी तौर पर हों। मैं इस सिलसिले में यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो स्टेट स्वायल कंजरवेशन बोर्ड रखा गया है, इसकी यह मंशा है कि इसमें नान आफिशल हों। और जो डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजेर्वेटिव कमेटी रखी गयी है उसका अगर कांस्टीट्यूशन देखेंगे तो उसमें सब एक्सपर्ट्स ही हैं जैसा कि धारा ५ में दिया हुआ है तो उसमें एक भी नान आफीशियल मेम्बर नहीं रखा गया है। ऊपर जो बोर्ड है उसमें आफीशियल और नानआफीशियल का कोई जिक्र नहीं है लेकिन मंशा यही है कि इसमें सब नानआफिशियल्स ही हों। माननीय मैठाणी जी कह सकते हैं कि इसमें लिख दिया जाय कि इसमें कोई राज कर्मचारी न होगा। इसके लिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारी किसे कहते हैं, यह तय करना बड़ा मुश्किल है जैसा कि आफिस आफ प्राफिट है, उसकी अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं हो पायी है। लेकिन यह तय है कि हम किसी आफिसर को नहीं रखना चाहते हैं। आफिशियल्स तो एक्सपर्ट्स होंगे जो गवर्नमेंट को एडवाइज करेंगे। जैसा डायरेक्टर आफ एनीमल हस्बैंडरी, चीफ कंजवटर आफ फारेस्ट्स, चीफ इंजीनियर और डिप्टी डायरेक्टर आफ स्वायल कंजर्वेशन इत्यादि जो एक्सपर्ट्स हैं यह गवर्नमेंट को ऐडवाइज करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि स्वायल कंजेर्वेशन बिल को इम्पलीमेंट करने के लिये कमेटी की जरूरत नहीं होगी। बल्कि फ्लड के सिलसिले में भी प्रायः यही कर्मचारी होंगे। इस तरह से एफोरस्टेशन के जो कर्मचारी हैं, मथुरा, आगरा तथा इटावा वगैरा में तो वहां पर भी तो वही कर्मचारी हैं। इसलिये इन तीनों कामों को कोआर्डीनेट करने के लिये एक एक्सपर्ट्स की बाडी को मुकर्रर करना चाहते हैं जिसमें मुख्तलिफ विभागों के विशेषज्ञ हों और यह जो बोर्ड है इसमें केवल नानआफिशियल्स भी हों। मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स नान एक्सपर्ट्स हैं और गवर्नमेंट जो नामिनेट करेगी वह भी नान आफीशियल्स को ही करेगी यानी नान एक्सपर्ट्स को ही करेगी। इसमें लिखा इसलिए नहीं है कि कहीं इसमें किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को न रखना पड़े। गवर्नमेन्ट ऐग्रीकल्चर कालेज कानपुर के किसी प्रोफेसर को नामीनेट न करना पड़े जो एक्सपर्ट्स बाड़ी में न आता हो, इसलिये इसमें रखा है कि ५ आदमी नामिनेट होंगे, वह राज्य कर्मचारी नहीं हैं,। हम तो केवल नान आफीशियल्स की बाडी ही चाहते हैं जो पापुलर प्वायन्ट आफ व्यू को समझ सकते हों। मैं समझता हूं कि जो मैंने नुक्ते निगाह को समझाने की कोशिश की है उससे श्री मैठाणी जी को कोई आपत्ति नहीं होगी और वह अपने संशोधन को प्रेस नहीं करेंगे और वापस ले लेंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमान जी, माननीय मंत्री जी ने श्री मैठाणी जी के संशोधन को स्वीकार करने में जो आपत्ति बतलाई उनकी बात सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उनको संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये क्योंकि अगर यह प्रशासकीय संगठन देखा जाय तो इसमें कृषि मंत्री, दो उप मंत्री तथा सभा सचिव और विधान सभा द्वारा निर्वाचित

[श्री राज नारायण]

तीन व्यक्ति, पहले इसमें सदस्य थे लेकिन कमेटी ने व्यक्ति ही लिख दिया है फिर विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित दो व्यक्ति वहां भी पहले "सदस्य" था और "सदस्य" की जगह "व्यक्ति" हो गया। अब जब पहले सदस्य था तो उसमें अर्थ यह निकलता था कि शायद इस विधान सभा के सदस्यों में से चुने जायं, मगर सब "सदस्य" हटाया गया और तीन व्यक्ति विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने जायंगे और दो व्यक्ति विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा चुने जायंगे, इन दोनों के चुनाव में कहीं यह प्रतिबन्ध नहीं है कि वह सरकारी कर्मचारी हो या नहीं हो। "व्यक्ति" सरकारी कर्मचारी होता है और गैर-सरकारी कर्मचारी भी होता है। इसलिये माननीय राजस्व मंत्री ने जो गंगाधर जी मैठाणी के संशोधन में अपनी आपत्ति बतायी तो उनकी आपत्ति यहां से कट जाती है। अगर वह किसी व्यक्ति विशेष को चुनना चाहते हैं जो एक्सपर्ट (कुशल) हो और सरकारी कर्मचारी हो तो विधान सभा और विधान परिषद् के जरिये चुनवा सकते हैं। गंगाधर मैठाणी की मंशा यह है कि जो यह कमेटी बन रही है, कहीं ऐसा न हो कि वह पूर्णरूपेण सरकारी कमेटी हो जाय। और माननीय मंत्री जी की भी वही मंशा है। वह नहीं चाहते कि यह कमेटी एक तरह से सरकारी ही कमेटी हो। तो उनकी इच्छा और मंशा की पूर्ति गंगाधर मैठाणी के संशोधन को स्वीकार करने से ही पूरी होगी। इसलिये मैं ज्यादा समय न ले कर के निवेदन करूंगा कि वह गंगाधर मैठाणी के संशोधन को मानें।

एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने गंगाधर मैठाणी को जवाब देते हुये कहा कि इसमें नान-एक्सपर्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे कृषि मंत्री, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो उपमंत्री अथवा सभासचिव। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि कृषि मंत्री, दो उपमंत्री और सभा सचिव को रखा ही क्यों जाय? वह उन्हें नान-एक्सपर्ट्स (अयोग्य) समझते हैं तो उनकी जगह किसी दूसरे एक्सपर्ट्स को लाने की व्यवस्था कर दें और सरकारी बेंच की तरफ से कोई संशोधन करवा लें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह गंगा धर मैठाणी के संशोधन को मान लें और उसके महत्व को समझते हुये मानें। क्योंकि उन्होंने जो मंशा व्यक्त की उसकी पूर्ति इस संशोधन से होगी, वर्ना जो व्यवस्था है उसमें सारी की सारी कमेटी एक सरकारी कमेटी के रूप में परिणत हो जायगी।

श्री गंगाधर मैठाणी—अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री महोदय, जिस बात को कहते हैं और जो बात वह चाहते हैं उसी की पूर्ति हमारे इस संशोधन से होती है। जैसा कि वह कहते हैं कि आफिशियल्स और नान-आफिशियल्स का डिफरेंसिएशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के लिये कहा कि वह आफिशियल्स में हैं या नान आफिशियल्स में हैं। लेकिन मेरा जो संशोधन है उसमें यह स्पष्ट है कि "किन्तु सदस्यों में कोई राज्य-सरकार का कर्मचारी नहीं होगा" तो राज्य-सरकार के कर्मचारी से डायरेक्ट सरकार के कर्मचारी से मेरा मतलब है, लोकल बाड़ी का कोई कर्मचारी होगा तो वह डायरेक्ट कर्मचारी नहीं होगा, अर्द्ध सरकारी होगा, और जहां तक माननीय राजस्व मंत्री कहते हैं कि वह चाहते हैं कि नान-आफिशियल बाडी ही हो तो हमारे संशोधन से भी तो उसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। वह अलग बात है कि आप उसे इसलिये स्वीकार न करें, क्योंकि वह विरोधी पक्ष से आया है। इसलिये मुझे आशा है कि आप इसको स्वीकार करेंगे और इसमें सरकार को कोई विशेष आपत्ति नहीं होगी।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मैठाणी जी ने एक बात ऐसी कही है जिसको सुन कर मुझ पर ऐसा असर हो रहा है कि मैं उनके संशोधन को मान ही लूं, क्योंकि वह समझते हैं कि चूंकि उनकी तरफ से आया है इसलिये मानने में हिचकिचाहट है। मैं यह चाहता था कि गवर्नमेंट के हाथ न बंध जायं, यानी कोई राज्य कर्मचारी इस कमेटी में न आवे। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाय, जैसे गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने एक आल इंडिया स्वाइल कंजर्वेशन बोर्ड

तैयार किया है और उन्होंने यह कहा कि हम अपना आफिसर भी देने को तैयार हैं और दो चार साल के लिये उन्होंने अपना एक ऐडवाइजर भी दे दिया। तो हम उनको अपनी इस कमेटी में रख सकते हैं। या जैसे मैंने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की बात कही। केवल इसलिये रखा है। बाक़ी हरगिज़ हरगिज़ मंशा नहीं है। वह सारा बोर्ड नानआफिशियल्स का है आफिसर्स का बोर्ड तो गवर्नमेंट अपने इग्जिक्यूटिव आर्डर से बना सकती है और उनसे कोई भी काम ले सकती है। इसलिये बिल में रखना जरूरी नहीं है। परन्तु मैं चाहता था कि इसमें किसी तरह से यह प्रतिबन्ध नहीं रखा जाय कि अगर कहीं जरूरत पड़ ही जाय, जैसा कुछ सालों के तजुर्बे के बाद डिप्टी डाइरेक्ट, स्वायल कंजरवेशन को ही रखना जरूरी समझे तो उस छोटी सी बात के लिये एक अमेंडिंग बिल लाना होगा। इस ख्याल से रखा गया है।

मैं समझता हूं कि मुझे तो दलील माकूल लग रही है मैथाणी साहब को लग रही है या नहीं लग रही है यह मैं नहीं जानता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ङ) में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु इन सदस्यों में कोई राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बलवन्त सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ३ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ने का प्रस्ताव करता हूं—

"(च) संचालकगण कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, पी० डब्ल्यू० डी० तथा चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स।"

माननीय मंत्री जी ने बताया कि वह इस बोर्ड को एक नानआफिशल बोर्ड रखना चाहते हैं। मैं दरअसल इस दलील को नहीं समझ सका। मेरा तो ख्याल यह है कि जो बोर्ड होगा दरअसल एक शासकीय तरीक़े से, इस स्वायल कंजरवेशन की स्कीम को चलाना होगा तो इसमें एक्सपर्ट्स का होना भी बहुत जरूरी है। जो आदमी इसके एक्सपर्ट्स हैं वह तो इसमें रक्खे न जायं और ऐसे आदमियों को इसमें रखा जाय जो नान एक्सपर्ट हों तो मैं समझता हूं कि सरकार का खर्चा भी व्यर्थ का होगा और बोर्ड अपने असली तात्पर्य को पूरा भी नहीं कर सकेगा। जो स्कीम इस ऐक्ट में रखी गयी है वह तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा लम्बी बढ़ जायगी और इसका नतीजा यह होगा कि काम पूरे तरीके से पूरा हो सकेगा इसमें मुझे शुबहा है। इस लिये मैं यह समझता हूं कि यह जो बोर्ड रखा जाय.....

श्री अध्यक्ष—"संचालकगण" से आप का क्या मतलब है?

श्री बलवन्त सिंह—डाइरेक्टर।

दरअसल, यह जो बोर्ड की स्कीम रखी गयी है वह ऐसी होनी चाहिये जो इस ऐक्ट की मंशा को पूरा करने वाली हो। लेकिन माननीय मंत्री जी कहने के मुताबिक़ मालूम होता है कि यह एक ऐसी बाडी रखी जायगी जो नान एक्सपर्ट्स की होगी। तो मैं समझता हूं कि यह जो बोर्ड होगा इस पर खर्च करने की जरूरत क्यों पेश आयी। एक्सपर्ट्स लोग तो सरकार के अधिकारी ही होंगे, वह सरकारी एक्सपर्ट्स ही अपना मशविरा दे दिया करेंगे। वह बोर्ड जो बने उसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के आदमी रहने चाहिए, एक्सपर्ट्स भी हों और ऐसे लोग भी हों जिनका जनता से सम्पर्क रहता है, जैसे असेम्बली के मेम्बर हैं या इसी तरह के और लोग हो सकते हैं। इसलिये जो बोर्ड का तरीक़ा रखा गया है मुझे तो इसमें बड़ी आपत्ति मालूम होती है।

[श्री बलवन्त सिंह]

फिर जब कि एक्सपर्ट्स नहीं हैं तो खामख्वाह एक बोर्ड बनाने की क्या जरूरत पेश आई। उनको उसमें जरूर रक्खा जाना चाहिये था। डायरेक्टर्स हों चन्द महकमों के। लैंड रिफार्म कमिश्नर को रखिये। दरअसल इस बोर्ड में तीनों तरह के लोग होने चाहिये। कुछ एक्सपर्ट्स हों, कुछ ऐसे हों जो एक्सपर्ट्स न हों।

श्री अध्यक्ष--आप डायरेक्टर का अर्थ संचालक से ले रहे हैं। सिंचाई विभाग या पी० डब्ल्यू० डी० विभागों में कोई डायरेक्टर नहीं होता क्योंकि वहाँ तो चीफ इंजीनियर होता है। यह कुछ गोल सा है।

श्री बलवन्त सिंह--मेरी मंशा यहाँ डायरेक्टर से चीफ इंजीनियर सिंचाई विभाग, पी० डब्ल्यू० डी० तथा चीफ कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स और लैंड रिफार्म कमिश्नर से है। अगर हिन्दी का शब्द इसमें गलत हो गया है तो ठीक कर दीजिये। मैंने अपनी मंशा सामने रख दी और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--श्रीचन्द जी, कार्यक्रम का १० वाँ संशोधन अगर आप पेश करना चाहें तो कर दें।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संशोधन को पेश नहीं करना चाहता।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--मैं अपने सशोधन के संबंध में थोड़े से शब्द कह देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं या नहीं?

श्री रतनलाल जैन--जी हाँ, मैं पेश करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

> "संचालक कृषि (Director of Agriculture), भूमि सुधार कमिश्नर (land Reforms commissioner), चीफ इंजीनियर सिंचाई व चीफ कंजरवेटर पदेन सदस्य होंगे।"

अभी इस संबंध में श्री बलवन्त सिंह जी ने कुछ कहा। वही मैं अर्ज कर देना चाहता हूं। उन्होंने डायरेक्टर रक्खा था। मैं समझता हूं कि मंडल हमारा पूरा उपयोगी तभी हो सकता है जब उसमें एक्सपर्ट्स हों। अगर हमारे माननीय मंत्री को इसमें आक्षेप हो तो यह हो सकता है कि हम इन लोगों को इस कमेटी में रख तो दें, वे उसमें भाग ले सकेंगे परन्तु वोट न दे सकेंगे। अगर ऐसा न होगा तो मंडल कमेटी की तजवीजें अधूरी रह जायंगी और उससे सरकार को भी दिक्कत पड़ेगी और देर लगेगी। लिहाजा माननीय मंत्री जी उनको इतना मौका है कि वे कमेटी के सामने अपना आब्जेक्टिव रख दें परन्तु सदस्य की हैसियत से वोट न दे सकें, इसमें किसी को कोई आपत्ति न होनी चाहिये। मैं अपना संशोधन उसी रूप में तरमीम कर दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री बलवन्त सिंह और श्री रतन लाल जैन के संशोधनों का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी भी उनका विरोध करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय संगठन में कहा गया है कि विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक सदस्य और विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित दो सदस्य इस कमेटी

के सदस्य होंगे। माननीय बलवन्त सिंह और श्री रतनलाल जी का मंशा यह है कि जो विशेषज्ञ हों जैसे भूमि सुधार कमिश्नर, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर आदि भी वे इस कमेटी के सदस्य हों। मेरा ख्याल है कि बगैर उनको सदस्य निर्वाचित किये हुये भी काम चल सकता है। सरकार की जो कमेटियाँ बनती हैं प्रायः सब में मैं यह देखता हूं कि जो विभागों के हेड हैं वह अपनी कमेटियों में रहते हैं और वह बुलाये जाते हैं सरकार और कमेटी उनकी राय का यदि उचित है तो समर्थन करती है। यह इस सरकार की परिपाटी है। मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि जब सरकार अपने नीचे के कर्मचारियों की राय के लिये बुला सकती है और उनकी राय के मुताबिक मंडल कार्य करेगा तो यह उपयोगी नहीं मालूम होता है कि श्री बलवन्त सिंह और श्री रतनलाल जी के संशोधनों के अनुसार यह पाबन्दी मंजूर की जाय कि यह विशेषज्ञ मंडल के सदस्य रहें। मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार करके माननीय राजस्व मंत्री जी अपने हाथों को कमजोर करेंगे, अच्छा यह हुआ होता कि मैठाणी जी का जो संशोधन था अगर वही स्वीकार कर लिया गया होता तो वह भी श्री बलवन्त सिंह और श्री रतनलाल जी के संशोधन के विरुद्ध होता। पर इससे अच्छा होता। लेकिन इस संशोधन को स्वीकार करने से राजस्व मंत्री जी के हाथ मजबूत नहीं रहेंगे बल्कि बंध जायंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस संशोधन को वह अस्वीकार कर देंगे।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको श्री रामसुन्दर पांडेय जी के साथ पाता हूं और यह संशोधन जो मेरे मित्रों ने पेश किये उनको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। उसका कारण श्री रतनलाल जी ने बतला दिया। अगर वह चाहते हैं कि यह मेम्बर हो जायं और इनको वोट का अधिकार न हो तो यह कैसे हो सकता है कि इस प्रकार के वह मेम्बर रहें। अगर वह बाकायदा मेम्बर हुये और इख्तलाफ राय हुई तो उनको वोट देना होगा। वोट में एम्बरेसमेंट होगा। उसके अन्दर नानआफिशियल भी रहेंगे। मिनिस्टर भी रहेंगे और डिप्टी मिनिस्टर भी रहेंगे। या तो वह जो मिनिस्टर चाहते हैं उधर रहेंगे या वोट दूसरी तरफ देंगे या अपनी स्वतंत्र राय देंगे। इसलिये उन आफिसर्स को आमतौर पर इस कमेटी में नहीं रखा गया है। सेलेक्ट कमेटी में नानआफिशियल ही मेम्बर रहते हैं और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का रहता है और लीगल रिमेम्बरेंसर भी उसमें रहता है। मगर ऐडवाइस ही वह वहाँ पर दे सकते हैं। जो आपत्ति की जाती है उस पर अपनी नालिज के अनुसार मशविरा देते हैं। किसी वोट के देने का उनको अधिकार नहीं है। उनका काम वहाँ पर मशविरा देना होता है चाहे आप उसको मानें या न मानें। वोट में वह शरीक नहीं होते हैं। तो इसीलिये उनको इसका मेम्बर नहीं बनाया गया है। बाकी वह पब्लिक के सरवेंट हैं और उनका काम सेवा करना है। जब उनको गवर्नमेंट बुलायेगी तब वह आयेंगे और अपना मशविरा देंगे। इसके अलावा और भी किसी अफसर को बुलाना चाहें तो वह अवेलेबिल हो सकता है। लेकिन किसी प्रकार से उनको वोट का अधिकार देना उचित नहीं है। मैंने शुरू में यह कहा था कि नानआफिशियल मेम्बर रहते हैं और माननीय मैठाणी जी की बात इस वजह से नहीं मानी कि हो सकता है कि कभी किसी अफसर को किसी वजह से रखना पड़े। इसलिये यह भी उसमें नहीं रखा गया कि किसी अफसर को उसमें नहीं रखना चाहिये। इस प्रकार का इरादा नहीं है कि कोई अफसर रहे, लेकिन फिर भी बन्धन क्यों रखा जाय। इसलिये श्री बलवन्त सिंह और श्री रतनलाल जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि वह अपने संशोधन को वापस लें लेंगे।

श्री बलवन्त सिंह—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रतनलाल जैन—मैं भी अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (४) के नीचे दिये हुये प्रतिबन्धों में से पहला प्रतिबन्ध हटा दिया जाय। इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, वह इसको हटाना चाहते हैं, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई सदस्य यथास्थिति उपमंत्री, विधान सभा का सदस्य अथवा विधान परिषद् का सदस्य न रहे तो वह इस बात के होते हुये भी कि उपर्युक्त कार्यकाल समाप्त न हुआ हो, सदस्य न रह सकेगा।" उन्होंने यह नहीं बतलाया कि क्यों निकालना चाहते हैं? इसे मान लेने से यदि कोई उपमंत्री कमेटी का सदस्य है और वह विधान सभा का सदस्य न रहे तो उप मंत्री भी नहीं रहेगा, इसलिये वह कमेटी का मेम्बर नहीं बना रहना चाहिये। अगर वह एक्सपर्ट होता तो हम उसके सदस्य रहने की गुंजाइश छोड़ सकते थे। इसलिये मैं उनके संशोधन का विरोध करता हूं और मौर्य जी से अपील करता हूं कि वस्तुस्थिति को समझते हुये इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप जरा बैठ जावें, मैं कुछ इसमें स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय द्वारका प्रसाद जी और राजस्व मंत्री जी जरा सुनें। मुझे इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहिये कि खंड ३ में यह दिया हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त दो उपमंत्री अथवा सभासचिव, क्या यह नामजद होंगे उपमंत्री की हैसियत से?

श्री चरण सिंह---खंड ३ में यह अमेंडमेंट आ चुका है कि वह पदेन होंगे जैसे मिनिस्टर होगा। इसीलिये इसे निकालने की सोची जा रही है। यह मौर्य जी का संशोधन आइटम नं० ३ में था कि खंड ३ के उपखंड (२) के भाग (ख) में शब्द "द्वारा" के पश्चात् शब्द "पदेन" जोड़ दिया जाय।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा---अभी जो स्पष्टीकरण दिया गया है उससे यह चीज बहुत साफ हो चुकी है और उपमंत्रियों तथा सभासचिवों को इसमें रखा गया है वह पदेन सदस्य की हैसियत से रखा गया है, इसलिये इस प्रतिबन्ध की कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती। जहां तक कि विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों का सवाल है खंड ३ के उपखंड (२) में से यह चीज निकाल दी गयी थी कि वह बहैसियत सदस्य चुने जायेंगे, इसलिये जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह बहुत ही उचित है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री चरण सिंह---जो चीज कही गयी उसको मैंने ठीक तरह से सुना नहीं लेकिन फिर भी 'पदेन' शब्द के धारा ३(२) में बढ़ जाने से इस प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं रही।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे थे। माननीय टंडन जी ने कई बार यह व्यवस्था दी थी सदन में बैठकर माननीय मंत्रियों को सुनना चाहिये। मैं इस बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---व्यवस्था देने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है वे इस बात को स्वतः ही मान लेंगे। अच्छी तरह न सुनकर भी उन्होंने जो अंदाजा लगाया वह भी ठीक ही था।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ३ के उपखंड (२) के अनुसार विधान सभा और विधान परिषद द्वारा जो व्यक्ति चुने जायेंगे और जो मंडल के सदस्य होंगे वे योग्य होंगे और उस काम की योग्यता को ही देखकर चुने जायेंगे चाहे वे सदस्य हों या न हों। लेकिन सभा सचिव चूंकि पदेन होंगे इसलिये इस प्रतिबन्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं अब यह स्पष्ट हो गया होगा अतः स्वीकार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (४) के नीचे दिये हुये प्रतिबन्धों में से पहला प्रतिबन्ध हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मंडल के कार्य निम्नलिखित होंगे:— मंडल के कार्य।

(क) राज्य अथवा उसके किसी भाग के निमित्त भूमि संरक्षण योजना पर विचार करना और स्वीकृति देना,

(ख) भूमि सरक्षण के लिये इस प्रकार स्वीकृत योजना के निष्पादनार्थ उपाय और साधन निकालना,

(ग) अन्य ऐसे कार्यों का पालन जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत नियमों में निर्दिष्ट किये जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खण्ड ४ में निम्नलिखित उपखंड (घ) बढ़ा दिया जाय—

"(घ) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी तथा उनके कर्मचारियों के कर्त्तव्यों और अधिकारों को नियत करने में परामर्श देना।"

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने स्वयं इस बात को माना है कि यह एक ऐसा विधेयक है जिसमें आफीशियल्स और नान आफीशियल्स का बैलेंस होना चाहिये।

ऐसी सूरत में यों तो नियमों में इस बात की व्यवस्था अवश्य की गयी है कि ऐसे पदाधिकारियों और अफसरों के अधिकारों के सम्बंध में सरकार नियम बनावे या उनके क्या कर्त्तव्य होंगे, उनके कर्तव्य की क्या सीमा होगी इस सम्बंध में भी वह नियम बनायेगी लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां इन पदाधिकारियों के कर्त्तव्यों की थोड़ी बहुत झलक इस विधेयक में उपस्थित की गयी है उससे मुझे भय है और मैं महसूस करता हूं कि उनके कर्तव्यों के ऊपर भी काफी अंकुश रखने की आवश्यकता है। मिसाल के तौर पर मैं कुछ धारायें माननीय मन्त्री जी के सामने रखना चाहता हूं जिनमें जिला भूमि संरक्षण अधिकारियों के कर्त्तव्य दिये गये हैं, पहला कर्त्तव्य खण्ड १३ में दिया हुआ है।

"(१) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, धारा १२ के अधीन प्रस्तुत आपत्तियों पर यदि आवश्यक हों तो पक्षों की सुनवाई करके उन आपत्तियों पर अपनी आख्या कलेक्टर के पास प्रस्तुत करेगा। जो उन्हें नियत रीति से निस्तारित करेगा।"

दूसरी धारा जिसमें उसका दूसरा कर्त्तव्य वर्णित है वह धारा १६ है।

"१६—धारा १४ के अधीन सरकारी गजट में योजना के प्रकाशन से ३० दिन के पश्चात् जिला भूमि संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों तथा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत श्रमिकों के लिये यह वैध होगा कि वह—

(क) ऐसे क्षेत्र किसी भूमि में जिस पर योजना प्रवृत्त हो, प्रवेश करें, उसकी माप करें और उसका समतल लें (टेक लेवल),

(ख) ऐसी भूमि को खोदें या उसके अन्तस्तल (सब-स्वायल) बेधन (बोर) करें,

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

(ग) निर्माण खड़ा करें, बन्ध निर्मित करें और ऐसे सब कार्य करें जो योजना के निष्पादन के तथा तदन्तर्गत निर्माण कार्यों के रख-रखाव के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों।"

फिर तीसरा कर्तव्य धारा १७ में दिया हुआ है।

"१७--(१) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी नोटिस देकर किसी लाभार्थी को आदेश दे सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट किसी निर्माण कार्य को उसमें बतायी गयी रीति से और अवधि के भीतर अपनी लागत से बनवाये?"

इसके बाद उसका कर्तव्य धारा १८ में दिया हुआ है।

"१८--जिला भूमि संरक्षण अधिकारी ऐसी कार्यवाही कर सकता है अथवा करा सकता है, ऐसा बल प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो उसके विचार से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार योजना के निष्पादन के लिये आवश्यक हों"।

इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि साधारणतः किसी विधेयक के संबंध में नियम तो सरकार बनाती ही है और सरकार को नियम बनाना ही चाहिये अगरचे कि इन नियमों में जो अधिकार हैं वे विशेष रखे गये हैं। इसमें इस बात की कमी जरूर है जैसा कि जमींदारी उन्मूलन विधेयक के संबंध में या जोत चकबन्दी के संबंध में जो साधारण व्यवस्था की गयी है कि सरकार नियम तो बनावे लेकिन उसकी कोई सीमा अवश्य होनी चाहिये कि यह योजना इस तरह से होनी चाहिये। लेकिन यहां यह चीज नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि कम से कम जो प्रान्तीय स्तर का बोर्ड हो उसको यह अधिकार होना चाहिये कि वह सरकार को, इस विधेयक के संबंध में जितने अफसर हैं, जिला भूमि संरक्षण अधिकारी हैं या उनके असिस्टेंट हैं उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे और उनकी सीमा कहां तक होगी इस बारे में समुचित सलाह दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह भी कह सकते हैं कि सलाह देने से तो कोई मतलब सिद्ध नहीं होता, मानना न मानना उनके हाथ में है। मैं जानता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि अगर प्रान्तीय स्तर पर माननीय मंत्री जी द्वारा नियुक्त बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड अगर स्पष्ट और लिखित कुछ परामर्श इन अधिकारियों के कर्त्तव्यों के बारे में देगा तो उससे माननीय मंत्री जी को सुविधा ही होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इस विधेयक की अनुसूची की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और उससे कुछ उद्धरण देना चाहता हूं जिससे मालूम हो जायगा कि ये जिला भूमि संरक्षण अधिकारी या उनके सहायक कर्मचारी कौन कौन मामले के बारे में कार्यवाही कर सकते हैं।

अनुसूची

भूमि संरक्षण योजना के अधीन व्यवस्थित किये जाने वाले विषयः--

१--वायु कटाव और जल कटाव (परत कटाव, जलमार्गों और दरों का बनना, किनारों का कटाव और बाढ़ें) के विरोधी उपाय यथा

(क) मेंड़ों, डौलों और बंधियों का निर्माण और उन पर मूंज, सरकंडा अथवा अन्य भूमिबंधक घासों और पौधों का लगाना,

(ख) भूमि को समतल करना,

(ग) कन्टूर कल्टीवेशन (परिधि रेखा कृषि),

(घ) किसी भी क्षेत्र में जहां कटाव होता हो, ट्रैक्टरों द्वारा गहरी खेती की मनाही,

(ङ) श्रेणी फसलें उगाने की मनाही,

(च) आंशिक कृषि,

(छ) वर्षा ऋतु में जल्दी पकने वाली फलीदार फसलों का तथा सघन उगने वाली अन्य फसलें लगाना,

(ज) हरी खाद देना और भारी प्राणिक (आर्गेनिक) खादों, जैसे कम्पोस्ट, फार्मयार्ड मैन्योर इत्यादि का प्रयोग,

फिर नं० २ में है जल वेष्टन और अवरुद्ध जल निष्कासन के विरोधी उपाय यथा—

(क) जल वेष्टित क्षेत्रों का पोखरों में रूपान्तर,

(ख) जल निष्कासन नालियों का खोलना,

(ग) अन्तस्तल के जल का निष्कासन,

(घ) पुलियों और नीचे से जाने वाले जलमार्गों की संख्या बढ़ाना अथवा रेलपथ, नहर अथवा सड़क के बांध के पास वर्तमान पुलियों इत्यादि का चौड़ा करना।"

तो यही अधिकार होंगे जिनके जरिये से राज्य सरकार कार्य करायेगी। तो कम से कम नियम बनाने का कार्य सरकार अपने अधिकार में लेगी तो इस अवसर से फायदा उठाकर मैं कहता हूं कि अब भी सरकार यह बात कर दे कि कोई भी नियम इस विधेयक में उपस्थित होंगे, वह लागू तो तुरन्त ही हो जायेंगे लेकिन इस विधान सभा के सामने उपस्थित हो कर उससे स्वीकृत होकर काम में लाये जायेंगे। मैं समझता हूं कि मैंने विस्तार के साथ राजस्व मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है और यह एक छोटा सा प्रश्न उनके सामने रखा है कि प्रान्तीय बोर्ड जो होगा वह जिला संरक्षण अधिकारी के कर्तव्यों के संबंध में उचित परामर्श दे। तो ऐसी निर्दोष मांग भी अगर हमारे राजस्व मंत्री जी नहीं मानेंगे तो हमें बड़ा दुख होगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण जी त्रिपाठी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरी दृष्टि में यह अनावश्यक भी है और हानिकर भी। अनावश्यक तो इन अर्थों में कि मंडल के कार्य जो खंड ४ में रखे गये हैं उनमें जो संशोधन मेरे मित्र चाहते हैं वह प्रतिबन्ध पहले ही से स्वयं मौजूद है। "राज्य अथवा उसके किसी भाग के निमित्त भूमि संरक्षण योजना पर विचार करना और स्वीकृति देना।" इसमें उसके किसी "भाग के निमित्त" यानी जो जिले की योजना हो सकती है उसके किसी भाग के निमित्त वह मौजूद है। उसके लिये यह और लिखा जाय कि अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्त्तव्य और अधिकार क्या होंगे अनावश्यक है और पहले से ही मौजूद है। उसमें कर्त्तव्यों और अधिकारों का अलग से निर्देश करने के लिये नियम बनाना मैं समझता हूं अनावश्यक है। इसके अतिरिक्त मेरे मित्र ने जैसी आशंका प्रकट की है वह आशंका भी निर्मूल है क्योंकि खंड ५ के उपखंड (क) में है:—"जिला भूमि संरक्षण अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि धारा ४ के अधीन स्वीकृत योजना को निष्पादित करे और अन्य उन कर्त्तव्यों का सम्पादन करे जो नियत किये जायं।" तो इसमें स्पष्ट है कि उसके लिये आवश्यक होगा कि जो कर्त्तव्य उसके लिये नियत किये गये हों उनको भी निष्पादित करे और इस प्रकार मेरे मित्र जो संशोधन करना चाहते हैं वह अनावश्यक है। इसके अतिरिक्त मैं इसे हानिकर भी समझता हूं और उसका कारण यह है कि प्रत्येक जिले की योजना के संबंध में उस जिले की उस योजना के विषय में कुछ विशिष्ट आवश्यकतायें हो सकती हैं जिनको कि जिला समिति विचार सकती है और उसके सम्पादन करने के संबंध में स्वयं अपने नियम अथवा अपनी कार्यप्रणाली निश्चित कर सकती है। यह कि प्रान्तीय मंडल या यहां का मंडल उन सब बातों को एक बारगी देख ले और पहले से उनको नियत कर दे और उसके संबंध में कुछ आज्ञायें निर्धारित कर दे मेरी दृष्टि से यह गलत होगा। इससे जो कार्य समय पर जिलों की समिति के करने के लिये उपस्थित होगा उस कार्य में स्वयं

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

बाधा आ सकती है और इससे जो कार्य सम्पादन किये जाने की प्रणाली है उसमें भी कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं। मैं इन शब्दों के साथ अपने मित्र रामनारायण जी से अनुरोध करूंगा कि वे स्वयं इस बात पर पुनः विचार करें और अपने संशोधन को वापस ले लें। तो मैं इन शब्दों के साथ अपने मित्र रामनारायण त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि संभवतः वे स्वयं इस बात को विचारेंगे कि इस प्रकार के किसी संशोधन से यह जो मंडल की कार्यप्रणाली है उसमें हानि होने की संभावना है और इससे जिस लाभ को वे लेना चाहते हैं उसके स्थान पर हानि की आशंका अधिक है।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी से सहमत हूं कि यह बिलकुल गैर जरूरी है जो आपने संशोधन रखा है। जो हमारे विधेयक की धारा २७ है जिसमें कि रूल मेकिंग पावर्स गवर्नमेंट को दी गयी है उसी में यह दिया हुआ है। माननीय त्रिपाठी जी जरा अपने बिल को उठा कर देखें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---कौन सी धारा?

श्री चरण सिंह---धारा २७ की उपधारा (२), भाग (ठ)।

"इस अधिनियम के अधीन क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रतिक्रिया।"

इस तरह से यह सब पहले से दिया हुआ है और वह अनावश्यक हो जाता है। फिर इसमें लिखने की क्या जरूरत है, बोर्ड को सारे पावर्स दिये हुये हैं। बोर्ड के लिये क्लाज ४ में यह लिखा हुआ है कि---

"अन्य ऐसे कार्यों का पालन जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत नियमों में निर्दिष्ट किये जायं।"

वह सभी कुछ कर सकता है। इसी अधिनियम में दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पावर है और जो रूल्स बनाये जायेंगे उनके संबंध में अप्वाइन्टमेंट डिपार्टमेंट से और फाइनेंस डिपार्टमेंट से मशविरा ले लिया जायगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजरवेशन बोर्ड में जो आफिसर्स होंगे वह सब पब्लिक सर्वेंट्स होंगे और उनके लिये डिसिप्लिन और सैलरी के रूल्स बने हुए हैं और उन्हें किस तरह से काम करना है उसकी एक ब्राड आउट लाइन पहले से होती है। अगर कोई खास काम करने की जरूरत होगी तो उसके लिये ऊपर से गवर्नमेंट आर्डर देगी और उसको वह करेंगे। लेकिन अगर आप इसमें यह रखते हैं कि जब बोर्ड कहे तब ही वह कोई काम करें, तो उसमें काम रुक सकता है। ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता है कि इस संशोधन से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। यह युक्ति चाहे माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी दें चाहें सदन का कोई और सदस्य दे कि अपोजीशन की बात नहीं मानी जाती है, इसके लिये मैं यही कहूंगा कि जब कोई युक्ति नहीं रह जाती है, दिवालियापन हो जाता है, तभी यह बात आखिर में कही जाती है। मैं अपोजीशन की एक बात क्या, दस बीस बातें मानने के लिये तैयार हूं बशर्ते कि वह माकूल होनी चाहिये। सिलेक्ट कमेटी में भी ऐसा कोई संशोधन नहीं आया। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं पहले अपनी हीनता की माननीय राजस्व मंत्री जी के सामने स्वीकार कर लूं कि जहां तक अधिकारों का सवाल है वह तो विरोधी दल में होता ही नहीं है और जहां तक सरकार के अधिकारों का सवाल है उसमें पूरा दिवालियापन है और किसी को उसमें कुछ बोलना भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह

बड़ा ताज्जुब हुआ कि न माननीय राजस्व मंत्री जी और न माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने हमारी बात ठीक से सुनी। माननीय आचार्य जी ने भ्रमवश मेरे संशोधन का विरोध कर दिया और उस संशोधन में जो मैंने थोड़ा सा संशोधन कर दिया था 'नियत करने में परामर्श देना' उसपर ध्यान ही नहीं दिया। जो मैंने नियत करना पहले रखा था, उसी पर उन्होंने अपना सारा विरोध कर दिया। दूसरी बात यह है कि आचार्य जी ने जो खंड ५ का उद्धरण दिया, उस खंड ५ में ही आचार्य जी इस बात का वादा करें कि जिला भूमि संरक्षण अधिकारी तथा उसके सहयोगियों के कर्त्तव्यों का जब सवाल आयेगा तो तब मेरा २५ नम्बर का संशोधन मान लिया जायगा अगर ऐसा हो जाय तो मैं अपना यह संशोधन वापस लेने के लिये तैयार हूं। प्रस्तुत विधेयक में धारा ५ में कुछ नहीं कहा है उसका उद्धरण देकर मुझे कंविन्स करने की कोशिश की। इसलिये मैंने समझा कि भ्रमवश मेरे संशोधन का विरोध कर दिया गया। मंत्री जी ने समझा कि मैंने धारा को पूरी तरह से पढ़ा नहीं है और उन्होंने धारा २७ की ट, ठ, ड, तथा ड़ की बात कही है। मैं तो स्वयं चाहता हूं कि प्रांतीय स्तर बोर्ड मंत्री जी को परामर्श दे क्योंकि मैंने विस्तारपूर्वक बतलाया था कि यह हमारे प्रदेश में एक नया विधेयक है। हम नहीं चाहते हैं जब कि हम इसका स्वागत करते हैं और हमारी सरकार एक लाभप्रद योजना लागू करने जा रही है तो सरकारी अधिकारी ऐसी कार्यवाही करें जिससे हमारी सरकार बदनाम हो और सरकार का उद्देश्य भी विफल हो जाय। फिर अगर ऐसा होता जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जोतों की चकबन्दी के विधेयक में तथा जमींदारी उन्मूलन के बारे में नियम बना रखे हैं कि वह विधान सभा के सामने रखे अवश्य जायेंगे। लेकिन ऐसी भी बात इन नियमों में नहीं है। न तो विधान सभा का ही कंट्रोल और न प्रादेशिक मंडल का ही कंट्रोल है, मनमानी तरीके से वह नियम बनाये जावें ऐसी व्यवस्था की गई है इसमें मुझे परेशानी और भय है और इसका समुचित रूप से प्रयोग नहीं होगा और हो सकता है कि इस काम में कोई अपयश भी उठाना पड़े। लिहाजा यह राज्य की जनता के लाभ के लिये है। मैंने राजस्व मंत्री जी को सलाह देने की बात कही अधिकार की बात नहीं कही।

माननीय मंत्री जी ने धारा २७ (ड़) का जिक्र किया कि ऐसे विषय जिन्हें नियत करना हो या नियत किये जायं। इसमें अगर हमारी बात भी आ जाती है अगर यह मंत्री जी की मंशा है तो फिर मंत्री जी हमारे संशोधन को ही क्यों नहीं मान लेते। मैं समझता हूं कि इन आशंकाओं को देखते हुये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी को सलाह दी जाय ताकि कोई भयावह स्थिति उत्पन्न न होने पाये। इन चन्द शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि मैंने काफी प्रकाश डाल दिया है। अब यह मंत्री जी तक पहुंचे या न पहुंचे इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि वह प्रकाश मुझ तक नहीं पहुंच पाया। मान लो जैसे स्टेट बोर्ड आफ स्माल काटेज इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनके फंक्शन्स वगैरह में यह कहीं भी नहीं दिया गया है कि जो राज्य कर्मचारी होंगे उनकी ड्यूटीज और पावर्स के सिलसिले में गवर्नमेंट को वह एडवाइज करेंगे। ऐसा तो कोई प्रेसीडेंट ही नहीं है। दूसरे जो बोर्ड कहना चाहता है उसको रोकता कौन है। वह यह कह सकता है। लेकिन इस तरह के रूल्स रखना कि बोर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स के कंडक्ट के बाबत गवर्नमेंट को एडवाइज करे यह चीज ठीक नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन के मशविरे से ही रूल्स बनते हैं। गवर्नमेंट रूल्स बनाती है उसमें अप्वाइन्टमेंट डिपार्टमेंट का मशविरा होता है और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का भी मशविरा होता है। इतने गौर खोज के बाद यह रूल्स बनते हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि बोर्ड तो नान आफीशियल्स का होगा और इस मसले को वह अच्छी तरह से समझते भी नहीं होंगे ऐसी हालत में वह गवर्नमेंट को बाकायदा एडवाइज करें, कहां तक ठीक होगा और यह डेमाक्रेटिक गवर्नमेंट है। अपने ही सब लोग उस में होते हैं। हर आदमी को गवर्नमेंट को मशविरा देने का अधिकार है ही। बोर्ड का कोई मेम्बर दे दे, बोर्ड का मेम्बर न हो, वह भी दे सकता है। लेकिन उसका बाकायदा फंक्शन रखना इसलिए गैर जरूरी समझता हूं। मैं उसको मानने में अपने को असमर्थ पाता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ में निम्नलिखित उपखंड (घ) बढ़ा दिया जाय--

"(घ) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी तथा उनके सहायक कर्मचारियों के कर्त्तव्यों और अधिकारों को नियत करने में परामर्श देना"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड ५

जिला समिति

५---(१) धारा १ की उपधारा (३) के अधीन विज्ञापित क्षेत्र में समाविष्ट प्रत्येक जिलों में एक जिला भूमि संरक्षण समिति स्थापित की जायगी। इसमें निम्नलिखित होंगे :---

(क) कलेक्टर,

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामांकित सिंचाई विभाग का एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर,

(ग) उस क्षेत्र के विकास कार्य के आफीसर या आफिसर्स इंचार्ज,

(घ) डिवीजनल फारेस्ट आफीसर,

(ङ) डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफीसर,

(च) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी ।

(२) कलेक्टर समिति की बैठकों का सभापतित्व करेगा ।

(३) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी पदेन समिति का सचिव होगा।

(४) जिला भूमि संरक्षण समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:---

(क) जिला अथवा उसके किसी भाग के लिये भूमि संरक्षण योजना तैयार करना,

(ख) योजना के निष्पादन का पर्यवेक्षण (supervision) करना,

(ग) जिले में भूमि संरक्षण के अन्य ऐसे कार्य करना जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत नियमों में निर्दिष्ट किये जायं, और

(घ) समय-समय पर मंडल द्वारा दिये अनुदेशों को कार्यान्वित करना।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ की पंक्ति २ में 'जिलों' के स्थान पर शब्द 'जिले' किया जाय। यह शाब्दिक संशोधन है।

श्री चरण सिंह---मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ की पंक्ति २ में 'जिलों' के स्थान पर शब्द 'जिले' किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गंगाधर मैठाणी---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति निकाल दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय, जब इसको पढ़ते हैं तो स्पष्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ऊपर की पंक्ति निकाल देने से यह रह जाता है कि प्रत्येक जिले में एक जिला भूमि संरक्षण समिति स्थापित की जायगी। हमने अभी देखा कि चकबन्दी बिल पास हुआ और एक जिले में वह लागू कर दिया जायगा। यहाँ पर बहुत से प्रश्न पूछे गये कि कहाँ कहाँ लागू होगा, किस शक्ल में लागू होगा लेकिन जब तक वह लागू नहीं किया जाता उसका असर नहीं हो सकता। अक्सर ऐसा होता है कि यद्यपि विधेयक पास हो जाता है संसद का समय भी लगता है, लेकिन जब तक लागू न किया जाय उसका कोई महत्व नहीं होता। यहाँ पर जब हम धारा १ की उपधारा (३) में जाते हैं तो उसमें लिखा है कि "यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट करे और राज्य विभिन्न भागों अथवा जिले के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।" ?

इससे यह अर्थ निकलता है कि जब सरकार चाहेगी किसी भाग में इसको लागू करे तभी लागू होगा, लेकिन इस बिल का इतना महत्व है कि प्रत्येक जिले के अन्दर इसके लागू होने की आवश्यकता है। हमने यह खबर बड़े जोरों से सुनी है कि पूर्वी जिलों के अन्दर सरकार इसे लागू करने नहीं जा रही है और जहाँ तक हम देखते हैं पर्वतीय जिलों में जहाँ पर बहुत सी भूमि टूटती जा रही है शायद वहां की आवाज आ भी नहीं पायेगी। इसलिये हम चाहते हैं कि सारे राज्य में लागू कर दिया जाय और प्रत्येक जिलों के अन्दर भूमि संरक्षण समितियां कायम हों जायं, क्योंकि उनको जिले की संगठन समितियाँ कहा गया है आगे चल कर, इसलिये इस विधेयक के महत्व को समझते हुये यह बहुत आवश्यक है कि यह प्रत्येक जिले में लागू कर दिया जाय और प्रत्येक जिले के अन्दर ये समितियाँ बन जाय, जिस से भूमि की अधिक से अधिक रक्षा हो सके। खाद्य की समस्या जो हमारी भूमि की प्रोडक्टिव पावर कम हो होती है वह बढ़ायी जाय और जो भूमि टूटती-फूटती जा रही है उसका भी संरक्षण हो सके। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है जो कि महत्वपूर्ण है। तो कहीं सरकार बाद को कहेगी कि चूंकि सरकार के पास इतना समय नहीं है, या इतना अधिक काम है कि इसको लागू नहीं किया जा सकता है, इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल को क्योंकि इस बिल का सदन के प्रत्येक भाग से स्वागत किया गया है, राज्य के प्रत्येक भाग में इसका स्वागत किया गया है इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा संशोधन स्वीकार कर लिया जाया जिस प्रकार प्रत्येक जिले में प्लानिंग कमेटियाँ बनी हुई हैं उसी प्रकार यह विभाग भी सरकार द्वारा हर जिले में स्थापित कर दिया जाय। इसके द्वारा इस विधेयक के उद्देश्य की भी पूर्त्ति सरकार होगी ऐसी मुझे आशा है।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---अध्यक्ष महोदय, मैठाणी जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं विरोध करता हूं। उसकी वजह यह है कि अगर आपका संशोधन मान लिया जाता है तो उसका तात्पर्य यह होता है कि यह विधेयक एक दम सारे सूबे में लागू कर दिया जाय। इसका यह भी मतलब निकलता है कि जहाँ इसकी जरूरत न भी हो वहाँ भी कमेटी बना दी जाय। जहाँ इसकी जरूरत हो भूमि का कटाव हो, नदी का कटाव हो, वहाँ यह विधेयक लागू किया जाय। मान भी लिया जाय कि सारे उत्तर प्रदेश में यह विधेयक लागू किया जाय तो यह काम ऐसा तो है नहीं कि जिस जिले में लागू किया जाय वह दो चार महीने में हो जाय। काफी समय लगेगा। जब काफी समय लगेगा तो मैं कोई कारण नहीं समझता कि कमेटी बना दी जाय और सालों बनी रहे। उस से कोई मतलब नहीं निकलता है। धारा १ के (३) में जैसा मैठाणी जी ने बताया है कि विज्ञापन किया जायगा कि इन जिलों में कमेटी बनाई जायगी, वहां काम शुरू हो जायगा। इसलिए मैं उपयुक्त नहीं समझता कि मैठाणी जी ने जो संशोधन रखा है वह माना जाय। मैं इसका विरोध करता हूं।

राजा वीरेंद्र शाह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अभी भवन के सामने है उसके विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। मैं भी यह समझता हूं कि इस तरह का संशोधन अनावश्यक है और इस विधेयक का जो उद्देश्य है उसके खिलाफ जा रहा है। इस में साफ लिखा हुआ है कि

[राजा वीरेन्द्र शाह]

जहाँ सरकार या विशेषज्ञ समझे कि भूमि कटाव हो रहा है वहाँ यह बिल लागू होगा। सिर्फ इस वजह से यह संशोधन मान लिया जाय कि जिलों में कमेटियाँ बने, उनको एक पालिटिकल अखाड़ा बनाया जाय जैसे कि लाइसेंसिंग कमेटियां बनी थीं--प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बरों ने यह समझा है कि अगर जिलों में कमेटियां बन जायगीं तो हम बैठ कर प्रभुत्व डालेंगे। मैं समझता हूं कि अगर यह संशोधन धारा ३ में लाते तो कुछ महत्व रखता था, यहाँ पर इसको रखना मैं समझता हूं ठीक नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गंगाधर मैठाणी जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे माननीय वीरेन्द्र शाह जी से यह सुन कर बड़ा दुख हुआ कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जिलों में अखाड़ा बनाना चाहती है। हमारी उन कमेटियों में वही दशा होने वाली है जो राजा वीरेन्द्र शाह जी की हुई है क्योंकि वह भी विरोधी पक्ष के हैं। कहीं जगह मिल गई तो मिल गई। तो अखाड़ा बनाने की हमारी कोई मन्शा नहीं है। यह बात हमने इसलिए रखी कि बहुत कानून हम ऐसे देखते हैं जिनमें पहले लिख दिया जाता है कि कुमायूं के लिये नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, मिर्जापुर चकराता को छोड़ कर सब जगह कानून लागू होगा। जो जमींदारी विनाश हुआ उसमें भी हमारा इलाका छोड़ दिया गया और माननीय मन्त्री जी ने कह दिया कि ५ परसेंट में वह लागू होता है, इसलिये वहाँ जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ की हालत बहुत खराब है। अपने पुराने तजुर्बे से मैं कह सकता हूं। हमारे यहाँ पहाड़ों पर नदियों से बहुत नुकसान होता है। मैदानों में जब नदी बहती है तो पता चलता है कि खाली पानी बह रहा है लेकिन बरसात के दिनों में जो बड़ी बड़ी नदियाँ पहाड़ों से आती हैं वे अपने साथ बड़े बड़े खेत बहा लाती हैं और इस तरह से हजारों एकड़ जमीन और जो कुछ भी पहाड़ों का धन है ये नदियाँ अपने साथ बहा कर मैदान में आ जाती हैं। इस कारण मैं यह चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी हमें यह अश्वाशन दें कि यह जो भलाई का कानून है उसमें हमें साथ रखा जायगा, हम उससे कहीं वंचित न रह जायं, यही डर मुझे है। हमारे यहाँ इन नदियों में बाँध बाधने में भी बड़ी दिक्कत होती है। हमारे यहाँ जो प्लानिंग विभाग है उससे हमको जितना रुपया मिला है उसमें से ज्यादा रुपया हम बाँध बनाने में ही खर्च कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे खेत हैं सिंचाई वाली जमीन है वह सब नदियों के पास है, वही हमारी ग्रेनरी है वह जमीन बाढ़ आने पर बह जाती है इस वास्ते उसकी रक्षा करना जरूरी हो जाता है। इसी वास्ते मैठाणी जी ने ऐसा संशोधन रखा है कि सारे जिले में यह स्कीम रख दी जाय। जहाँ दिक्कत होगी वहाँ संरक्षण कर दिया जायगा। अखाड़ा बनाने के लिये हम ऐसा नहीं चाहते हैं। विकास के लिये अखाड़ा बनाने की क्या जरूरत है। इसलिये आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस पर सफाई दे देंगे तो दिल को तसल्ली हो जायगी। न माने तो कहने को तो हो जायगा कि हमारे जिले में भी हालत खराब है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी की बातों से मुझे भी यह इच्छा हुई कि मैं इस सदन के समक्ष अपने भी कुछ विचार प्रस्तुत करूं।

श्री अध्यक्ष--क्या अखाड़े का चैलेन्ज आपने स्वीकार किया है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--उन मानों में तो नहीं जिनमें माननीय सदस्य ने कहा। लेकिन इस संशोधन को देख कर कुछ कौतूहल आवश्य हुआ। मैं तो यह समझता हूं कि यदि यह संशोधन लाना ही था तो यह खंड १ का उपखंड बी और फिर इस तरह का संशोधन सदन के समक्ष आये, ये एक दूसरे के विपरीत बात है।

श्री अध्यक्ष--वह तो आखीर में आ सकता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--श्रीमान् की आज्ञा से अवश्य आ सकता है, लेकिन इस स्थिति में जिसमें अब है विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते है विभिन्न भागों के लिय, लेकिन मैं तो यह देख रहा था कि यदि संशोधन को सरकार स्वीकार कर ले तो खंड ६ में निर्धारित भूमि के संरक्षण के कार्य के दृष्टिकोण से किया जाय तो उसमें जो कुछ बातें हैं उनमें से सभी ऐसी हैं जो सभी जिलों में लागू होंगी। मैं प्रान्तीय सरकार का ध्यान अध्याय ३ के खंड ६ के उपखंड (ग) की ओर आकर्षित करूंगा। भूमि को ऊसर होने से बचाने के लिय मेरा ख्याल है कि शायद बहुत जिलों पर यह लागू हो सकेगा और कुछ जिले संभव हैं ऐसे हों जिनमें भूमि ऊसर न होती हो और वहाँ कोई कार्य न करना पड़े। किन्तु फिर भी जहाँ तक इस संशोधन का तात्पर्य है मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझे इस संशोधन का विरोध इस सदन के समक्ष करना है इस दृष्टि से कि यह संशोधन गलत है। ऐसी कुछ कमेटीज व्यर्थ में बना दी जायं और वह अपना कार्य न करे तो यह बहुत बड़ा भार ही हो जायगा। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की कमेटी का मुझे और माननीय परिपूर्णानन्द जी को अनुभव है। सम्भवतः एक वर्ष पूर्व हम लोग निर्वाचित किये गये थे और अगर उसका नाम मुझे सही तौर पर स्मरण है वह लैंड मैनेजमेंट कमेटी थी और गवर्नर महोदय की आज्ञा से हम लोग निर्वाचित किये गये थे। लेकिन आज तक मुझे और यह मेरा ख्याल है माननीय परिपूर्णानन्द जी को यह पता नहीं लगा कि वह क्या कमेटी थी और उसकी आज तक कोई बैठक भी हुई है या नहीं और उसका क्या कार्यक्षेत्र है और क्या कार्य वह कमेटी करेगी। तो मेरे मित्र ऐसी कमेटी जिलों में चाहते हैं बना दें वह व्यर्थ पड़ी रहेंगी कोई काम नहीं हो सकेगा। तब तो उनका संशोधन ठीक ही है। किन्तु मेरा निश्चित मत यह है कि निश्चित रूप से प्रत्येक जिले में इस कमेटी की योजना बने और यह कमेटी बना दी जाय और एकबारगी काम करने लगे यह बिलकुल गलत है और इस प्रकार से कोई भी लाभ होने का कहीं कोई अवसर नहीं है और न था। यह मैं इस विधेयक को देखकर समझता हूं। मैं यह समझता हू कि धीरे-धीरे जहाँ पर भूमि संरक्षण कार्य होगा जिलों के अन्दर या विभिन्न भागों के अन्दर उसके अनुसार ही यह कमेटियाँ बनती जायंगी और कार्य इन कमेटियों के सुपुर्द किया जायगा मेरे विचार से यह उचित ही है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री चरण सिंह---जैसा कई मित्रों ने कहा यह संशोधन यहां पर कुछ फिट नहीं बैठता है। अगर इस संशोधन को आना ही हो तो वह आखिर में आ सकता है--तब कुछ सोचने की बात हो जाती है। लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि वहां पर भी इसकी जरूरत नहीं है। जिस इलाके में चाहे गवर्नमेंट इसको लागू कर सकती है। यही शब्द बिलकुल जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में थे। गवर्नमेंट चाहती तो उसको २ डिवीजन में लागू कर सकती थी लेकिन उसने सारी स्टेट में उसको लागू कर दिया। ऐसे ही शब्द जैसा कि मेठाणी जी ने बतलाया कि चकबन्दी विधेयक में थे, लेकिन बावजूद इन अलफाज के जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम को गवर्नमेंट ने सारी स्टेट में एकदम लागू कर दिया। इन शब्दों से केवल सरकार को यह अधिकार हो जायगा कि अगर कोई अड़चन है, ऐसी परिस्थिति न हो कि सारे प्रान्त में इसको लागू कर दे तो न करे लेकिन अगर कर सकती है तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। जमींदारी विनाश तो लागू हुआ लेकिन उन्होंने कहा कि चकबन्दी दो जिलों में लागू हुई। अभी तक वह कहीं पर भी लागू नहीं हुई है। उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी नहीं आयी है। जब उस पर उनकी स्वीकृति हो जायगी तो वह अधिनियम बनेगा और तब अपने यहां के लोगों को ट्रेंड किया जायगा तब वह लागू होगा। ऐसा ही इसमें रखा गया है कि सारे सूबे में हम उसको एकदम लागू कर दें। जैसा कि आचार्य जी ने बतलाया है सिर्फ कमेटी छोड़ देना ठीक नहीं रहेगा।

जहां पर यह समस्या गम्भीर है जैसा कि मथुरा, आगरा, इटावा बुन्देलखंड के इलाके हैं या रायबरेली, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर का इलाका है और जैसे कि पहाड़ों में कुछ इलाके हैं तो वहां पर गवर्नमेंट जहां चाहे इसको लागू कर सकती है लेकिन यह सब स्वायल कंजर्वेशन के

[श्री चरण सिंह]

मामलों को समझकर रुपये की जिस कदर जरूरत होगी उस प्रकार से इसको किया जायगा। इन सब बातों को देखकर जल्द से जल्द हम करना चाहते हैं। कौन सा काम ऐसा है जो हम एकदम नहीं करना चाहते हैं। चकबन्दी अभी ६,७ साल में जाकर पूरी होगी। हम तो चाहते थे कि वह ६ महीने में हो जाय लेकिन मजबूरी है। इसी तरह से स्वायल कन्जर्वेशन का काम हम चाहते हैं कि वह घड़ी की चौथाई में हो जाय। लेकिन नहीं हो पाता है। मैं समझता हूं कि माननीय मैठाणी जी को अपना संशोधन वापस लेने में अब कोई संशय नहीं रहा होगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं मथुरा के सम्मानित सदस्य का तर्कपूर्ण भाषण सुनने के बाद और माननीय राजस्व मंत्री जी को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि आपके द्वारा कुछ निवेदन कर दूं। जैसी शंका माननीय गंगाधर जी ने पेश की थी कि विधेयक तो पास हो जाया करते हैं मगर उनको कार्यान्वित करने में सरकार विलम्ब करती है, यह शंका ही नहीं है, बल्कि वस्तु स्थिति है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने अभी जमींदारी उन्मूलन की चर्चा की और मैं आपके द्वारा उनसे यह निवेदन कर दूं कि बनारस जिले में अभी भी एक ऐसा स्थान है जहां जमींदारी उन्मूलन की धारायें लागू नहीं हैं और उसके लिये जब माननीय राजस्व मंत्री अभी ४,५ दिन हुये बनारस गये थे हमने उनके पास एक पत्र भी भेजा था जो हमारे पास डाक से वापस आगया। वहां ३०० एकड़ का ताल है। वहां का कलेक्टर बहुत परेशान है कि जमींदारी उन्मूलन के द्वारा कोई ताल जिसका १९ अगस्त सन् ४६ के बाद पट्टा हुआ है वह कैंसिल हो जाय, यह इस पर लागू नहीं है।

श्री चरण सिंह--बात कहीं लगती तो है नहीं। हां, बोझ भरने की बात हो तो दूसरी बात है। वह तो एडेप्टेशन की बात है।

श्री अध्यक्ष--वह उदाहरण दे रहे हैं। मगर जरा संक्षेप में होना चाहिये।

श्री राजनारायण--वहां पर पट्टा हो गया है मगर वहां बिना पानी के १० हजार एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। मथुरा के माननीय सदस्य ने जो शंका पेश की है जरा मैं उसे स्पष्ट कर दूं। गंगाधर जी ने तो केवल यह कहा है कि प्रत्येक जिले में एक जिला भूमि संरक्षण समिति स्थापित की जायगी और पहले का जो विधेयक है वह इसे बांधता है। इसके खंड १ के उपखंड (३) में यह है कि यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे और राज्य के विभिन्न भागों अथवा जिलों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं। अब यह सही है कि इसमें थोड़ी गड़बड़ी यहां पैदा हुई है। जबकि पहले यह अधिकार मिल चुका है कि...

श्री अध्यक्ष--पहला खंड आखिर में लिया जाता है। उसमें संशोधन करने का समय सदन को मिल सकता है अगर यह संशोधन स्वीकृत हो जाय।

श्री राजनारायण--तो तब तो माननीय मंत्री जी ने जो शंका प्रकट की वह भी निर्मूल हो गई। गंगाधर जी यही चाहते हैं कि यह विधेयक पास हो और प्रत्येक जिले में समिति का संगठन शुरू हो जाय। इस सदन के सम्मानित सदस्य इस बात की शंका कर सकते हैं कि जहां समिति की आवश्यकता न हो वहां क्यों बनाई जाय और क्यों खर्चा किया जाय। इसके लिये मैं एक संशोधन देना चाहता हूं। उसके अंत में मैं यह जोड़ देना चाहता हूं--

"एक प्रतिबन्ध यह है कि.....

श्री अध्यक्ष--अभी तो आप संशोधन पर बोल रहे हैं उस संशोधन को अभी आप नहीं ला सकते।

श्री राजनारायण—ठीक है श्रीमन्, वह बाद में कर दिया जायगा। जो संशोधन मैं पेश करना चाहता हूं उसकी मंशा यह है कि अगर किसी जिले में उसकी आवश्यकता नहीं है तो जो भूमि संरक्षण समिति नियुक्त हो उसमें जिले के विधान सभा के सम्मानित सदस्य उपस्थित हों और यदि उस जिले के समस्त विधान सभा के सदस्य कमेटी जिला की सम्मति लेने पर सर्व सम्मति से यह निश्चय करें कि वहां इसकी आवश्यकता नहीं है तो वहां यह न किया जाय। इससे दो बातें सिद्ध होती है एक तो यह कि सरकार की यह मंशा हो कि आम जनता की मांग पर भूमि का संरक्षण हो जो कि बहुत तेजी के साथ खराब होती चली जा रही है, खेती के लिये उर्वर नहीं हो रही है, कहीं रेगिस्तान हो रहा है, कहीं बालू बढ़ रही है और कहीं पर रेत बढ़ रहा है, वह बन्द होना चाहिये। इन तमाम बातों को जानने के लिये जो प्रान्तीय स्तर पर एक कमेटी केन्द्र में बनाई जायगी वह हरएक जिले के बारे में पूरी जानकारी नहीं रख सकती। यदि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को गहराई के साथ देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि इसमें पावर का डिसेंट्रेलाइजेशन भी है। फिर एक कमेटी को लखनऊ में बैठकर सारे जिलों की पूरी डिटेल्स को मालूम करना नामुमकिन बात है। इस तथ्य को हमेशा के लिये स्वीकार कर लेना चाहिये ताकि इसकी चर्चा बार बार न करना पड़े। अगर किसी जिले में ज्यादा आवश्यकता है, वहां की जमीन ज्यादा रफ्तार के साथ खराब होती चली जा रही है तो जिला कमेटी ऐसी रिपोर्ट देगी लेकिन किसी जिले की कमेटी यह तय करे कि वहां अभी उसकी जरूरत नहीं है तो वहां न किया जाय।

श्री अध्यक्ष—आप तो अपने संशोधन पर बोल रहे हैं। पहले श्री गंगाधर मैठाणी का संशोधन पास हो जाने दें तब आप उस पर बोलें।

श्री राजनारायण—मैं माननीय मैठाणी जी के संशोधन को ही मानने की अपील कर रहा हूं और कह रहा हूं कि मान लेने के बाद उसमें ऐसी व्यवस्था की जा सकती है जिसके मालूम होने से माननीय सदस्य के मस्तिष्क में जो यह शंका हो सकती थी कि किसी किसी जिले में अनुचित रूप से रुपया खर्च होगा वह शंका भी निर्मूल हो जायगी। मैं माननीय राजस्व मंत्री और तमाम माननीय सदस्यों से इस विधेयक की गुरुता और गंभीरता को समझते हुये माननीय मैठाणी जी के संशोधन को स्वीकार करने की अपील करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आचार्य जी ने बतलाया कि बहुत से ऐसे जिले भी हैं जहां इस विधेयक की आवश्यकता ही न होगी। लेकिन जब हम खंड ६ को देखते हैं जिसमें बताया गया है कि भूमि संरक्षण का कार्य किस उद्देश्य से किया जायगा तो हमें मालूम होता है कि उसके ४ उद्देश्य बताये गये हैं- (क) कटाव को रोकने के लिये, (ख) जल-निष्कासन के लिये, (ग) ऊसर भूमि के उद्धार के लिये, (घ) बाढ़ को रोकने के लिये। जहां तक बाढ़ों का संबंध है हमारे प्रान्त में गंगा जमुना आदि बहुत सी नदियां हैं जो बहुत से जिलों में होकर जाती हैं और इन नदियों में बराबर बाढ़ें आया करती हैं। पूर्व में घाघरा आदि नदियों में भी बाढ़ें आया करती हैं। बाढ़ों से उत्तर प्रदेश पर काफी असर पड़ता है। भूमि का कटाव भी हमारे यहां बहुत हो रहा है। पहाड़ी इलाकों की समस्या ही अलहदा है। वहां एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की तरफ कटाव बढ़ता है और कटाव तब शुरू होता है जब पानी पहाड़ पर चढ़ आता है। जो बड़े-बड़े दलदल थे, बहुत सी जगहों पर वे बसा दिये गये हैं इस तरह से बहुत सा कटाव हो रहा है और जहां तक आगरा वगैरह का कुछ जिक्र किया गया है उधर जितनी जमीन है वहां ऊसर बढ़ता जा रहा है, यह सरकारी फीगर है। आपने यह भी कहा कि एक ऐसी कमेटी बनायी गई थी जिसके महाशय जी भी सदस्य थे उस कमेटी की मीटिंग कभी नहीं बुलाई गई। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर राज्य सरकार ने ऐसी कमेटी बनायी थी और उसकी कोई बैठक नहीं बुलाई तो ऐसी कमेटी से अगर माननीय सदस्य इस्तीफा दे देते तो उसका कुछ असर भी पड़ता होता और जो लोग इस कमेटी के सदस्य हैं वे इसके महत्व को भी बहुत बढ़ा देते।

[श्री गंगाधर मैठाणी]

जहां तक माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि जिस जिले के लिये आवश्यक होगा वहां के लिये विधेयक पास कर लिया जायगा तो यह तरीका तो उसी तरह का है जैसे कि माननीय उपाध्यय जी न कहा कि जमींदारी एबालीशन ऐक्ट सारे यू० पी० के ४८ जिलों के लिये बनाया गया था तो फिर उसे यू० पी० के ४ जिलों में क्यों नहीं लागू किया गया। अगर उन चार जिलों में भी लागू कर दिया जाता तो उसमें क्या कठिनाई थी ? जमींदारी एबालीशन ऐक्ट को इन सब जिलों में भी लागू कर देना चाहिये था। इसके लिये एक छोटा सा विधेयक आता और वह पास हो जाता। उसके लिये एक कमेटी भी बनायी गयी थी, उसकी रिपोर्ट भी आ गयी लेकिन अभी तक वह इस सदन के सामने नहीं आया। इस तरह से बहुत से जिलों की उपेक्षा की जा रही है। बहुत से जिलों में बाढ़ के कारण या कटाव के कारण काफी नुकसान होता जा रहा है इसलिए हमने यह संशोधन रखा है और इस पर काफी प्रकाश डाल दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इसके गुरुतम महत्व को समझेंगे औरइ सको स्वीकृत करने की कृपा करेंगे।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो लक्ष्मीरमण आचार्य ने लैंड मैनेजमेंट की जो बात कही उस सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहता हूं। लैंड मैनेजमेंट कमेटी से कुछ ऐसा मालूम होता है जैसे वह मुहकमा माल की कोई कमेटी हो और उस कमेटी की मीटिंग न की गयी हो। जहां तक मुझे मालूम है कम से कम मुहकमा माल की तो ऐसी कोई कमेटी नहीं है जिसके माननीय परिपूर्णानन्द जी और लक्ष्मीरमण जी मेम्बर रहे हों और उस कमेटी की कोई मीटिंग न बुलायी गयी हो। मैं समझता हूं कि गालिबन वह लैन्ड मैनेजमेंट बोर्ड होगा जो फारेस्ट डिपार्टमेंट से शायद संबंध रखता है। आया साल भर उसके मीट करने की जरूरत है या नहीं है यह तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर है कि उसका काम ऐसा नहीं है जो जल्दी जल्दी मीट करे। खैर, मैं लैंड डिपार्टमेंट से मालूम करूंगा कि उसकी मीटिंग क्यों नहीं हुई।

अब दूसरी बात यह है कि इस संशोधन के सिलसिले में तो मैंने यह अर्ज किया था कि जहां भी गवर्नमेन्ट इसकी आवश्यकता समझेगी वहां इसको लागू कर देगी। यह बात ठीक है कि लखनऊ में बैठ कर कोई गवर्नमेंट हो, वह सारे सूबे की बात नहीं जान सकती लेकिन आफिशियल मशीनरी तो सारे सूबे में फैली हुई है और माननीय सदस्य सारे सूबे का प्रतिनिधित्व करते हैं तो अपने अफसरों के जरिये, और अपने दोस्तों के जरिये सारे सूबे की बात मालूम हो ही जाती है। तो गवर्नमेंट भी जहां आवश्यक समझेगी इसको लागू कर देगी। लेकिन माननीय मैठाणी जी और राज नारायण जी चाहते हैं कि लागू तो बाद में कर दिया जाय और जहां जरूरत नहीं है वहां फिर कमेटी मुकर्रर न की जाय। अब इन दोनों मार्गों में कौन सा मार्ग बुद्धि का मार्ग है इसको मैं सदन के ऊपर ही छोड़ता हूं।

अब एक बात मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि माननीय मैठाणी जी ने जो एक बात कही उससे मुझे काफी तकलीफ हुई। वह यह कि उन्होंने कहा कि कुमायूं में जमींदारी इसलिये नहीं खत्म की जा रही है कि कुछ सत्ताधारी लोग वहां की जमींदारी को नहीं खत्म करना चाहते हैं क्योंकि वहां उनकी भी कुछ जमींदारियां हैं। मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी बात है जो किसी भी आदमी को इस सदन में इस तरह की बात हर्गिज नहीं कहनी चाहिये। आपने यह नहीं कहा कि वहां जमींदारी विनाश नहीं हुआ इसलिये वहां के लोगों को नुकसान हो रहा है। यह तो मैं समझ सकता था लेकिन यह कहना कि गवर्नमेंट ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि कुछ लोगों की जमींदारियां वहां हैं यह उनकी नेकनियती का हमला करना है और इस तरह से कोई बहस डिमोक्रेटिक बाडीज में चल नहीं सकती। कैसी जमींदारियां हैं और उसमें क्या कठिनाइयां हैं उसके लिये मैं इस समय समय नहीं ले सकता लेकिन कुल ४६४ जमींदार ऐसे हैं जो २५ रुपये तक मालगुजारी देते हैं और ५२५ मालगुजार ऐसे हैं जो २५ रुपये से ५० रु०

तक मालगुजारी देते हैं और २५० से ५०० रुपये तक मालगुजारी देने वाले जमींदार हैं। ५०० से १,००० रुपये तक मालगुजारी देने वाले जमींदार सिर्फ १३ हैं और १,००० से ऊपर मालगुजारी देने वाला जमींदार इन चारों जिलों में केवल एक है। ९५ फीसदी जमीन हिस्सेदार यानी पक्के और कच्चे खेकरों जिनको हेरीडिटरी राइट्स हैं उनके कब्जे में है। मालगुजारी से केवल १० या २० प्रतिशत मालिकाना लेते हैं, जो हिस्सेदार हैं। तो कुल ४ या ५ फीसदी जमीन ऐसी है जो सीरतानों के कब्जे में है और उन्हीं के मुताल्लिक जमीं-दारियों को खत्म करने का सवाल होता है। तो अब इनके लिये यह कहना कि गवर्नमेंट खत्म करना नहीं चाहती है इसलिये कि कुछ सत्ताधारियों की जमीनें वहां हैं मैं इसके खिलाफ सख्त प्रोटेस्ट करता हूं। मैं इसके संबंध में बहुत सी बातें कह सकता हूं लेकिन इस समय कहना नहीं चाहता। मैं उम्मीद करता हूं कि आइन्दा ऐसी बातें नहीं कही जायंगी। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रतनलाल जैन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो संशोधन हैं जो १९ और १६ पर हैं। पहले मैं १९ को पेश करता हूं।

खंड ५ के उपखंड (१) का भाग (ख) निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(ख) उस क्षेत्र के सिंचाई विभाग का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर यदि एक से अधिक हों तो राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक्जीक्यूटिव इंजीनियर।"

इस समय जो शब्द हैं उनसे यह मालूम होता है कि एक जिला से संबंधित शायद कई इंजीनियर होंगे और उनमें से सरकार किसी एक को नामांकित करे। परन्तु जहां तक मुझे मालूम है एक जिले में तो क्या कई कई जिलों में एक एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर रहता है और यह बिलकुल आवश्यकीय है कि, जो जिस जिले से संबंधित हो वहां का वही एक्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां की जिला समिति में होना चाहिये। यह एक सीधी बात है कि जो उस जिले से संबंधित सिंचाई विभाग का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो वह उसका पदेन सदस्य हो। अगर कहीं ऐसा हो कि सिंचाई से संबंध रखने वाले दो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हों तो उस दशा में सरकार को यह अधिकार हो कि वह किसी एक को नामांकित करदे। इसमें जो सरकार की इच्छा है, वही मैं चाहता हूं। मेरे संशोधन में सिर्फ इतना है कि फजूल सरकार को क्यों कागज चलाने पड़ें जब कि हर जिले में साधारणतया एक ही एक्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है। इसीलिये मेरा यह संशोधन है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मंशा तो मेरी भी यही है कि उसी क्षेत्र से संबंध रखने वाला एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को गवर्नमेंट नामिनेट करे। क्या इस बिल में जो शब्द हैं उनसे कोई आपत्ति है? उसे तो हम करेंगे ही। मान लो आजमगढ़ में हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटी बना दी, तो वहां हम बिजनौर के किसी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को तो नहीं नामिनेट करेंगे। माननीय सदस्य का यह ख्याल हो सकता है कि आगे चल कर हमने डेवलपमेंट आफिसर्स के लिये लिखा है "एरिया कंसर्न्ड"। वह इस वजह से है कि वहां दो चार आफिसर्स हो सकते हैं, इसलिये वहां हमने सफाई कर दी है---"आफिसर आर आफिसर इनचार्ज आफ डेवलपमेंट वर्क इन दि एरिया"। लेकिन इंजीनियर्स के लिये यह बात नहीं थी। इंजीनियर्स का काफी बड़ा

[श्री चरण सिंह]

जुरिस्डिक्शन होता है, गालिबन हर जगह एक ही होगा। ऐसा हो सकता है कि कहीं नहर का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो और कहीं ट्यूबवेल का इंजीनियर हो। लेकिन दोनों की एकही शिक्षा और योग्यता होती है। इस तरह जहाँ ट्यूबवेल्स का होगा वहाँ ट्यूबवेल्स का कर देंगे और जहाँ नहर का होगा वहाँ नहर का कर देंगे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा भी इरादा वही है जो आप का है।

श्री रतनलाल जैन—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रतनलाल जैन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड (५) के उपखंड (१) के भाग (च) के पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"(छ) राज्य सरकार द्वारा नामांकित दो विधान सभा के सदस्य,

(ज) जिले के किसी क्षेत्र में जब कोई भूमि संरक्षण कार्य चालू हो उस क्षेत्र संबंधी विधान सभा का सदस्य।

इस समय जो जिला समिति बनाई गयी है उसमें गैर सरकारी कोई भी सदस्य नहीं रखा गया है। इसमें जितने हैं सब कलेक्टर आदि पदाधिकारी हैं। इसलिये यह जरूरी मालूम होता है कि उसमें जनता का भी कुछ न कुछ रेप्रिजेंटेशन होना चाहिये। एक तो यह हो सकता है कि उस जिले में जितने विधान सभा के सदस्य हों वह सब रख दिये जायं। परन्तु ऐसा रखने से हर एक जिलें में, ५-७ से लेकर १०, १५, २० तक सदस्य हैं, और इस तरह शायद यह संख्या ज्यादा हो जाय। इसलिये मैंने यह रखा है कि सरकार हर एक जिले की जो समिति बनाये उसमें कम से कम दो विधान सभा के सदस्य रख दे और अगर किसी क्षेत्र में काम चालू हो जाय तो उस क्षत्र से संबंधित सदस्य भी उस मामले में उस कमेटी का सदस्य समझा जाय। मेरा यह विचार है कि मेरा जो सुझाव है वह ठीक होगा और मैं समझता हूं कि इसको सब पसन्द करेंगे कि हर जिले में कोई न कोई विधान सभा का सदस्य होना चाहिये, इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को रखता हूं।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय यह है कि इसी आशय का एक संशोधन श्री श्रीचन्द जी का है और एक श्री मैठाणी जी का है। इसलिये उनको भी बोलने का अवसर दे दिया जाय तो अच्छा हो। इसके बाद मैं जवाब दे दूंगा।

श्री रतन लाल जैन—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी निवेदन कर दिया है। हमारे अन्य माननीय सदस्यों के जो इसी संबंध में संशोधन हैं वह भी अपने संशोधन पेश कर दें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष—आप वापस लेना चाहते हैं।

श्री रतनलाल जैन—मैं तो अपना संशोधन रख चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष—उत्तर भी मिल चुका है।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अभी श्री रतन लाल जी ने संशोधन पेश किया है.....

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि एक ही तरह के और भी संशोधन हैं। इसलिये उन सबको इस समय बोलने का अवसर दे दिया जाय। फिर यदि माननीय मंत्री जी एक साथ सबका उत्तर ने देंगे तो समय की बचत हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—अगर मंत्री जी का उत्तर सुन लिया जाय तो कोई बड़ा हर्जा नहीं है।

श्री चरण सिंह—आप बजा फरमाते हैं। जो संशोधन श्री रतन लाल जी ने पेश किया है उससे मिलता जुलता श्री श्रीचन्द जी का संशोधन नम्बर २० पर है। श्री रतनलाल जी चाहते हैं कि विधान सभा के दो सदस्य होने चाहिये और श्री श्रीचन्द जी चाहते हैं कि उस जिले के सब सदस्य हों, श्री कुंवर कृष्ण वर्मा कहते हैं कि प्लानिंग कमेटी के सभी सदस्य हों और २३ नम्बर पर श्री कमला सिंह जी का भी इसी तरह का है और श्री मैठाणी जी तथा श्री रामसुन्दर पाँडेय जी का भी संशोधन कुछ अलग सा है।

श्री गंगाधर मैठाणी—अध्यक्ष महोदय, अभी तो यह संशोधन पेश नहीं किये गये। मंत्री जी इनका उत्तर कैसे दे रहे हैं?

श्री चरण सिंह—मैं तो यह कह रहा हूं कि इसी आशय के और संशोधन भी हैं यह जानबूझ कर एक एक्सपर्ट्स की कमेटी रख रहे हैं। इसमें एक भी गैर सरकारी सदस्य को हमने नहीं रखा है और इसके लिये आगे चलकर क्लाज है। १२ धारा में यह लिखा है कि :—

"यदि योजना मंडल द्वारा धारा ११ के अधीन स्वीकृत हो जाय तो वह राज्य सरकार के पास भेज दी जायगी और जो उसे कलेक्टर के पास जिले में नियत रीति से प्रकाशनार्थ भेज देगी।

"कोई भी व्यक्ति जिस पर योजना का प्रभाव पड़ने की संभावना हो प्रकाशन से ६ सप्ताह के भीतर जिला भूमि संरक्षण अधिकारी के पास नियत रीति से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।"

फिर आगे धारा १३ में दे रखा है कि आपत्तियों का निस्तारण, फैसला, किस तरह से होगा और जो फैसला भूमि संरक्षण अधिकारी देगा इस आपत्ति पर, उसकी अपील धारा १३ की उपधारा (२) में दिया हुआ है कि तीस दिन के अन्दर वह कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लान जो तैयार होगा वह पब्लिसिटी के साथ और हर आदमी जो उससे अफेक्टेड है उसको यह अवसर देने के बाद कि जो आपत्ति उसे है वह पेश करे और उसकी सुनवाई होगी और जो फैसला डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजरवेशन आफिसर देगा उसकी सुनवाई ३० दिन के अन्दर कलेक्टर के यहां हो सकती है।

तो गैर सरकारी सदस्यों के शामिल करने के दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो यह कि वह उस प्लान के तैयार करने में डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजरवेशन कमेटी को मशविरा दे। एक यह उद्देश्य हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष की जो कठिनाई हो वह उसे स्वायल कंजरवेशन कमेटी या डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजरवेशन आफिसर के सामने पेश कर दे और उस कठिनाई को दूर करने की कोशिश की जाय। तो जहां तक प्लान की तैयारी में मशविरा देने की बात है, तो प्लान तो यहां के जो एक्सपर्ट्स हैं वह ही बहतर तैयार कर सकते हैं और जिले की स्वायल कंजर्वेशन कमेटी में सब के सब मौजूद हैं, वह मौके पर सरवे करके अपनी रिपोर्ट स्टेट बोर्ड के पास भेजें। अब स्टेट बोर्ड में पब्लिक के रेप्रेजेंटेटिव्स होंगे जिसमें मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और पांच-छः आदमी लेजिस्लेटिव कौंसिल और असेम्बली से चुने हुए और पांच-छः आदमी और नामजद किये हुए और विशेषज्ञ भी मशविरा देने वाले होंगे। वह उस रिपोर्ट को अप्रूव कर दें और गवर्नमेंट को फार्वर्ड कर दें और एडवाइज करें कि यह एक्सेप्ट करनी चाहिये, किन्हीं संशोधनों के साथ या जैसी कि नीचे से आयी है वैसी की वैसी ही। उसके बाद गवर्नमेंट उसको उसी इलाक़े में पब्लिकेशन के लिए भेजती है।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लानिंग की तैयारी का जहां तक सम्बन्ध है उसमें सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों के संघर्ष और मशविरे के बाद वह चीज निकली

[श्री चरण सिंह]

और रिपोर्ट तैयार हुई। अब जो लोकल एम० एल० ए० हुए या गैर-सरकारी आदमी हुए, जितनी कि वे सहायता कर सकते थे उतनी तो इसमें अपार्च्यूनिटी है, लेकिन स्टेट बोर्ड में वह ज्यादा सहायक नहीं हो सकते। इसमें हो सकते हैं कि फलां के खेत पर बन्ध लगना चाहिये, फलां के पास जमीन कम है, उसको हुक्म हो कि दरख्त लगाओ, बजाय बाजरा डालने के। या जो फैलो है उसको जोतने के खिलाफ हुक्म दिया। प्लान के अन्दर रखा गया है कि जितनी कि यहां गली फ़ारमेशन होती जाती है, जमीन कटती जाती है तो बजाय इसके कि बहाव के अनुकूल हल चलाया जाय, उसके प्रतिकूल चलाया जाय, ताकि जमीन न कटे। तो वह यह कहेगा कि ऐसा न किया जाय, क्योंकि पैदावार कम होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्तिगत मामले होंगे उनका रेप्रेजेंटेशन और वेंटिलेशन वह आदमी करेगा जो गैर-सरकारी सदस्य होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह गैर सरकारी सदस्य किसी एम० एल० ए० के हक में नहीं है कि वह किसी ऐसी कमेटी या बोर्ड से असोशिएटेड हो जिसमें उसके कांस्टिट्यूएंट्स सब के सब अफेक्टेड होते हों और हर एक आदमी उसके पास अपनी बात लेकर आये। अगर मेम्बर असेम्बली उनकी बात नहीं मानता है, तो नाराजगी है। और अगर मानता है और बोर्ड या कमेटी के सामने अपनी बात रखता है और अपनी बात समझा लेता है और मजबूर कर देता है कि फलां बात किसान की मानी जाय तो वह प्लान खराब होता है। तो इस तरह से यह काम अच्छा नहीं होगा और हमारा मतलब पूरा नहीं होगा। अगर एम० एल० ए० साहब किसी असर में न आयें और या परवाह न करें कि कौन नाराज या खुश होता है तो उपाध्यक्ष महोदय मैं यह अर्ज करूंगा कि तमाम कांस्टीटयूएंट्स के दबाव का मुकाबला करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। अमल में बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं इस वजह से कि कहीं लोग नाराज न हो जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, चन्द दिन हुए जो पहले असेम्बली थी उसके कुछ मेम्बरान हर जिले में लाइसेंसिंग कमेटीज के मेम्बर्स बनाये गये थे। उसमें सवाल होता था कि किस को लाइसेंस दिया जाय। कितनी ही ईमानदारी से तय किया जाय कि वह आदमी लाइसेंस का मुस्तहक है, इसको दिया जाय तब भी इलेक्टेड मेम्बर्स की बदनामी हुई और मेम्बर्स का ही तकाजा हुआ कि उनको मेम्बर न रक्खा जाय। लिहाजा यह आर्डर हुआ कि इस तरह की लाइसेंसिंग कमेटीज का कोई एम० एल० ए० मेम्बर न होगा। जो सेलरीड आफिशियल्स हैं, जिनका भविष्य किसी के वोट पर निर्भर नहीं है वे ही उस काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो जनहित के हैं। लेकिन व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बहुत से लोगों को अप्रिय होते हैं, उनके एकनामिक इंट्रेस्ट पर असर पड़ता है। तो हर आदमी अपने संकुचित दृष्टिकोण से उसको देखता है। तो यह स्कीम जिस इलाके में लागू होगी हजारों किसान इससे एफेक्टेड होंगे। सबको कुछ न कुछ करना पड़ेगा कि फलां तरह की खेती करो, फलां तरह की मेड़ बनाओ, इसमें सरकंडा या मूंज हो। इस तरह की सैकड़ों चीजें करनी होंगी। यह काम हम जनहित में समझ रहे हैं और इसलिये हम उसे कराना चाहते हैं और इसीलिये उसका विधेयक पेश किया। तफसील में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन सर्वसम्मति से इसको देखते हैं तो जनहित तो इसमें निहित ही है और जो इंडिविजुअल्स हैं उनका भी अल्टीमेट इंट्रेस्ट इसमें है, लेकिन जो इमीडियेट इंट्रेस्ट है उसमें कुछ को एडवर्स एफेक्ट हो सकता है। तो मैं फिर दोहराता हूं कि अगर सब की बात सुनी जाती है और कोई कमेटी में इस तरह का संशोधन करा देता है तो प्लान बिगड़ जाता है। नहीं कराता है तो इस तरह का

रिस्क लेता है कि वह अनपापुलर हो जाय। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इस तरह का रिस्क उठाने को तैयार हों।

जहां तक हर आदमी को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिये इसका ताल्लुक है वह रूल इसमें रख दिया गया है कि कोई भी आदमी जो प्लान से एफेक्टेड है आब्जेक्शन करे और अगर उसके डिसीजन से सेटिसफाइड न हो तो कलेक्टर से अपील करे, लेकिन प्लान लोकल आफिसर्स बनायेंगे। लेजिस्लेचर के मेम्बर्स उसके मेम्बर हों या न हों वे पब्लिक के नुमाइंदे तो हैं ही, कलेक्टर के यहां जा कर वह कह सकते हैं, यहां आकर मिनिस्टर से कह सकते हैं। उनकी शिकायत तो सुनी ही जायगी। फिर कोई भी शिकायत होती है बिना किसी कमेटी के या बोर्ड के मेम्बर के वग़ैर क्या उसकी सुनवाई होती नहीं। लेकिन यह उनके इंट्रेस्ट में नहीं है कि उनको बोर्ड का मेम्बर रक्खा जाय। लोकल मंडल जो है वह प्योरली एक्सपर्ट्स का है और ऊपर का जो स्टेट मंडल है वह प्योरली नान आफिशियल्स का है। आफिशियल्स बेशक उसको एडवाइस करेंगे।

तो यह स्कीम हमने इस बिल में रक्खी है। इसलिये जितने भी संशोधन इस आशय के हैं कि गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करें ख्वाह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर हों, ख्वाह वह उस इलाके के लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर हों या उस इलाके के लोगों द्वारा चुने गये हों या प्लानिंग कमेटी में गैर सरकारी सदस्य रखे गये हों, उनको उसमें नहीं रखा गया है। इसलिये मैंने जानबूझ कर उसमें नहीं रखा है।

अब जब सेलेक्ट कमेटी में यह बिल गया था उसमें वहां पर बहस हुई थी। वहां पर कमेटी में बहस के बाद जहां तक मुझे याद है सर्वसम्मति से यह तय हुआ था कि यह ठीक है। इसमें उनको रखने से कोई फायदा नहीं है। इन अलफाज के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा यह करता हूं कि माननीय मित्र जिनका यह प्रस्ताव है वह इसको वापस ले लेंगे और दूसरे सज्जन भी इस आशय का प्रस्ताव यहां पर पेश नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय मंत्री जी ने अब सरकार का दृष्टिकोण बतला दिया है। इस सम्बन्ध में जितने संशोधन हैं उनमें माननीय सदस्य अपने संशोधनों को पेश करने का विचार न करें और वह अपने विचार यों ही प्रकट कर लेवें तो अच्छा है। अगर वह संशोधन न दें तो भी उनको बोलने का समय दिया जा सकता है।

श्री रतनलाल जैन—मैंने जो संशोधन रखा था उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है और जिस दृष्टिकोण को बतलाया है मैं उस दृष्टिकोण की वैल्यू करता हूं कि यह इस दृष्टि से जरूर अच्छा होगा। अगर गैर सरकारी आदमी उसमें रखे गये तो वह बदनाम हो जायंगे इस कारण कि जितना खर्चा होता है वह लाभार्थी को देना पड़ता है वह इससे नाखुश होंगे और इसका असर हमारे सदस्यों के ऊपर पड़ेगा। इस दृष्टिकोण में काफी वजन है इस लिए मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (च) के बाद निम्नलिखित भाग (छ) व (ज) बढ़ा दिये जायं—

"(छ) ५ अन्य सदस्य, जिसमें २ जिले के विधान सभा के सदस्यों द्वारा, ३ जिले के गांव समाज के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होंगे,

(ज) २ सदस्य जो भाग (क) से (छ) तक के व्यक्तियों द्वारा कोआप्ट किये जायेंगे।"

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

जिला समिति को इस धारा के द्वारा निर्वाचित करने का सुझाव है। उसमें कहा गया है कि प्रथम कलेक्टर, दूसरे इंजीनियर, तीसरे उस क्षेत्र के विकास अफसर और अन्य अफसर इस कमेटी के सदस्य होंगे।

मंडल में जो सदस्य रखे गये हैं उसमें बहुत से ऐसे आदमी हैं, जो गैर सरकारी हैं किन्तु जिला समिति में केवल सरकारी आदमी ही रखे गये हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा कि सरकारी कर्मचारी ठीक तरह से नक्शा मंडल में भेजेंगे और मंडल की राय से जिला समिति के प्रस्ताव को रद्द या स्वीकृत किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि विधान मंडल के सदस्य बदनाम हो जाते हैं ऐसे कामों में। लाइसेंसिंग कमेटीज का उदाहरण उन्होंने पेश किया। मुझे बड़ा दुःख हुआ जब माननीय राजस्व मंत्री जी के मुखारबिन्दु से यह सुना। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो माननीय सदस्य जिला समिति में ईमानदारी से सुझाव देंगे और जिला समिति बहुमत से जो राय मंडल में भेजेगी, यहां भी ईमानदारी से, मंडल से उसे स्वीकृत करेगी, तो आपत्ति नहीं होगी नियोजन करने में। मैं यह भी मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कोई सम्मानित सदस्य अपने क्षेत्र की जनता के फायदे के काम में किसी व्यक्ति विशेष के बहकावे या प्रभाव में आकर अपनी सही बात जिला समिति के सामने नहीं रखेगा। इसमें केवल सरकारी आदमी ही होने के मानी हो जाते हैं कि विधान सभा के सदस्यों पर सरकार का विश्वास नहीं है। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सरकारी कर्मचारी ही जनता की सही नीयत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं समझता हूं कि उस तरफ के बैठे हुए काफी ऐसे सम्मानित सदस्य होंगे जो हमारी राय का समर्थन करेंगे। बहुत से ऐसे काम काज जिले में हैं जो वहां के कर्मचारी सरकार के इरादों के प्रतिकूल काम करते हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी की नीयत पर हमला नहीं करता। लेकिन मैं प्रतिदिन यह देखता हूं कि सरकारी बेंचों पर बैठने वाले लोग जिला समिति की राय की उपेक्षा कर मंडल में जहां पर केवल सरकार का ही बहुमत है, अपनी इच्छा के अनुकूल काम करा सकते हैं। यह प्रजातंत्र का गला घोंटना होगा और इससे जनता की बहुत हानि हो सकती है। इसी आशय का प्रस्ताव कुंवर कृष्ण वर्मा जी का भी है। हर जिले में प्लानिंग कमेटी, कोआपरेटिव कमेटी, आबकारी कमेटी आदि हैं। प्लानिंग कमेटी के मेम्बरों में सरकारी कर्मचारी और वहां के तमाम एम० एल० एज० और एम० पी० भी होते हैं। यह सत्य है कि जहां जनकल्याण की बात आती है वहां पर प्रत्येक सदस्य ईमानदारी से हिस्सा लेते हैं और चाहे वे प्रत्येक बैठक में हिस्सा न लेते हों। जो कुछ भी कमेटी बहुमत से तय करती है उसी में जनता का लाभ होता है। लाभार्थी को जिला समिति के निर्णय के विरुद्ध कलेक्टर के यहां अपील करने का अधिकार विधेयक में दिया गया है। इसमें किसानों को बहुत कष्ट और खर्चा उठाना होगा। तथा उनके कामों का हर्जा अलग से होगा। इस प्रकार सहूलियत न पैदा करके प्रत्येक परेशानी के आलम में घुमाया जायेगा। इस परेशानी से बचाया जा सकता है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका कलेक्टर के यहां आकर निवेदन करना बहुत मुश्किल है।

श्री चरण सिंह---ऐसी बात नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---इसलिये मैं कह रहा हूं कि इन सारी दिक्कतों को दूर करने का मुख्य सुझाव जन प्रतिनिधित्व है। ग्राम समाज को ही ले लीजिये। श्रमदान सप्ताह रहा। बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो सड़क निर्माण में भाग लेना नहीं चाहते थे लेकिन उनको उसके लिये राजी कर लिया गया। गांव सभा के सभापति और एम० एल० ए० का, जो उस क्षेत्र का होता है, उसके कहने का बड़ा असर पड़ता है।

ये जनता के चुने हुए आदमी समझा बुझा कर ही बहुत से मसलों को हल कर दिया करते हैं। हमारे जिले में बहुत से मसले हम लोगों ने आपस में ही मिल कर फैसला करा दिये। अतः ऐसा कर देने से सरकार को अपनी इस योजना में बहुत सहायता मिलेगी और हमने जो संशोधन रखा है वह माननीय राजस्व मंत्री के हाथ को मजबूत करेगा। उससे मंत्री जी को कोई परेशानी नहीं होगी और सरकार का काम शांति के साथ चल सकेगा। प्रान्त में जो काम इस तरह से होगा वह शाँतिपूर्वक और सुचारुरूप से होगा। मैं विश्वास करता हूं कि राजस्व मंत्री जी हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने रक्खा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसकी आवश्यकता इसलिये बढ़ जाती है कि अगर उसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि नहीं होगा और अगर कहीं इरोजन हुआ और सरकारी अधिकारी ने उसकी खबर नहीं दी तो बड़ी गड़बड़ होगी जैसा कि अल्मोड़ा जिले में हुआ है। मैं अपने ही जिले की बात इसलिये कह रहा हूं कि क्योंकि मैं ज्यादातर वहीं रहता हूं और वहां की मुसीबत को जानता हूं। इस बार रामगंगा नदी की बाढ़ से वहां बहुत से खेत बह गये और ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है कि अगर इस साल जून के महीने तक मरम्मत नहीं की गयी तो अगले साल जहां आदमी बसते हैं उस स्थान के भी बह जाने का अंदेशा है। गंगा की जमीन खत्म हो चुकी है लेकिन दुःख इस बात का है कि वहां की चर्चा तक कलेक्टर महोदय ने नहीं की। अगर कोई जगह भी ऐसी बात हो और सरकार को कोई सूचना भेजी जाय तो बड़ी मुश्किल हो जायगी। श्रीमान् जी हमें शौक नहीं कि हम कमेटियों के मेंबर बने रहें। और फिर हम लोगों का तो नम्बर ही न आयेगा क्योंकि छांट कर लोग भेजे जायंगे। न मेरा नम्बर आयेगा और न रामसुन्दर जी पांडेय का ही आयेगा। हां, टेहरी-गढ़वाल में महाराज कुमार बालेन्दु शाह जी का नम्बर आ सकता है क्योंकि वहां कोई कांग्रेसी मेम्बर नहीं है।

श्री चरण सिंह--छटे हुओं में तो आपका नम्बर आ जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मेरा छटों से वह मतलब नहीं है जो कि माननीय राजस्व मंत्री समझ रहे हैं। यह बिल जो आ रहा है इसकी मंशा बहुत अच्छी है और हम उसमें पूरा-पूरा सहयोग देना चाहते हैं। जो जमीन बरबाद हो रही है उसको बचाया जाय और आबाद किया जाय वह बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इससे उस उद्देश्य की पूर्ति होगी या नहीं, वह जमीन बच सकेगी या नहीं इसमें उस समय तक संदेह है जब तक कि उसमें कोई जनता का प्रतिनिधि न हो। न मालूम क्या बात है मंत्री जी क्यों हम लोगों से इतना नाराज हैं। माननीय मंत्री जी की निगाह में इस विधान सभा का कोई भी सदस्य ठीक नहीं है, क्या सब नालायक हैं। क्या हम लोग उन सरकारी अफसरों और कलेक्टर से भी बुरे हैं। तो आखिर जब इतना इरोजन हो रहा है तो समस्या का हल कोई होगा ही। मुझे तो आशा है कि सारी जमीन मेरे ही इलाके की बह रही है। और अगर कोई भी कमेटी बनी तो उसमें मैं भले ही न लिया जाऊं लेकिन मैं लड़ कर उसमें चला जाऊंगा। लेकिन कुछ बने तो, उसके लिये कुछ प्रोविजन तो हो। अगर मैं कलेक्टर साहब से कहूंगा कि हमें भी इसमें रख लें तो वे कह सकते हैं कि जिस वक्त कानून हाउस में बन रहा था उस वक्त आपने हाउस में इस सवाल को क्यों नहीं उठाया था। तो इस समय इसीलिये मैं यह कहने के लिये खड़ा हुआ हूं ताकि मुझे कोई दोष न दे कि तुमने हाउस में इसकी कोई चर्चा ही नहीं की। इसलिये बहुत ज्यादा लालच न होते हुए भी इस कमेटी के महत्व को समझते हुए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि इस संशोधन को माननीय

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

मंत्री जी मान लें। इसमें आप किसी भी सदस्य को रख लें, अगर कोई मंत्री भी इसमें हो जाय तो हमें इस बात की तसल्ली होगी और हमारा एक छंटा हुआ मेम्बर उसमें पहुंच जाय तो भी मेरा काम बन जायगा। इसीलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को हम लोगों के ऊपर कुछ तो विश्वास आये, अगर हम लोगों पर विश्वास न हो तो उधर के लोगों का विश्वास तो होना ही चाहिये। किसी के ऊपर विश्वास हो, यह मैं नहीं कहता कि सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य ही वहां जायं। विधान सभा का भी सदस्य छांट कर वहां भेज दिया जाय, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि तो वहां अवश्य ही होना चाहिये। इन अफसरों को मैं जनता का प्रतिनिधि नहीं समझता हूं। जब तक कोई हमारा आदमी वहां नहीं जाता है कोई भी बात या हमारी सलाह कमेटी के सामने नहीं रखी जा सकती। सब का एक गुट हो जायगा। इन चन्द शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस कमेटी के सिलसिले में संशोधन के मुताबिक किसी तरह से कुछ न करें तो कोई और संशोधन दें जिसमें जनता के प्रतिनिधि इस कमेटी में आ सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे सामने जो श्री रामसुन्दर जी पांडेय का संशोधन है इसके सम्बन्ध में जो कुछ माननीय मंत्री महोदय ने कहा उसको सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य और कुछ हद तक दुःख भी हुआ। माननीय मंत्री महोदय की मुख्य बहस यह थी कि यदि इस विधान सभा के सदस्य इस समिति के सदस्य बनाये जायं तो उसके फलस्वरूप सम्भवतः, उनका शब्द इससे भी बढ़ा था कि उन्हें यह भय था कि यदि इस विधान सभा के सदस्य इस समिति के सदस्य बना दिये जाते हैं तो उनका बदनाम होना एक प्रकार से आवश्यक हो जाता है। जहां तक यह विचार है, मैं इससे बहुत हद तक सहमत हूं कि कोई भी सदस्य इस समिति का या इस प्रकार की किसी भी समिति का सदस्य बन जायगा तो चाहे वह कितनी ही ईमानदारी का काम क्यों न करे फिर भी चूंकि वह हर एक की मांग की पूर्ति नहीं कर पायेगा इसलिये जिसकी मांग की पूर्ति वह नहीं कर पायेगा उसका फल यह होगा कि वह उससे नाराज हो जायगा और उसका दुष्परिणाम उस सदस्य के ऊपर होगा। मगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बहस है इसके महत्व को नहीं समझा गया है। जनतंत्र राज्य की यह जिम्मेदारी है कि जब हमारे ऊपर जनता ने अपने प्रतिनिधित्व का भार डाल रखा है तो हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि ईमानदारी के साथ किन्तु निष्पक्ष और निर्भय होकर हम अपना काम पूरा करते जायं। इस प्रदेश के एक मंत्री महोदय के मुंह से यह सुनना कि क्योंकि हम लोग कोई सदस्य यह नहीं चाहते कि वह जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा पावेगा तो इसलिये उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी न डाली जाय, मैं कहना चाहता हूं कि यह जनतंत्र राज्य का युग है और इस युग में यह कहना कि जनता ने जिस प्रतिनिधि को यहां भेजा या जनता जिस व्यक्ति के ऊपर अपना भरोसा प्रकट करे उस व्यक्ति को सरकार किसी कारण से जनता का प्रतिनिधि स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है, यह एक बहुत ही गलत सिद्धान्त की बात है। चाहे सही हो या ग़लत किन्तु जब कि जनता ने इस सदन में और इस प्रकार के विभिन्न सदनों में अपने प्रतिनिधियों को भेजा है और सरकार का यह कहना कि हम इन प्रतिनिधियों की राय किसी विषय पर और खास तौर पर ऐसे विषय पर जिसका ताल्लुक जनता से है लेना अनावश्यक समझते हैं, यह सरकार की तरफ से एक ग़लत बात है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात पर फिर से विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसी बात पर विशेष कर बोलना आवश्यक समझा कि जो भय मंत्री महोदय ने इस समिति की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रकट किया वह और भी

समितियों की कार्यवाही के सम्बन्ध में पाई जाती है। मैं और जिलों के बारे में नहीं कह सकता किन्तु टेहरी-गढ़वाल जिले में जो प्लानिंग कमेटी काम करती है उसकी बात कहता हूं। क्योंकि टेहरी-गढ़वाल में कोई जिला बोर्ड नहीं है इसलिये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के हाथ में जो ग्रान्ट और जिलों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दी जाती है वहां डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को दी जाती है। इस सम्बन्ध में जो भय मंत्री महोदय ने प्रकट किया वह सही हो सकता है और मैं यह मानता हूं कि बहुत हद तक वह काफी सही भी है। हमारी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में इस विधान सभा के सदस्य भी हैं और उनके अलावा जनता के और प्रतिनिधि भी इस कमेटी के मेम्बरान हैं और जो कुछ पैसा सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को पहुंचता है उसका बटवारा किसी न किसी सिद्धान्त पर होता है किन्तु यह शिकायत हमेशा रहती है कि फलां एम० एल० ए० साहब ने या फलां आदमी जो उस समिति के सदस्य हैं अपने ही गांव की तरफ उस सरकारी पैसे को ले जाते हैं। तो जो भय मंत्री महोदय का है वह सही है लेकिन मेरा कहना यह है कि इस भय के कारण जो कदम मंत्री महोदय उठाने का विचार इस समय कर रहे हैं वह गलत कदम है और उससे हमारी और भी बदनामी होगी और हमारे ऊपर जनता और भी नाराज हो जायेंगी। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय ने जो भय प्रकट किया है वह अपने अनुभव से किया है, लेकिन उनका वह अनुभव अपने ही दल के सदस्यों के बारे में हो सकता है। यदि किसी सदस्य के बारे में उनको शिकायत रही हो तो उसका केवल एक ही उपाय हो सकता है कि वे समिति में ऐसे सदस्यों को भेजें, ऐसे सदस्यों का निर्वाचन क्रमानुसार हो जिनका वहां रहना किसी न किसी रूप में फलदायक सिद्ध हो।

मैं रामसुन्दर जी पांडेय के संशोधन का समर्थन करता हूं और सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी कार्यवाही न करें जिससे एक प्रकार का रिट्रोग्रेड स्टेप उठ जाय। जनतंत्र में जनता का असोसियेशन यदि न हो पावे तो जनता के प्रतिनिधियों का असोसियेशन सरकार के काम के चलाने के सम्बन्ध में रहना आवश्यक है और यदि किसी भी कारण सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है, खुद अपने ही अपने हाथों में काम चलाने का जिम्मा लेती है तो यह ग़लत बात है। डिमोक्रेसी का वर्णन इन शब्दों में किया गया है कि "It is a Government of amateurs"। यह बात बहुत हद तक सही है। आज हमारे मंत्री महोदय मंत्रिपद पर बैठे हुये हैं और कल वे मंत्री नहीं थे किन्तु मंत्री होने के बाद वे एक प्रकार से उस विभाग के एक्सपर्ट गिने जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि जिन सरकारी कर्मचारियों का नाम लिया गया है उनका उसमें रहना अनावश्यक है। उनका रहना बहुत आवश्यक है। इन अमेच्योर्स के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में टेक्निकल एडवाइस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है मगर टेक्निकल एडवाइस के साथ-साथ जनता की इच्छा क्या है इसका भी पता रखना हमारे लिये बहुत आवश्यक है। इस-लिये इन शब्दों के साथ मैं श्री रामसुन्दर जी पांडेय के संशोधन का समर्थन करता हूं और सरकार से यह आशा करता हूं कि वह इस समिति में क्या हर एक समिति में जनता को असोसिएट करे और जहां संख्या के कारण या किसी और कारण जनता का असोसि-एशन संभव न हो तो जनता के चुने हुये रेप्रिजेंटेटिव्ज को असोसिएट करे।

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामसुन्दर जी पांडेय द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हम इस भावना की क़द्र करते हैं जैसा कि मान-नीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि जिले के विधान सभा के सदस्यों के रहने के कारण वह जनता के लाभ के लिये बहुत सी योजनाओं को कार्यान्वित करने में असमर्थ होंगे, क्योंकि यह देखा जाय कि जनता को नाखुश करना एक प्रतिनिधि नहीं चाहता चाहे उसके भले के लिए हो चाहे उसके बुरे के लिये हो। इस भावना को कद्र करते हुए भी श्री रामसुन्दर पांडेय ने जो संशोधन रखा है उसमें यह नहीं है कि विधान सभा के सदस्य ही होंगे।

[श्री गंगाधर मैठाणी]

उसमें तो यह है कि ५ अन्य सदस्य भी जिला समिति में होंगे, जिसमें २ जिले के विधान सभा के सदस्यों द्वारा, ३ सम्बन्धित क्षेत्र के ग्राम पंचों द्वारा निर्वाचित होंगे । यह नहीं है कि वह ग्राम पंच ही होंगे या विधान सभा के सदस्य ही होंगे। संशोधन में यह कहा गया है कि नानआफिशियल होंगे और विधान सभा के सदस्यों द्वारा और ग्राम सभा के पंचों द्वारा वह नियुक्त किये जायंगे।

दूसरे भाग में यह है कि २ सदस्य भाग (क) से (छ) तक के व्यक्तियों द्वारा कोआप्ट किये जायंगे। इसमें जो ५ सदस्य नान आफिशियल होंगे और जो आफिशियल शायद कलेक्टर आदि होंगे, उन सब के द्वारा वह कोआप्ट किये जायंगे। इस प्रकार इस संशोधन की यह भावना है कि आफिशियल और नान आफिशियल दोनों के कोआपरेशन से यदि जिले के अन्दर कोई ऐसे विशेषज्ञ समझे जायंगे जो कि उस योजना के सफल बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखते हों, तो उनको कोआप्ट किया जायगा। इसलिये माननीय मंत्री जी ने जो अपना भय प्रकट किया है कि विधान सभा के सदस्य अपने एलेक्टोरेट को खुश करने के लिये ऐसा करने में असमर्थ होंगे, वह भय भी नहीं रहता है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पाक संशोधन को स्वीकार कर लेंगे ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने रखा है मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज ही ऐसा अवसर आया है जब मैंने सोशलिस्टों के द्वारा प्रस्तावित किसी संशोधन का अनुमोदन किया है क्योंकि बिना पब्लिक रिप्रिजेंटेशन के इसमें जनता का जो हित निहित है, मेरी समझ में उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती। उसके कई कारण हैं। यदि अधिकारी वर्ग के ऊपर ही हम जमीन का सुधार छोड़ते हैं तो हमरा काम नहीं चलेगा। हम यह जानते हैं कि आज अधिकारी वर्ग कितना अकर्मण्य हो रहा है, वह कुछ करना नहीं चाहता है। ऐसी दशा में जब तक पब्लिक का कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं होगा, मेरी समझ में यह भूमि संरक्षण की समिति जो अधिकारियों द्वारा बन रही है कोई काम नहीं कर सकेगी।

दूसरी चीज यह है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा अधिकारी वर्ग में इस समय भ्रष्टाचार अधिक बढ़ा हुआ है। अधिकांश जमीन भूतपूर्व जमींदारों के ही कब्जे में है। सैकड़ों बीघा जमीन पर वह नाजायज कब्जा अब भी किये हुये हैं। उस जमीन की रक्षा होनी चाहिये। लेकिन अगर जनता का प्रतिनिधि उस समिति में नहीं होता है तो वास्तव में जैसा कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम का मंशा है वह निरर्थक हो जाता है और प्रजा का हित और कल्याण होने की सम्भावना नहीं रहती। वास्तव में जो अधिनियम बन रहा है उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेशन न होने से उसका गला घोंटा जा रहा है क्योंकि जनता का प्रतिनिधि ही जनता की सच्ची मांग को पेश कर सकता है। अधिकारी वर्ग क्या कर सकते हैं वह तो आज यहां हैं कल दूसरी जगह चले जाते हैं । इसलिये वह स्थानीय परिस्थिति को नहीं समझ सकते हैं। बुन्देलखंड में कटाव हो रहा है इसलिये बुन्देलखंड के एक प्रतिनिधि की हैसियत से जो संशोधन रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उसको अवश्य स्वीकार करेंगे क्योंकि इस सम्बन्ध में अधिकांश सुझाव कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी दिये हैं।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री रामसुन्दर पांडेय ने रक्खा है मैं उसका समर्थन करने के लिये यहाँ खड़ा हुआ हूं। इस संशोधन में वह चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने जो ६ आदमियों की एक भूमि-संरक्षण कमेटी

जिलों में काम करने के लिये बनाई है उसमें कुछ और लोगों को बढ़ा दिया जाय और उसकी संख्या १३ कर दी जाय। जितनी कमेटीज और सब-कमेटीज बनती हैं उनके सदस्यों की तादाद अधिकतर ५, ७, ११, १५ इत्यादि होती है। जब राजस्व मंत्री जी ने ६ आदमियों की कमेटी रक्खी है तो इससे साफ मतलब निकलता है कि आपने गुंजायश रक्खी है कि अगर कोई सदस्य संशोधन रखें तो उसे स्वीकार कर लिया जाय।

राजस्व मंत्री जी ने अभी श्री श्रीचन्द जी के संशोधन पर अपने विचार व्यक्त करते हुये यह कहा कि यदि इसमें क्षेत्र के एम० एल० एज० रहेंगे तो इस बात की सम्भावना है कि वह बहुत जल्द बदनाम हो जायंगे और चुनाव में जनता विरोध करने लगे। इससे वह जीत नहीं सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान सदन की पिछली कार्यवाही की ओर तो ले जाना नहीं चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि बार बार विरोधी पार्टी पर इस बात का लांछन लगाया जाता है कि विरोधी पार्टी किसी संशोधन द्वारा अपने राजनीतिक दृष्टि ही प्रस्तुत करती है फिर राजस्व मंत्री जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं उसके अनुसार उन्होंने दो मतलब लगाये हैं। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि "राज्य के सामने बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने की समस्या है, अतः यह आवश्यक है कि उत्पादनशील भूमि का प्रत्येक एकड़ नियोजित रूप से प्रयुक्त किया जाय और उसे हीनत्व और पतन से रहित किया जाय।" यह तो उद्देश्य है। इसमें नीचे लिखा है कि "न केवल उसकी जोत की उत्पादनशीलता कुप्रभावित होती है बल्कि पास पड़ोस की जोतों का भी ह्रास होता है।" इसलिये इस विधेयक के लाने की आवश्यकता पड़ी। इसके अनुसार ६ आदमियों की कमेटी बनी है। वह क्या करेंगे ? जिला अधिकारी उसके किसी भाग के लिये भूमि संरक्षण योजना तैयार करेंगे और (ख) के अनुसार उपाय और साधन निकालेंगे। यह काम इस कमेटी का होगा। इसमें माननीय मंत्री जी को शुबहा है कि अगर जिले के तथा विधान सभा के अगर एम० एल० एज० इसमें होंगे तो वह बदनाम हो जायंगे। क्या उनको इस बात का शुबहा नहीं है कि यह जो ६ आदमियों की कमेटी होगी जिसका काम है उपाय और साधन निकालना तो क्या सरकार द्वारा जो पैसा उसमें व्यय हेतु प्राप्त होगा उसका वह दुरुपयोग करेगी। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इसमें जनता के प्रतिनिधि भी रहें और वह ६ के बजाय १३ की समिति हो, जैसा कि रामसुन्दर जी का संशोधन है। १३ की समिति उस जिले का अच्छे से अच्छे ढंग पर काम करने में अपने को सफल पायेगी। क्योंकि जन प्रतिनिधित्व रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और शंका उपस्थित की गयी है कि बहुमत के खिलाफ यह चीज हो जायगी जब कि इस सम्बन्ध में खेतों में जंगल, पेड़ और बाँध लगेंगे और इसके लिए मेम्बर कहेंगे तो जनता उनका विरोध करेगी। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकतर जमीन जहाँ तक कि मैंने देखा और मेरा अनुमान है, उन लोगों के कब्जे में है जो ज्यादा जमीन वाले हैं और उनकी जमीनें अगर निकलती हैं तो वह किसी एम० एल० ए० या विधान सभा के सदस्य के खिलाफ हो जाते हैं और इसका कोई प्रभाव नहीं होता जिससे राजस्व मंत्री जी को चिन्ता हो जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक और बात कही गयी है और वह यह कही गयी है कि पिछली ऐसी ही कमेटियों का अनुभव राजस्व मंत्री जी को है कि लाइसेंसिंग कमेटीज बनीं और उनमें विधान सभा के सदस्यों की बदनामी हुई। विधान सभा के सदस्यों की बात तो नहीं कहता, लेकिन जो लोग लाइसेंसिंग कमेटीज में आये उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर अपने रिश्तेदारों और बन्धुओं को लाइसेंस दिये और भ्रष्टाचार किया, इसलिए जनता की निगाह में गिर गये।

[श्री रामेश्वर लाल]

माननीय राजस्व मंत्री जी को इसमें क्या शुबहा है कि अगर कोई सदस्य इस कमेटी में पहुंचता है तो वह अपने खेत में बाँध बंधवाने, जंगल लगवाने की योजना प्रस्तुत करेगा? इसमें माननीय राजस्व मंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई भी सदस्य नहीं है जो प्रस्तुत करेगा अपनी क्षति कमेटी में, और न आवश्यकता होगी।

मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इस संशोधन पर पहले बोलना नहीं चाहता था, समझता था कि माननीय राजस्व मंत्री इसकी गम्भीरता को समझते हुये इसको स्वीकार कर लेंगे, मगर मुझे दुःख हुआ माननीय राजस्व मंत्री के तर्क को सुनकर।

श्रीमन्, अगर माननीय राजस्व मंत्री के तर्क का विश्लेषण इस सदन के सम्मानित सदस्य करें तो मुझे इस बात को कहने में तनिक भी संकुचि नहीं होती कि माननीय राजस्व मंत्री इस विधान सभा के अन्दर बैठे हुए तमाम सम्मानित सदस्यों पर बहुत बड़ा लांछन लगाते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधान सभा में जो सदस्य उपस्थित हैं वह स्वतंत्र बुद्धि से काम नहीं करते, क्योंकि उनके ऊपर बराबर अपने निर्वाचन-क्षेत्र के मतदाताओं का दबाव रहा करता है और उस प्रभाव में पड़ कर वह अनर्गल बातें भी किया करते हैं, यही प्रधान तर्क रहा है।

अगर माननीय राजस्व मंत्री कुछ कहना चाहें तो कह लें, क्योंकि बीच-बीच में टोकना मुझे अच्छा नहीं मालूम होता।

तो श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि माननीय राजस्व मंत्री स्वतः भी उसकी व्याख्या करें और जो कहा, उस पर विचार करें। उन्होंने माननीय रामसुन्दर पाँडेय के संशोधन के विरोध में, उसको न मानने के तर्कों में जो प्रधान तर्क रखा, उसको मैं उनके सामने प्रस्तुत करता हूं। तर्क यह था कि उसमें अगर विधान सभा के सदस्य रखे जायंगे तो समुचित रूप से वह अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पायेंगे, क्योंकि यदि उनके क्षेत्र के मतदान उनसे दूसरा काम कराना चाहेंगे, तो सत्य नहीं है, तो वह डर जायंगे और यहाँ तक कहते-कहते माननीय राजस्व मंत्री इतनी दूर तक कह गये कि कहने के लिये चाहे इस सदन में कोई कह ले, मगर राजस्व मंत्री उसको मान नहीं सकते कि किसी क्षेत्र के मतदाताओं के गलत प्रभाव में पड़ कर उस क्षेत्र के प्रतिनिधि गलत प्रभाव में बह नहीं जायंगे।

श्री चरण सिंह—मैंने कहा—बहुत कम होते हैं, जैसे मैं और आप बस दो ही आदमी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी हुई माननीय राजस्व मंत्री ने अपने को भी उसमें गिन लिया। अपने को जब वह खुद गिनते हैं तो उनको दूसरों को भी गिन लेना चाहिए। मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी जब जमीन माननीय मुख्य मंत्री भी बीच में आ गये थे मगर वह चले गये। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी भी रहे होते तो उनकी कैबिनेट के एक सदस्य ने जिन जजबात का इजहार किया उसे वह जरा मुलाहजा फरमाते। मैं ईमानदारी के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि जिस बात को मैं सही समझूंगा, अगर उसके विरुद्ध मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के सारे मतदाता हो जायं, फिर भी मैं उसको गलत नहीं कह सकता। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं अगर सही बात है तो सही को सही कहना चाहिये। किसी प्रवाह में, धमकी में, पुनः न चुने जाने के डर में पड़ कर ग़लत

काम को सही न कहें। मुझे बहुत दुःख के साथ माननीय राजस्व मंत्री के जजबात को सुनना पड़ा। जहाँ तक संशोधन का संबंध है संशोधन तो यहाँ तक जाता है कि जिस क्षेत्र में यह काम हो उस क्षेत्र के गाँव पंचायत के प्रतिनिधि भी लिए जायं। जो डर माननीय राजस्व मंत्री विधान-सभा के सदस्यों के लिए दिखलाते हैं वही डर माननीय राजस्व मंत्री के दिमाग में उन गाँव पंचायत के प्रतिनिधियों के बारे में भी मालूम पड़ता है। इसलिये वह उनको भी नहीं रखना चाहते। श्रीमन् आखिर वह ही क्यों ठेकेदार बन गये सब के ? जब माननीय राजस्व मंत्री को इस सदन के तमाम माननीय सदस्यों के बारे में डर है तो अपने बारे में ही इतना आत्मविश्वास करना ठीक नहीं होगा। फिर जब राजकर्मचारी विधान सभा के दो सम्मानित सदस्यों के रहने मात्र से गलत काम कर जायंगे, तो माननीय राजस्व मंत्री का तर्क यहाँ तक हमें ले जाता है कि वही कर्मचारीगण माननीय मंत्री जी का कृपा पात्र बनने के लए उनके इशारे से गलत काम बराबर करते रहेंगे। जब प्रतिनिधियों के ऊपर माननीय मंत्री जी का विश्वास नहीं है तो हम माननीय मंत्री जी के ऊपर विश्वास कैसे करें ?

मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस वस्तु को गहराई के साथ समझें और कांग्रेस पार्टी के जितने सदस्य हैं वे हमारी पार्टी के ऊपर यह लांछन नहीं लगा सकते कि वह इन कमेटियों में जाना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इन पचास जिलों में केवल चार छः जिलों के सदस्य हमारी पार्टी के हैं। वह सब नहीं चुने जा सकते। जब विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुने जाने की बात कही गयी है तो कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की अनिच्छा से कोई चुन लिया जाय क्योंकि हर जिले में उनका बहुमत है। हमारे बालेन्दुशाह जी बता रहे हैं कि सिवा टेहरी को छोड़ कर। उनको मुबारकबाद और अगर ऐसे ही सब जिले हो जाते तो आज सूबे की हालत बदल जाती। श्रीमन् तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जरा इसको समझने की कृपा करें, वह ऐसा न समझें कि जब मैं समझने के लिए कहता हूं तो उनके ऊपर लांछन लगाता हूं कि वह अक्ल नहीं रखते। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे पहले भी इस किस्म की बातें हो चुकी हैं जिनको मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखकर दे रहा हूं,। माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य जी की हठवादिता से जो चीज पास हो गयी, जो पास होने के बाद भी गलत है, वह "पदेन" का शब्द है। उसको जरा गहराई से समझ लेना चाहिये। मैं पुनः निवेदन करूंगा और इसमें किसी जज्बे में न जाकर, किसी भाव विशेष में न जाकर माननीय मंत्री जी के सामने जो बात रक्खी गयी है उस पर गहराई से विचार करें और माननीय मंत्री जी अगर यह समझते हैं कि उनके कर्मचारी उनकी बात का ठीक तरह से पालन करेंगे तो साथ ही मैंने यह भी कभी नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने कैबिनेट की इच्छा के विरुद्ध कभी कोई काम किया हो। दो तीन सदस्य चुन लिये जायेंगे इस स्कीम में तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी के सदस्य ही चुने जायेंगे, हमारी पार्टी के सदस्य नहीं चुने जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय राजस्व मंत्री जी से कि वह इस संशोधन को कबूल करें और इस संशोधन की गुरुता को समझें जिससे कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध कर रहा हूं। मेरे विचार में यदि विधान सभा के दो प्रतिनिधि या पंचायतों के प्रतिनिधि ले भी लिये जायं तो इस समिति के कार्य में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। इसके अन्दर अगर विधान सभा के प्रतिनिधि नहीं हैं और वे अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उनको हमेशा मौका है। मंत्री महोदय या जिला के अधिकारियों से उस सम्बन्ध में वह कह सकते हैं। दो तीन सदस्यों के वहां पहुंच जाने से कोई ज्यादा मजबूती उसमें नहीं आ जायगी।

एक दूसरा कारण मेरे विरोध करने का यह भी है कि इस विधेयक के खंड ५ के उपखंड २ के अन्तर्गत इस समिति का सभापति होगा एक कलेक्टर। मैं सिद्धांततः किसी

[श्री शिवनाथ काटजू]

ऐसी कमेटी में विधान सभा के किसी सदस्य का बैठना जिसका सभापति कोई आफिशियल हो उचित नहीं समझता। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता के सदस्यों को सर्विसेज के ऊपर माना जाता है लेकिन हमारे यहां पुराना ढर्रा चला आता है और उस ढर्रे के अन्दर बहुत सी कमेटियां ऐसी चल रही हैं जिनमें पुरानी परिपाटी के अनुसार ही काम होता है और हमारी विधान सभा के मेम्बर भी उनके सदस्य होते हैं और कलेक्टर या कोई अधिकारी उनका सभापति होता है। मेरा यह विचार है कि इस सभा के प्रिविलेज का सवाल आ जाता है और जब तक यह उपखंड २ यहां मौजूद है मैं ऐसे किसी संशोधन का समर्थन नहीं करूंगा जिसके द्वारा हमारे विधान सभा के सदस्य भी उसमें रहें और सभापति कलेक्टर हो। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। विधान सभा के दो तीन मेम्बर्स के चले जाने या पंचायतों के सदस्य उसमें रक्खे जायं इससे न तो समिति का काम मजबूत होगा और न कोई रुकावट होगी और उल्टे सिद्धांत का सवाल पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो शक्ल है वही रूप मुनासिब है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय सरकारी पक्ष के सदस्यों द्वारा और इस पक्ष के सदस्यों द्वारा भाषण यहां पर सुनने में आये। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह आशंका उपस्थित की कि आगे चलकर जो लोग इस कमेटी में चुने जायेंगे वे जनता के दिल से उतर जायेंगे या उनसे जनता नाराज हो जायगी। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी इससे डरते हैं कि सरकारी पक्ष के जो सदस्य भूमि संरक्षण कमेटियों में रखे जायेंगे वे वहां जाकर पक्षपात पूर्ण काम करेंगे तो जनता विरुद्ध हो जायगी। यह भी जाहिर किया गया है कि बहुत से सदस्य जो लाइसेंस कमेटी में रखे गये थे उन लोगों ने अपने स्वार्थवश पक्षपात करके लाइसेंस दिलाये। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अगर उनको इसका डर है कि सरकारी पक्ष के सदस्य इन कमेटियों में रहेंगे तो जनता नाराज हो जायगी तो मैं निवेदन करूंगा कि जहां जहां कमेटियों में जन प्रतिनिधियों की जरूरत हो वहां वहां विरोधी पार्टी के सदस्यों को रक्खा जा सकता है। यदि जनता हमसे नाराज हो जाय तो ठीक ही है। आगे उनको काफी मौका रहेगा कि वह इस चीज को बरदाश्त करें। श्री राम सुन्दर पांडेय जी ने जो संशोधन रखा है वह बहुत ही सुन्दर है क्योंकि जो माननीय सदस्य उन क्षेत्रों में चुने गये हैं उनको उन क्षेत्रों की पूरी जानकारी होती है वे रह कर लाभ पहुंचा सकेंगे। बाहर के अगर आदमी वहां पर रखे गये तो उनको जानकारी नहीं होगी, लाभ न हो सकेगा। कुछ ग्राम पंचायतों के द्वारा वहां सदस्य चुने जायेंगे। तो उसमें वह लोग काफी मात्रा में रहेंगे और कुछ सरकारी सदस्य रहेंगे। इस वजह से जो कमेटी बनेगी वह पूर्णरूपेण सफल होगी। वह काम भी कर सकती है। इसलिये पांडेय जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस संशोधन पर अब बहस बन्द की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम सुन्दर पांडेय—श्रीमन्, पहले राजस्व मंत्री जी को बोलना चाहिये तब मैं उसका जवाब दे सकता हूं।

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, जिस वक्त श्रीमान् राम सुभग जी बोल रहे थे तो मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आगयी जो मैंने बचपन में सुनी थी—

"चे खुश चिरा न बूदी, छप्पर पे भैंस कूदी।"

उन्होंने कहा कि अगर माननीय मंत्री जी को यह डर है कि सरकारी पक्ष के एम० एल० ए० के आने से जनता नाराज हो जायगी तो वह अपने आपको पेश कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह दलील ऐसी ही है जैसे छप्पर पर भैंस कूदने की बात। मैंने आगे उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि पहली दलील ही बहुत युक्तिपूर्ण थी। राजनारायण जी, बालेन्दुशाह, रामसुन्दर जी पांडेय और शायद उपाध्याय जी की बातों का मैं जवाब थोड़े में दे देना चाहता हूं क्योंकि मैं यह चाहता हूं कि यह बिल आज ही पास हो जाय। राजनारायण जी ने कहा कि सारे सदन का अपमान है यह कहने में कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी में यहां के सदस्यों का रहना उचित नहीं है। यह अपमान कहां तक है यह इसी से साबित होता है कि जब सैलेक्ट कमेटी में यह बात आयी तो उस पर विवाद होकर सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि इस सदन के माननीय मेम्बरों को रखना उचित नहीं है। तो इसमें अपमान का कोई सवाल नहीं है।

यह कहा गया कि साहेब, नानआफिशियल्स का विश्वास नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ऊपर तो सारे ही नानआफिशियल हैं जो कि प्लान को एप्रूव करेंगे। रामसुन्दर जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग मंत्री से आकर जो चाहेंगे करा लेंगे। और शिकायत होगी तो अपोजीशन के मेम्बरों को होगी। यह माननीय रामसुन्दर जी पांडेय अच्छी तरह से जानते होंगे कि कम से कम ऐसी शिकायत उनको या उनके हमखयाल लोगों को नहीं है। माननीय गेंदा सिंह जी यहां नहीं हैं, अगर होते तो वे भी मेरी बात का समर्थन करते। वही नहीं जितने सदस्य अपोजीशन के हैं कोई सज्जन उनमें से यह बतलाने की कृपा करें कि उन्होंने कोई बात चाही हो और उसकी तहकीकात न की हो। फिर यह चार्ज कि कांग्रेस के मेम्बरों की ही सुनी जाती है, यह दूसरी बात है। बल्कि वस्तुस्थिति तो यह है कि अपोजीशन वालों की बात ज्यादा सुनी जाती है क्योंकि कांग्रेस वालों की बात अगर न भी सुनी जाय तो वे मिसअन्डरस्टैन्ड नहीं करेंगे लेकिन अपोजीशन वालों की ज्यादा आवभगत करनी पड़ती है। एक बात रामसुन्दरजी ने यह कही कि पहले काश्तकार कलेक्टर के पास जाय और फिर मंडल में जाय। मंडल में आने का तो सवाल ही नहीं है। उसे अपनी आपत्ति डिस्ट्रिक्ट स्वायल कनजर्वेशन आफिसर से करनी होगी और फिर यदि जरूरत हो तो कलेक्टर के पास अपील होगी। फिर यह कहना कि किसान कहीं आ जा ही नहीं सकता, यह गलत है। यहां कोई कोर्टफीस या स्टाम्प नहीं है। न कुछ है, न कुछ है, सब दिनरात मुकदमेबाजी करते हैं और बस्ता बगल में दबाये फिरते हैं। हाई कोर्ट तक मुकदमे लड़ाते हैं। तो इस मामले को वे न कर सकें यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो यह कमेटी १३ मेम्बरों की होगी। ६ तो बिल में दिये हुये हैं और ७ ये हो जावेंगे। यह एग्जीक्यूटिव या काम करने वाली कमेटी है। काम करने वाली या प्लान बनाने वाली कमेटी जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा काम होगा। बड़ी कमेटी होने से दिनरात रस्साकशी होगी। मुझे नानआफिशिल्स के रहने से कोई डर नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा था कि जब लोकल इंटरेस्ट्स का कनफिलक्ट होगा तो उस मेम्बर की मुसीबत आ जायगी। मुझे अपने यहां का तजुरबा है। बरसात के दिनों में कई गांवों में पानी भर जाता था। जब कैनाल इंजीनियर ने सर्वे किया तो उसके तहत दूसरे गांव में से नाला जाने की बात थी। दूसरे गांव वाले कहते थे कि हम अपने यहां से नाला नहीं जाने देंगे। तीन साल तक मामला इसी में अटका रहा। दोनों गांव वाले यह समझते थे कि हमारे दोनों के हितों में विरोध है और आपस में फौजदारी की नौबत आ गयी। ऐसी स्थिति में अगर कोई उन दोनों गांवों का नुमाइन्दा है तो वह किसकी बात कहेगा। ऐसी स्थिति में वह एक गंभीर मुसीबत में पड़ जायगा।

इसी प्रकार से नैशनल ऐक्सटेंशन ब्लाक के बारे में बड़ा मतभेद है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कई जिलों में मिली। इसी एक बात को लेकर एम०एल० एज० में कितना डिफरेंस आफ ओपीनियन है और इस बात पर कि नेशनल ऐक्स्टेंशन ब्लाक किधर जाय, कई

[श्री चरण सिंह]

जिलों में आपस में रस्साकशी हो रही है । हरएक आदमी को यह लगेगा कि मेरी कांस्टीटुयेंसी में ज्यादा जरूरत है । उसकी लोकेशन तय करने में बाज-बाज जिलों में कठिनाई पड़ी है ।

एक साहब ने यह कहा कि इस प्रकार से हम डेमोक्रेसी से इंकार करते हैं । बाहर के देशों में जहां भी डेमोक्रेसी है वहां एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के किसी प्रकार के कोई फंकशन एम०एल०एज० नहीं करते हैं, केवल परमानेन्ट गवर्नमेंट सरवेंट ही करते हैं । ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में क्योंकि सही नुमायंदगी नहीं होती थी इसलिये जरूरत थी कि हरएक चीज के साथ एम०एल०एज० को रख दिया जाता था । किसी भी देश में जहां डेमोक्रेसी है वहां कहीं भी एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के कामों में एम०एल०एज० नहीं हैं । यह तो एन० डेमोक्रेसी के उसूल के खिलाफ है । एम०एल०एज को तो सिर्फ लेजिस्लेशन की पावर्स होती हैं और एक्जीक्यूटिव में आने से एक्जीक्यूटिव के काम में एम्बेरेसमेंट होता है ।

एक बात और है कि जहां पर कोई उसूल तय करने की बात है, जहां पर लोकल इंटरेस्ट पर कोई असर नहीं पड़ता, वहां नान आफिशियल्स ही रखे गये हैं । यानी उस स्टेट बोर्ड में जो कोई भी कृषि मंत्री होगा वह पब्लिक का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा । इस तरह २ डिप्टी मिनिस्टर विधान सभा द्वारा निर्वाचित, ३ व्यक्ति एम०एल०सीज० द्वारा निर्वाचित, २ व्यक्ति और राज्य सरकार द्वारा नामांकित, ५ तक व्यक्ति वे वही होंगे जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं फिर भी जैसा मैंने सेलेक्ट कमेटी में भी अर्ज किया था ।

श्री राजनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कुछ एक्सप्लेनेशन चाहता हूं ।

श्री चरण सिंह---पहले मुझे अपनी बात कह लेने दें, फिर आप पूछ सकते हैं ।

मेरी खुद यह ख्वाहिश है कि वहां के लोकल एम०एल०एज० का एसोसियेशन हो जाय । मैं अभी बैठे-बैठे इस बात को सोच रहा था और लीगल रिमेंबरेंसर को बुलाया था कि धारा २७ में जो रूल्स मेकिंग पावर है उसमें अभी मैं एक अमेंडमेंट की नोटिस दिलवा रहा हूं कि ऐसा रूल बना दिया जाय ताकि और लोगों को भी इस स्टेट बोर्ड में एसोसिएट कर लिया जाय, उनको कोआप्ट कर लिया जाय । तो वहां जो १०, १२ नान आफिशियल आदमी होंगे उनमें और लोग भी आ जायेंगे । थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि हमने बुन्देलखंड का कोई जिला लिया तो जो पहला बोर्ड बनेगा उसमें बुन्देलखंड के रिप्रेजेंटेटिव होंगे लेकिन यह जो काम है उसमें सालों लग सकते हैं, एक-एक जिले में पांच-पांच साल तक लग सकते हैं, लम्बे अरसे तक यह स्कीम चलेगी । लेकिन मान लें कि इसको हमने ऐसे जिले में लागू कर दिया जहां कि बोर्ड का कोई रिप्रेजेंटेटिव उस जिले का नहीं है तो उसमें रूल बना देंगे कि जिस इलाके में यह स्कीम लागू होने वाली है वहां के एम०एल०ए० भी स्टेट बोर्ड की मीटिंग में आवें और अपनी राय का इजहार कर सकें । तो जो बात होगी वह एक प्रिंसिपल की बात होगी, यह एक बड़े पैमाने की बात होगी । अभी हमने उसके लिये नोटिस दिलवा दिया है । अगर आप लोग इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लें तो लोकल एम०एल०एज० का भी एसोसियेशन हो जायगा । मैंने केवल इस बात की कोशिश की है कि काम अच्छी तरह से हो सके । विधान सभा के सदस्यों को खामख्वाह बदनाम करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है । कोई भी मेम्बर हो, सोशलिस्ट पार्टी का हो या कोई हो इससे कोई मतलब नहीं है । सोशलिस्ट पार्टी की बात तो यहां पर चलती है, बाहर तो हम आप सब एक हैं और सब को एक साथ मिलकर काम करना ही चाहिये । अगर अखबारों में यहां की प्रोसीडिंग छपने की बात नहीं होती तो इस तरह का यहां भी सवाल नहीं पैदा होता । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी ने कहा था बाद में अगर आप पर्सनल एक्सप्लेशन चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने भाष्य करते हुए जो अभी कहा था कि पदेन उपमंत्री होंगे तो मुझे शंका यह है कि आपने संशोधन मान लिया है तो वे किस पद के उपमंत्री होंगे। यहां दो उपमंत्री हैं नहीं। राजस्व मंत्री जो होगा, चाहे कोई भी हो वह तो जब पहला मंत्री जायगा उसकी जगह पर वह हो जायगा तो वह तो पदेन हो जायगा लेकिन ये कैसे होंगे ?

श्री चरण सिंह--मान लीजिये कि हमारे यहां ७ डिप्टी मिनिस्टर हैं तो उन ७ में से गवर्नमेंट किसी दो उपमंत्री को नामिनेट कर देगी या एप्वायन्टमेंट कर देगी। जहां तक स्वायल कंजरवेशन का सवाल है इसमें एग्रीकल्चरल भी है, फारेस्ट भी है, एनिमल हस्बेंडरी भी है, प्लानिंग भी है, कुछ कुछ रेवेन्यू भी है। एग्रीकल्चर का पहला नम्बर है और फारेस्ट का दूसरा है और प्लानिंग आदि का बाद में है। तो गवर्नमेंट ७ डिप्टी मिनिस्टर में से किसी २ को एप्वायंटमेंट कर देगी। चूंकि ये डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत रखते हैं इसलिए एप्वायंटमेंट लफ्ज से पदेन हो जाता है। मैं आपकी इजाजत से यह बतलाना चाहता हूं कि जिस संशोधन का नोटिस मैंने भेजवाया है वह २७-क इस प्रकार है--"मंडल द्वारा उसका कार्य सम्पादन होने के निमित्त व्यक्तियों का नियोजन अथवा कोआप्शन"। तो यह रूल जब बन जायगा तो जिस इलाके में भी यह प्लानिंग होगी वहां के लोकल एम०एल०ए० को कोआप्ट कर लिया जायगा कि वह मीटिंग में आकर अपनी राय दे सकें।

श्री राम सुन्दर पांडेय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी प्रसन्नता है....

श्री उपाध्यक्ष--आप उत्तर दे रहे हैं ?

श्री राम सुन्दर पांडेय--जी हां।

श्री उपाध्यक्ष--तो मैं यह कह देना उचित समझता हूं कि प्रक्रिया नियमावली के नियम १८५ के खंड (३) के अनुसार मंत्री को ही अंतिम भाषण देने का अधिकार होता है। आपको भी जवाब देने का अधिकार तो अवश्य है मगर अंतिम उत्तर तो मंत्री ही दे सकता है। क्योंकि आप को पहले उत्तर दे देना चाहिये था आपने उत्तर नहीं दिया इसलिये मैं आपको इस समय मौका दिये देता हूं।

श्री राम सुन्दर पांडेय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय काटजू साहब ने जो दलील पेश की है वह तो अजीब है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था कि माननीय सदस्यों का अपमान होगा और वे डर के मारे काम नहीं करेंगे लेकिन काटजू साहब तो उनसे बढ़ कर कह गये। उन्होंने कहा कि जिस कमेटी का प्रेसीडेन्ट कलेक्टर हो उस कमेटी में माननीय सदस्यों का रहना अपमानजनक है। मैं उम्मीद करता था कि माननीय राजस्व मंत्री जी ही इसका उत्तर दे देंगे लेकिन यह मालूम होता है कि माननीय राजस्व मंत्री भी काटजू साहब की राय से सहमत हैं। मेरा ख्याल है कि काटजू साहब को जानकारी अवश्य होगी। सरकार की ओर से हर एक जिले में कमेटियां बनी हैं जिनके प्रेसीडेंट कलेक्टर होते हैं। प्लानिंग कमेटी है जिसके प्रेसीडेंड कलेक्टर हैं, कोआपरेटिव कमेटी है उसका प्रेसीडेंट कलेक्टर है, एक्साइज कमेटी है उसका प्रेसीडेंट कलेक्टर, है मेला कमेटी है, उसका प्रेसीडेंट कलेक्टर आदि सब के प्रेसीडेंट कलेक्टर हुआ करते हैं और मेरा ख्याल है कि सरकार द्वारा माननीय काटजू साहब के पास सूचना भी गयी होगी और वह भी उन कमेटियों में से प्रत्येक के सदस्य होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि काटजू साहब शायद तशरीफही नहीं ले गये होंगे कि इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी हासिल कर लें और जनता के लाभ की बात सोचें। सही बात है, काटजू साहब शहर के रहने वाले हैं और यह काम देहातों में होने वाला है। इलाहाबाद शहर में काम होने वाला नहीं है इसीलिए शायद उनको मुहब्बत नहीं है। देहातों में क्या होता है और सरकारी कर्मचारियों का देहातों में क्या रवैया है इससे काटजू साहब से तनिक भी

[श्री राम सुन्दर पांडेय]

सम्बन्ध नहीं है। काटजू साहब तो यह कहते हैं कि गैरसरकारी आदमियों को रखा जायगा तो मजबूती नहीं होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि माननीय काटजू साहब जो वकील हैं, सभा के सदस्य हैं और बुजुर्ग आदमी हैं, वह कहते हैं कि गैरसरकारी आदमी रखे जायेंगे तो मजबूती नहीं आयेगी। मैं पूछता हूं तो फिर क्या जरूरत थी ४३० आदमियों के यहां इकट्ठा होने की। पहले गवर्नरी शासन था उसमें सात आठ दस ऐडवाइजर्स होते थे। और माननीय काटजू साहब की नजरों में वह इंतिजाम जरूर अच्छा रहा होगा। अगर ऐसी बात नहीं है तो ऐसी दलीलें देना सदन का अपमान करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस संशोधन पर काटजू साहब के अलावा श्री कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री कमला सिंह, श्री बलवन्त सिंह कितने माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने इस संशोधन का किसी न किसी रूप में समर्थन किया है, केवल अनुशासन के भय से उन लोगों ने वापस ले लिया है। लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सिवाय काटजू साहब और राजस्व मंत्री जी के किसी व्यक्ति ने इस हमारे संशोधन का विरोध नहीं किया है। हमें प्रसन्नता है कि इतने व्यक्तियों ने इस संशोधन का समर्थन किया। इसलिये मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस संशोधन को उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। माननीय राजस्व मंत्री जी ने एक बात ऐसी कही और उसे दुहराया भी कि जो बातें प्रवर समिति से पास हुयी हैं उसके लिये यहां पर विवाद करना अनुपयुक्त होगा। जो बातें प्रवर समिति ने २० आदमियों ने तय कर ली उसमें सभी सदस्यों की राय अनुचित हो यह कहना मंत्री महोदय के लिये शोभा नहीं है और न मेरे लिये ही। इस सदन में बैठने वाले हर एक व्यक्ति को अधिकार है अपनी राय देने का और उसे करना भी चाहिये। माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा कि हमने कोई बात ऐसी नहीं कही कि माननीय सदस्यों का अपमान है। अपमान शब्द का प्रयोग हमारे नेता जी ने इसीलिये किया कि आपने यह फरमाया था कि सदस्य जनता की राय के विरुद्ध कुछ विशेष जनों के दबाव से उचित कार्य नहीं करा पायेंगे। यही कहना अपमान है। माननीय सदस्यों की नीयत पर यह आक्षेप है। मेरा विश्वास है कि सदस्य व्यक्ति विशेष के प्रभाव में नहीं पड़ सकते हैं।

हमें प्रसन्नता है कि माननीय राजस्व मंत्री ने एक नया संशोधन हमारे संशोधन के प्रभाव के कारण नियम में लाने के लिये कहा है। आपने फरमाया कि सदस्यों का असेम्बली के कामों में अधिकार होना चाहिये, जुडीशियल कामों में नहीं होना चाहिये। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में यह बताया गया है कि प्रदेश के नियोजन के लिये यह आवश्यक है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में नियोजन के सम्बन्ध में जितनी कमेटियाँ बनी हैं उनमें गैर सरकारी आदमियों के रहने से फायदा होता है और आगे चल करके कोई झगड़े की गुञ्जाइश नहीं रहती है। इसलिये मैंने इस प्रस्ताव को रखा है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन को न मानना सारे सदन का अपमान है और मैं राजस्व मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वे हमारे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) के भाग (च) के बाद निम्नलिखित भाग (छ) व (ज) बढ़ा दिये जायं—

"(छ) ५ अन्य सदस्य, जिसमें २ जिले के विधान सभा के सदस्यों द्वारा ३ जिले के गाँव समाज के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होंगे।

(ज) २ सदस्य जो भाग (क) से (छ) तक के व्यक्तियों द्वारा कोआप्ट किये जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—१५

विपक्ष में—१२४,)

श्री उपाध्यक्ष ---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग बन जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ५ क

५ क-- (१) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि धारा ४ के अधीन स्वीकृत योजना को निष्पादित करे और अन्य उन कर्त्तव्यों का सम्पादन करे जो नियत किये जायं ।

(२) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी, उसके अधीनस्थ कर्मचारी, अधिकर्ता (agents) और कार्यकर्ता योजना तैयार करने के सम्बन्ध में किसी प्रयोजन से किसी भूमि पर प्रवेश कर सकते हैं, उसे नाप सकते हैं तथा तत्सम्बन्धी कोई कार्य कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ क इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ६

भूमि संरक्षण के उद्देश्य

६---किसी भी क्षेत्र में भूमि संरक्षण का कार्य निम्नलिखित दृष्टिकोणों से किया जायगा ---

(क) भूमि का कटाव रोकने के लिये,

(ख) जलवेष्टित क्षेत्रों का जल निष्कासन सुधारना,

(ग) भूमि को ऊसर होने से बचाने और ऊसर भूमि के उद्धार के लिये, और

(घ) बाढ़ रोकने के लिए ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि खंड ६ के उपखंड (ख) के अन्त में शब्द "सुधारना" के स्थान पर शब्द "सुधारने के लिये" रख दिये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (ख) के अन्त में शब्द "सुधारना" के स्थान पर शब्द "सुधारने के लिए" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री श्रीचन्द---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ६ के उपखंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (ङ) और (च) जोड़ दिये जायं :---

"(ङ) नीची अथवा ऊसर भूमि को नहरों द्वारा समतल करके उपजाऊ बनाना,

(च) नहर तथा सड़कों से बरसाती पानी रुकने पर उसकी निकासी की व्यवस्था करना"

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, प्रायः देखने में आता है कि ऊसर तथा नीची भूमि होने के कारण उपजाऊ भूमि का एक अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है और उससे बड़ा कष्ट तथा हानि किसानों को होती है । नहर विभाग से बहुत कुछ लिखापढ़ी करने के पश्चात् भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि नहरों द्वारा ये त्रुटियां दूर हों । प्रायः देखने में आता है

[श्री श्रीचन्द]

कि इनके होने से दो हानियाँ होती हैं। पहली यह है यदि किसी स्थान से नहर गयी हुई हो तो बरसाती पानी रुक जाता है और पानी निकालने के वे रास्ते जो बहुत छोटे होते हैं या किसी स्थान पर हैं ही नहीं प्रायः किसानों को उस नहर की पटरी को काटना पड़ता है जिससे काफी हानि तावान इत्यादि की उनको उठानी पड़ती है। नहर विभाग को तावान देना पड़ता है। इसका इन्तजाम होना नितान्त आवश्यक है। इसका इस विधेयक में आना आवश्यक है। इसका कुछ वर्णन दूसरे स्थान पर है लेकिन विशेष रूप से इसको यहां रख दिया जाय तो नहर विभाग से जो वैधानिक आपत्तियां होती हैं वे दूर हो जायंगी और इस प्रकार हजारों एकड़ भूमि उपजाऊ हो जायगी और जो भूमि पानी रुक जाने से बेकार हो जाती है वह बच जायगी। (च) में यह कहा गया है "नहर तथा सड़कों से बरसाती पानी रुकने पर उसकी निकासी की व्यवस्था करना।" बड़े बड़े पुल बना कर यह पानी निकाला जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस संशोधन को मानने की कृपा करेंगे। इसका कुछ वर्णन अनुसूची में है लेकिन वह स्पष्ट नहीं है।

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, धारा ६ में भूमि संरक्षण के डिटेल्स दिये हुए हैं--

"किसी भी क्षेत्र में भूमि संरक्षण का कार्य निम्नलिखित दृष्टिकोण से किया जायगा--

(क) भूमि का कटाव रोकने के लिये,

(ख) जलवेष्टित क्षेत्रों का जल निष्कासन सुधारना,

(ग) भूमि को ऊसर होने से बचाने और ऊसर भूमि के उद्धार के लिये, और

(घ) बाढ़ रोकने के लिये।

ये चार दृष्टिकोण हैं जो इसमें गिना दिये गये हैं। किस तरह से इनको किया जायगा इसका वर्णन अनुसूची में है। अब श्री श्रीचन्द जी का संशोधन यह है "नीची अथवा ऊसर भूमि को नहरों द्वारा समतल करके उपजाऊ बनाना"। इसमें यह नहीं है कि क्या तरीके इस्तेमाल किये जायं, केवल आब्जेक्ट क्या हैं वह बतला दिये गये हैं। मीन्स जो हैं वे अनुसूची में दिये हुए हैं। मसलन आपने कहा "नहर तथा सड़कों से बरसाती पानी रुकने पर उसकी निकासी की व्यवस्था करना"। यह तो अनुसूची में स्वयं ही दिया हुआ है पृष्ठ १३ पर कि जल निकालने के लिये "पुलियों तथा एक्वेडक्ट्स की संख्या बढ़ाना और रेलपथ, नहर अथवा सड़क के बांध के पास के वर्तमान पुलियों को चौड़ा करना।" यह सब इसमें दिया हुआ है। लिहाजा इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीचन्द--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, यह जो पहला खंड है इसका इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। इसमें मेरा तात्पर्य यह है कि जिस नहर के पास नीची भूमि है.....

श्री चरण सिंह--आपकी इजाजत से मैं कहना चाहता था कि उसमें समतल करना भी है, "लेविलिंग आफ दि लैन्ड।" इसमें चार जो भाग किये हुए हैं तो पहले भाग का पांचवां हिस्सा है, "समतल करना भूमि का"। अब आप कह रहे हैं कि नहरों के द्वारा समतल करके उपजाऊ करना। तो नहर का काम तो नहर वाले कर ही रहे हैं। समतल करने की बात अनुसूची में दी हुयी है। इसलिये वह अनावश्यक है।

श्री श्रीचन्द--दो मिनट में मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने देखा है कि जमुना की नहर के पास हजारों बीघा भूमि पड़ी हुयी है और उस नहर का पानी उस में चला दिया गया, उस क्षेत्रफल में जो एक-डेढ़ फर्लांग चौड़ा और दो-तीन मील लम्बा था, तो जब नहर का पानी चला तो रेत और मिट्टी उसमें भर गयी और उसकी वजह से

वह भूमि समतल हो गयी और उसमें खेती अच्छी होने लगी, जबकि वह पहले ऊसर भूमि थी। तो यहाँ, मेरा तात्पर्य यह है कि इस ढंग से समतल करने का कोई वर्णन नहीं है और अगर यह बात उस अनुसूची में भी आ जाती है तो वह अच्छा है, परन्तु मैं देखता हूं कि यह बात उसमें नहीं है। यदि मंत्री महोदय, इसमें किसी और रूप में भी इसे शामिल कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह नहरों के द्वारा भूमि समतल होने की बात मैंने तो कभी सुनी नहीं। उनके यहाँ, मुजफ्फरनगर में ऐसा हुआ होगा। खैर, नहर के द्वारा पटीला के द्वारा या बुलडोजर के द्वारा भूमि समतल की जाय, किसी तरह से भी की जाय वह मीन्स इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अनुसूची में कहीं नहीं है कि अगर नहर के द्वारा समतल हो सकती है तो न करायी जाय। जैसी आवश्यकता हो वैसे मीन्स इस्तेमाल किये जा सकते हैं। इसलिए मेरी राय में आप इसे वापस कर लें, कमरे में बात कर लेंगे।

श्री श्रीचन्द—मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

७—जिला समिति मंडल के पास जिले के उस क्षेत्र के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकती है, जिसमें भूमि संरक्षण का कार्य किया जायगा।

जिला में भूमि संरक्षण कार्य करने के निमित्त जिला समिति की सिफारिशें।

श्री रतन लाल जैन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं —

खंड ७ निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"७—जब जिला समिति आवश्यक समझे कि जिले अथवा उसके किसी भाग में भूमि संरक्षण का कार्य किया जावे अथवा भूमि संरक्षण कार्य होने वाला या हो रहा हो, मंडल के पास सिफारिश कर सकती है।"

जो शब्द इस समय इस धारा में हैं वह स्पष्ट नहीं हैं। वह शब्द इस तरह के हैं, "जिला समिति मंडल के पास जिले के उस क्षेत्र के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकती है, जिसमें भूमि संरक्षण का कार्य किया जायगा।" यानी उसी हालत में कर सकती है जब उस को यह निश्चय हो कि अमुक क्षेत्र में कार्य किया जायगा। यानी इसका अर्थ यह निकलता है कि पहले निश्चय हो चुका है मंडल के द्वारा या किसी तरह से कि वहां पर संरक्षण का कार्य हो जाय तभी सिफारिश कर सकती है। जब कि धारा ८ में यह दिया हुआ है कि वह तभी सिफारिश कर सकती है जब नया कार्य करना चाहे। तो इसीलिए यह जो धारा ७ मौजूद है यह बड़ी मुहमिल है और स्पष्ट नहीं है। भूमि संरक्षण समिति उस समय सिफारिश कर सकती है कि या तो वह नया कार्य ले या जहाँ पर नया कार्य होने वाला हो। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को पसन्द करेंगे। पहले जो भाषा अस्पष्ट थी उसको ही स्पष्ट किया गया है। जायगा जो शब्द है उससे यहां पर बड़ी गड़बड़ पड़ जायगी।

(इस समय ४ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री चरण सिंह--मैं तो अपने मित्रों से कहूंगा कि 'जायगा' की जगह पर अगर "जाय" रहे तो ज्यादा ठीक होगा। हम तो जहां पर ऐक्ट लागू करेंगे वहां पर स्वायल कंजर्वेशन कमेटी बनायी जायगी उसका काम यह होगा कि जिले के किस हिस्से में काम शुरू किया जाय। उसके सामने यह प्रश्न नहीं उठेगा कि उसकी रजामंदी पर यह बात रहे। वह तो एरिया की बात ही बतलायेगी कि किस एरिया में शुरू हो। न कि यह आवश्यक समझा जाय कि अगर वह आवश्यक समझे तो करे और अगर न समझे तो न करे। इसलिये मैंने कहा कि "जाय" उस "जायगा" के स्थान पर रख दिया जाय तो ठीक रहेगा। उसमें से "गा" निकाल दिया जाय।

श्री बलवन्त सिंह--अध्यक्ष महोदय, इसी "जायगा" शब्द पर मेरा भी एक संशोधन है उसको भी साथ ले लिया जाय तो अच्छा है। वह नम्बर ३३ पर है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह श्री रतनलाल जी का संशोधन समाप्त होने के बाद आप पेश कर दें। उसके सिलसिले में अगर "जायगा" की जगह "जाय" हो जायगा तो फिर आपको चेन्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री रतन लाल जैन--मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री बलवन्त सिंह--मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड ७ की दूसरी पंक्ति में शब्द 'जायगा' के स्थान पर शब्द "किया जाना उचित हो" रख दिये जायं और इसके बाद शब्द "और इसके साथ ही अपनी योजना तथा तत्सम्बन्धी अपने प्रस्तावक भूमापन और तथ्य भी भेज देगी" रख दिये जायं। अब इन शब्दों से ऐसा हो जायगा कि "जिला समिति मंडल के पास जिले के उस क्षेत्र के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकती है जिसमें भूमि संरक्षण कार्य किया जाना आवश्यक हो"। तो अगर इसमें यह शब्द रख दिये जायं तो इससे यह भाषा ठीक होती है और इसका तात्पर्य भी साफ हो जाता है। इसके साथ ही मेरा दूसरा संशोधन है वह भी मैं पढ़ देता हूं कि "और इसके साथ ही अपनी योजना तथा तत्सम्बन्धी अपने प्रस्तावक भूमापन और तथ्य भी भेज देगी"। तो यह जो बाद में बात रखी गयी है उससे यह बात होगी कि जिला समिति उस भूमि संरक्षण की जो योजना होगी और तत्सम्बन्ध के जो तथ्य होंगे वह उसकी बाबत उस मंडल के पास भेज देगी। इसमें मैंने यह रखा है कि सिफारिश के साथ योजना और तथ्य भी भेजे। वह आंकड़े इत्यादि भेजेगी जिससे प्रांतीय बोर्ड को समझने में आसानी होगी कि क्या खर्चा वगैरह होगा। मुझे आशा है कि माननीय राजस्व मंत्री जी मेरे इन दो संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--जरा मंत्री महोदय इसका उद्देश्य, इस खंड का, स्पष्ट कर दें।

श्री चरण सिंह--सिफारिश वह महज उस क्षेत्र की बाबत करेगी जिसका उसकी राय में स्वायल कन्जर्वेशन होना चाहिये। मंशा यही है और मैं आपकी इमदाद चाहता हूं कि जो आप मुनासिब समझें वह कर दें। जो कानों को अच्छा लगता हो वह कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--अंग्रेजी में इस तरह से है।

"The Ditstrict Committee may make a recommendation to the Board as to the area of the district in which Soil Conservation shall be taken up."

श्री चरण सिंह--"शैल" का शुड" से मतलब है।

श्री अध्यक्ष--जिला समिति उस क्षेत्र के सिलसिले में सिफारिश कर सकती है जिसमें भूमि संरक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जाना उचित समझती है। यही बात है?

श्री चरण सिंह--जी हाँ। यदि माननीय बलवन्त सिंह राजी हो जावें तो बाद में ठीक शब्दावली रख दें।

श्री बलवन्त सिंह--मैं समझता हूं कि "किया जाना आवश्यक हो" या कोई ऐसे शब्द रख लिये जावें। मुझे शब्दों से कोई दिक्कत नहीं है।

श्री चरण सिंह--यह इस प्रकार से ठीक रहेगा --

"जिला समिति मंडल के पास जिले के उस क्षेत्र के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकती है, जिसमें भूमि का कार्य संरक्षण किया जाना उचित हो"।

श्री बलवन्त सिंह--यह मुझे स्वीकार है।

श्री चरण सिंह--श्री बलवन्त सिंह का बाद वाला संशोधन मुझे बिलकुल मंजूर नहीं है क्योंकि इसकी जो डिटेल्स हैं वे सब धारा १० में आ गयी हैं इसलिये इसकी जरूरत नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह--मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन का दूसरा हिस्सा वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ की दूसरी पंक्ति में शब्द "जायगा" के स्थान पर शब्द "किया जाना उचित हो" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

मंडल का परामर्श

८--जब मंडल को जिला समिति की सिफारिश पर अथवा अन्यथा यह संतोष हो कि जिला या उसके किसी भाग में भूमि संरक्षण करना आवश्यक है तो वह राज्य सरकार को निम्नलिखित के विषय में परामर्श और आख्या (report) दे सकता है--

(क) जिला अथवा उसके भाग में किया जाने वाला भूमि संरक्षण, और

(ख) मंडल द्वारा राज्य सरकार को भेजी गयी आख्या में वर्णित प्रयोजनों के दृष्टिकोण से जिला समिति द्वारा योजना तैयार करवाना।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

तथ्यों के संकलन और योजना के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश।

९--राज्य सरकार, यदि वह आख्या स्वीकार कर ले तो:--

(क) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी को आदेश दे सकती है कि वह जिला समिति द्वारा जिला अथवा उसके किसी निर्दिष्ट भाग के लिये भूमि संरक्षण योजना की तैयारी के लिये भूमापन (Survey) करे, तथ्य (Data) एकत्रित करे और प्रस्ताव (Proposals) तैयार करे,

(ख) जिला समिति को आदेश दे सकती है कि खंड (क) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंडल द्वारा राज्य सरकार को धारा ८ के अधीन भेजी गयी आख्या में वर्णित प्रयोजनों के निमित्त, वह योजना तैयार करे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ में शब्द 'कि'' और शब्द 'खंड' के बीच में शब्द 'वह' बढ़ा दिया जाय और पंक्ति ३ का शब्द 'वह' निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, यह सिर्फ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का फर्क है और कोई तब्दीली इससे नहीं होती।

श्री चरण सिंह--यह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है खंड ९ के उपखंड (ख) की पंक्ति १ में शब्द "कि" और शब्द "खंड" के बीच में शब्द "वह" बढ़ा दिया जाय और पंक्ति ३ का शब्द "वह" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १० तथा ११

जिला योजना का निर्माण

१०--(१) धारा ९ के अधीन माँग (requisition) की प्राप्ति पर जिला समिति जिले अथवा उसके किसी भाग के निमित्त, जैसी भी दशा हो, मंडल की आख्या में वर्णित आदेश के अनुसार एक भूमि संरक्षण योजना (जिसे आगे चलकर योजना कहा गया है) बनायेगी।

(२) योजना नियत आकार में तैयार की जायगी जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :—

(क) योजना के अन्तर्गत क्षेत्र की आयति और ब्यौरे,

(ख) अनुसूची में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में की जाने वाली व्यवस्था के ब्यौरे,

(ग) योजना के निष्पादन का कार्यक्रम,

(घ) योजना के निष्पादन के उपाय और साधन, और

(ङ) योजना के सम्बन्ध में, लाभार्थी को, यदि कोई हो, दिये जाने वाले अधिकार, तथा योजना के सम्पादन और पूर्ति और तदन्तर्गत निर्माण कार्यों के रखरखाव के सम्बन्ध में उन पर लगाये गये दायित्व, यदि कोई हों, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा देय प्रभार भी, यदि कोई हों, हैं।

योजना मंडल के पास प्रस्तुत की जायगी।

११-(१) धारा १० के अधीन निर्मित योजना कलेक्टर द्वारा राज्य सरकार के पास भेजी जायगी जो उसे विचार के लिये मंडल के समक्ष रखेगी।

(२) मंडल के समक्ष योजना प्रस्तुत किये जाने के बाद वह उस पर यथाशीघ्र विचार करेगा और उसे या तो सपरिष्कार अथवा बिना परिष्कार किये, स्वीकार कर लेगा अथवा अस्वीकार कर देगा।

(३) मंडल द्वारा योजना अस्वीकार हो जाने पर राज्य सरकार जिला समिति को तदनुसार सूचित करेगी और जिला समिति उस पर आगे कार्यवाही न करेगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० और ११ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

आख्या का आपत्तियों के लिये प्रकाशन।

१२--(१) यदि योजना मंडल द्वारा धारा ११ के अधीन स्वीकृत हो जाय तो वह राज्य सरकार के पास भेज दी जायगी और जो उसे कलेक्टर के पास जिले में नियत रीति से प्रकाशनार्थ भेज देगी।

(२) कोई भी व्यक्ति, जिस पर योजना का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, प्रकाशन से छः सप्ताह के भीतर जिला भूमि संरक्षण अधिकारी के पास नियत रीति से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ की पंक्ति २ में से शब्द "और" निकाल दिया जाय। यह रिडेंडेंट सा है।

श्री चरण सिंह--मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ की पंक्ति २ में से शब्द "और" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

आपत्तियों का निस्तारण।

१३--(१) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी जब तक कि वह उन कारणों से जिन्हें अभिलिखित करेगा ऐसा करना अनावश्यक न समझता हो, धारा १२ के अधीन प्रस्तुत आपत्तियों की सुनवाई करेगा, और उन्हें नियत रीति से निस्तारित करेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन जिला भूमि संरक्षण अधिकारी की आज्ञा से विक्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा के दिनांक से ३० दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है जिसका कि अपील में निर्णय अंतिम होगा। उस आज्ञा की प्रतिलिपि प्राप्त होने में व्यतीत अवधि उपर्युक्त ३० दिन की अवधि में सम्मिलित नहीं की जायगी।

(३) यदि धारा १२ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्ति न प्रस्तुत की जाय अथवा ऐसी आपत्तियाँ प्रस्तुत की जायं और उपधारा (१) और (२) के अधीन निस्तारित कर दी गयी हों तो कलेक्टर ऐसे परिष्कार और परिवर्तन करने के बाद जो तद्नुसार आवश्यक हों, योजना को उस पर प्रस्तुत और निस्तारित आपत्तियों की आख्या सहित राज्य सरकार के पास भेज देगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "जिन्हें" के बाद शब्द "वह" बढ़ा दिया जाय ।

श्री चरण सिंह--मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "जिन्हें" के बाद शब्द "वह" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

योजना की पुष्टि।

१४--धारा १३ के अधीन योजना और आख्या के प्रस्ताव होने पर राज्य सरकार मंडल के परामर्श से सपरिष्कार और अथवा बिना परिष्कार किये योजना को पुष्ट (Confirm) कर सकती है और उसे सरकारी गजट में और सम्बद्ध जिले में प्रकाशित करा सकती है।

ऐसे प्रकाशन के पश्चात् योजना अन्तिम हो जायगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १५

योजना का निष्पादन

योजना प्रचलित होने का दिनांक।

१५--योजना ऐसे दिनांक को प्रचलित होगी जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत किया गया।)

खण्ड १६

योजना के अन्तर्गत व्यापारों को कार्यान्वित करने का अधिकार।

१६--धारा १४ के अधीन सरकारी गजट में योजना के प्रकाशन में ३० दिन के पश्चात् जिला भूमि संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों तथा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत श्रमिकों के लिये वह वैध होगा कि वह--

(क) ऐसे क्षेत्र की किसी भूमि में जिस पर योजना प्रवृत्त हो, प्रवेश करें, उसकी माप करें और उसका समतल लें (टेक लेवल),

(ख) ऐसे भूमि को खोदें या उसके अन्तस्तल (सब-स्वायल) बेधन (बोर) करें,

(ग) निर्माण खड़ा करें, बन्ध निर्मित करें और ऐसे सब कार्य करें जो योजना के निष्पादन के तथा तदन्तर्गत निर्माण कार्यों के रखरखाव के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं कि खंड १६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्तियों को जिनकी संपत्ति स्थायी रूप से भूमि संरक्षण योजना के कारण समाप्त हो जाय, ऐसा उचित प्रतिकर जो नियत किया जाय दिया जावेगा।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस खंड में यह प्रतिबन्ध बढ़ाया गया है वह १६ है जो इस प्रकार है—

"धारा १४ के अधीन सरकारी गजट में योजना के प्रकाशन से ३० दिन के पश्चात् जिला भूमि संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों तथा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत श्रमिकों के लिये यह वैध होगा कि वह—

(क) ऐसे क्षेत्र की किसी भूमि में जिस पर योजना प्रवृत्त हो, प्रवेश करें, उसकी माप करें और उसका समतल लें (टेक लेवल),

(ख) ऐसी भूमि को खोदें या उसके अन्तस्तल (सब स्वायल) बेधन (बोर) करें,

(ग) निर्माण खड़ा करें, बन्ध निर्मित करें और ऐसे सब कार्य करें जो योजना के निष्पादन के तथा तदन्तर्गत निर्माणकार्यों के रखरखाव के प्रयोजनों के लिये आवश्यक हों।"

यह धारा स्वयं स्पष्ट है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें किसी व्यक्ति की सम्पत्ति बाग हो या भूमि अस्थायी रूप से इस योजना में सम्मिलित हो जायगी और उसके पास कुछ न रहेगा। इसलिये मैंने इस संशोधन के द्वारा यह सिफारिश की है कि उसको मुनासिब मुआवजा जो राज्य सरकार के नियमों द्वारा उचित हो दिया जाय। मेरा संशोधन बहुत साफ है और मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी को इसे स्वीकार करने में दिक्कत न होगी।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, किसी की जायदाद बिल्कुल नष्ट हो जाय ऐसी तो इसमें आशंका नहीं है। इसमें ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि इस तरह जोतो, इस तरह बोओ, इस तरह से मेड़ बांधो और इस तरह से दरख्त लगाओ लेकिन जायदाद किसी की नष्ट नहीं होगी। हां, अगर किसी की जायदाद ऐक्वायर ही करनी पड़े तो वह लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार होगी और उसको मुआविजा देगी। लिहाजा यह सवाल उठता नहीं और इसके अतिरिक्त यह धारा १६ जो है उसमें स्वायल कंजरवेशन आफिसर को क्या अख्तियारात होंगे, उनके मातहत जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके अधिकारों का इसमें जिक्र है। १६ में तो ऐसी कोई चीज वैसे लगती नहीं कि जायदाद खत्म हो जाय तो मुआविजा दो। खत्म क्यों होगी, अव्वल तो उसका सवाल ही नहीं उठता है तो कैसे इसमें यह बात आयेगी यह सोचने की बात है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—माननीय राजस्व मंत्री ने परस्पर दो विरोधी बातें कह दीं। एक तो यह कि आवश्यकता होगी कि जायदाद ऐक्वायर की जाय तो दूसरे नियम हैं और दूसरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वह तो खुद ही अपनी जगह पर निश्चित नहीं हैं। ऐसी अवस्था आ सकती है उसके लिये यह निर्दोष सा संशोधन है। मैं नहीं समझा कि उनको इसे स्वीकार करने में क्या एतराज है।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, बस समझ का ही फेर है और कोई बात इसमें नहीं है। मैंने कहा था कि नष्ट नहीं होगी। हो सकता है कि ऐक्वायर करने की जरूरत हो तो गवर्नमेंट एक्वायर करेगी लेकिन उससे नष्ट होने का सवाल नहीं उठता। ऐक्वीजीशन और डिस्ट्रक्शन में जमीन आसमान का अन्तर है, कई गज का अन्तर तो है ही।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय ?

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सम्पत्ति स्थायी रूप से भूमि संरक्षण योजना के कारण समाप्त हो जाय ऐसा उचित प्रतिकर जो नियत किया जाय दिया जावेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७

कार्य-सम्पादन के आदेश।

१७--(१) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी नोटिस दे कर किसी लाभार्थी को आदेश दे सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट किसी निर्माण कार्य को उसमें बतायी गयी रीति से और अवधि के भीतर अपनी लागत से बनवाये।

(२) यदि ऐसा लाभार्थी उपधारा (१) के अधीन नोटिस के अनुसार आदिष्ट कार्य नहीं करता है अथवा उसे करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है अथवा जिला भूमि संरक्षण अधिकारी ऐसा समझता है कि लाभार्थी ऐसा नहीं करना चाहता है तो जिला भूमि संरक्षण अधिकारी वह कार्य स्वयं करवा देगा और उसकी लागत को सम्बद्ध लाभार्थी से नियत रीति से वसूल कर लेगा।

राजा वीरेन्द्र शाह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (१) की पंक्ति २ तथा ३ के शब्द "उसमें बताई गई रीति से और" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, इस धारा को मैं पढ़ कर सुना देना चाहता हूं :--

"१७--(१) जिला भूमि संरक्षण अधिकारी नोटिस दे कर किसी लाभार्थी को आदेश दे सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट किसी निर्माण कार्य को उसमें बतायी गयी रीति से.....

तो "बताई गई रीति से" का अर्थ होगा जैसा बताया जावे उस तरीके से करे। सरकार को तो अपने उद्देश्य से मतलब है। "बताई गई रीति" खर्चीली भी हो सकती है और मुमकिन कि उसमें ज्यादा रुपया लग जाय और खर्चा अधिक हो। सरकार को तो इससे मतलब है कि उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिये और "बताई गई रीति" को निकाल देने से भी अगर यह आवश्यक कर्तव्य समय के अन्दर पूरा हो जाता है तो बताई गई रीति को रखना अनावश्यक है। मैं समझता हूं कि उससे नुक्सान भी होगा और इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार उसको स्वीकार कर लेगी।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, रीति के ऊपर तो बहुत कुछ अवलम्बित है। अगर कोई आदमी दवा ले आये और इधर-उधर कर के खाले तो उससे नुक्सान हो सकता है। इसी लिये हकीम से पूछा जाता है कि नुस्खा क्या है, किस तरह से खाई जायगी, कब खाई जायगी, तब जा कर के नफा होता है। डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंतजरवेशन आफिसर बतायेगा, नोटिस देगा कि इस प्रकार जोतो, इस प्रकार बोओ, तब ज्यादा पैदावार होगी और तब खेत काटने से बचेगा तो मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "लागत" के बाद शब्द "जो अन्तिम योजना में निर्दिष्ट था" बढ़ा दिये जायं ।

यह संशोधन अगर स्वीकृत होगा तो यह खंड १७ उपखंड (१) इस प्रकार पढ़ा जायगा कि "जिला भूमि संरक्षण अधिकारी नोटिस दे कर किसी लाभार्थी को आदेश दे सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट किसी निर्माण कार्य को उसमें बतायी गयी रीति से और अवधि के भीतर अपनी लागत जो अन्तिम योजना में निर्दिष्ट था से बनवाये ।"

श्री अध्यक्ष—इसकी भाषा का कोई अर्थ तो निकलता नहीं ।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—इसकी भाषा से यह अर्थ निकलता है कि जो यह कहा जायगा कि इतनी कास्ट से, इतनी लागत से, इतने धन से इस कार्य को करो, इसके लिये ऐसा नहीं होना चाहिये कि अधिकारी मनमाने तौर पर यह कह दे कि इतना कार्य करना है, इतनी लागत लगाना है । वह तो उतना ही होना चाहिये.....

श्री अध्यक्ष—आप ने जो यह रखा है "जो अन्तिम योजना से निर्दिष्ट था" यह कार्य के लिये है ?

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—यह लागत के लिये है ।

श्री चरण सिंह—योजना में लागत का जिक्र ही नहीं है । आप जो लागत के बाद रखे रहे हैं "जो अन्तिम योजना में निर्दिष्ट था" यह "लागत" को गवर्न करता है । हम तो यह कहेंगे कि फलां काम करो और इस तरह करो, इसमें "कास्ट" की क्या बात है ।

श्री अध्यक्ष—जो अन्तिम योजना में निर्दिष्ट "था" या 'थी' है ?

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—'थी' चाहिये । इसमें शब्द 'थी' होना चाहिये । मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि जब किसी को ऐसी नोटिस दी जायगी तो यह भी हो सकता है कि वह उस कार्य को करने में असमर्थ हो, उसके पास उतनी कास्ट न हो, वह उतना धन व्यय न कर सकता हो । यहाँ पर यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह नोटिस दे सकते हैं । जो योजना बनती है उसमें यह भी होता है कि कौन-कौन सा कार्य होना है । और कितना भार पड़ेगा, कितना खर्चा पड़ेगा, कितनी लायबिलिटी होगी यह सब विवरण दिया जाता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि असल में जो नोटिस दिया जाय वह जो लायबिलिटी रखी गयी है उसी के अनुसार हो । ऐसा न हो कि वह मनमाने तरीके से नोटिस दे दे और फिर अधिकारी दे दे तो फिर वह मजबूर हो जाता है चाहे कितने ही कास्ट आये उसे करना आवश्यक हो जाता है । इसलिये इसकी रोकथाम होनी चाहिये । इसलिये मैंने लिखा है कि जो लायबिलिटी रखी गई है उसी के भीतर होनी चाहिये ।

श्री चरण सिंह—जो प्लान है, उसमें जो लागत है उसी के मुताबिक तो वह नोटिस देगा । प्लान वही कहलायेगी जो अन्तिम रूप से तय होगी । प्रिलीमिनरी, इंटरमीडियरी और फाइनल प्लान वगैरा ऐसी बात नहीं होगी । उसी के मुताबिक नोटिस दिया जायगा । अंतिम रूप से या प्रारम्भिक रूप से वह निर्दिष्ट था उसका सवाल नहीं उठता है । जो प्लान है उसी के मुताबिक नोटिस दिया जायगा ।

श्री राजनारायण---इस सम्बन्ध में मुझे एक शंका है। जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसकी मंशा को मैं साफ करना चाहता हूं। वह योजना में जो पहले निर्दिष्ट है यह स्पष्ट नहीं है कि क्या लागत योजना में निर्दिष्ट थी। इसका दूसरा अंश है अगर उनको देखते हैं तो यह है कि यदि वह व्यक्ति अपनी असमर्थता प्रकट करे तो जिला अधिकारी उसे बनवा देगा। मैं चाहता हूं कि राजस्व मंत्री उसको कबूल करें इसमें कहीं ऐसा संशोधन करें कि अगर वह लाभार्थी रुपये की कमी से न बनवा सकता हो और रुपया मांगता हो तो उसको रुपया दिया जाय। ऐसा न करें कि अपने से ही वह बनवाना शुरू कर दें। क्योंकि उसके बनवाने और लाभार्थी के बनवाने में बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं यह चाहता हूं जैसे कि हम लाभार्थी हैं और हम बनवाना चाहते हैं लेकिन हमारे पास रुपया नहीं है तो हमको रुपया डिपार्टमेंट से दिया जाय या कमेटी से दिया जाय और हम बनवायेंगे और उसी रीति से बनवायेंगे जो आपने बताई है और हम रुपया खर्च करेंगे। हमारे बनवाने से कम रुपया खर्च होगा और सरकारी अधिकारी अगर बनवायेंगे तो ज्यादा रुपया खर्च होगा। इसलिये हम चाहते हैं कि मंत्री जी गुंजायश कर दें कि अगर हम बनवाना चाहते हैं और हमारे पास रुपया नहीं है और उसके लिये सरकार के सामने कहें तो हमको रुपया दे दिया जाय और हम कमेटी के अनुसार व्यवस्था कर देंगे।

श्री अध्यक्ष---यह जब दूसरा खंड आयेगा तब देखेंगे। यह खंड १७ के उपखंड (२) के सम्बन्ध में आप कह रहे हैं।

श्री राजनारायण---जी हां, मैंने दोनों को एक साथ मिला कर कह दिया है।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा---मैंने जो बात अभी कही थी माननीय मंत्री जी ने भी उसका स्पष्टीकरण किया कि जो अंतिम योजना में जो विवरण दिया जायगा तो उसमें कितना धन लगना है उसी के अनुसार नोटिस दिया जायगा। तो मैंने सिर्फ स्पष्टीकरण कर दिया था कि उसी के अनुसार हो जो इसमें लिखा हुआ है कि जो योजना तैयार की गयी है। उसमें व्यय करने के लिये जितनी लायबिलिटी रखी गयी है उसी के अधीन हो, उससे ज्यादा न हो। कोई अपनी मनमानी बात न करे। मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार करने में मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष---तो आप इसको प्रेस कर रहे हैं, या वापस ले रहे हैं?

श्री चरण सिंह---मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह गैर जरूरी है बिलकुल। जहां तक लागत की बात है उसमें थोड़ा सा भ्रम हो रहा है। यहां तो यह है कि अपनी कास्ट पर। वह तो उस प्लान में दी हुई ही नहीं होगी। प्लान में तो देय का जिक्र है। गवर्नमेंट जो बनवाये तो उसका काम क्या होगा और लाभार्थी को क्या देना पड़ेगा। तो वह चीज पैदा नहीं होती।

माननीय राजनारायण जी का जवाब मैं बाद में दूंगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि तकावी दे दे गवर्नमेंट और वह अपने खर्च से बनवा लें। आप का ख्याल यह है कि गवर्नमेंट के खर्चे से वह काम होगा, तो लैंड इम्प्रूवमेंट के लिये तक़ावी ऐक्ट बना ही हुआ है। १८८२, ८३, ८४ के जो भी ऐक्ट हैं उनके मुताबिक़ तक़ावी मिल सकती है लेकिन तक़ावी को इसमें डालना तो बेकार है।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा---मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री श्रीचन्द—मैं आपकी आज्ञा से इस प्रकार से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं —

खंड १७ के उपखंड (१) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "अपनी लागत से बनवाये" निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर ये शब्द रख दिये जायं "सफल बनाने के लिये उचित आर्थिक सहायता अथवा श्रमिक सहायता करेगा"।

इन शब्दों को निकालने से खंड १७ का उपखंड इस प्रकार से हो जायगा—

"जिला भूमि संरक्षण अधिकारी नोटिस दे कर किसी लाभार्थी को आदेश दे सकता है कि वह नोटिस में निर्दिष्ट किसी निर्माण कार्य को उसमें बताई हुई रीति से और अवधि के भीतर सफल बनाने के लिये उचित आर्थिक सहायता अथवा श्रमिक सहायता करेगा"।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इसमें जो शब्द लिखे गये हैं कि "अपनी लागत से बनवायेगा" इसमें मुझे कुछ संदेह होता है और किसान वर्ग पर एक बड़ा भारी बोझ पड़ सकता है। अनेकों कार्य ऐसे हो सकते हैं जिन को लाभार्थी अकेला सहन नहीं कर सकता। कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं कि अनेकों किसान भी हों, उनके बोझ को वे सहन कर न सकेंगे, अतः यह परमावश्यक है कि जहां इस प्रकार के कार्य हों, कुछ तो सहायता उनकी (सरकार) ओर से हो और यदि वे आर्थिक सहायता न दे सकते हों तो उसके पूरा करने में जो श्रम करें, श्रमिक सहायता से उसको पूरा करें।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लाभार्थी अपनी लागत से बंधी वगैरह बनवायेगा। आपका संशोधन यह है कि अपनी लागत से न बनवाये बल्कि उचित सहायता करे, आर्थिक या श्रमिक। लेकिन अनुसूची में जो काम दिये गये हैं उसमें ऐसा काम नहीं है कि आर्थिक सहायता करे क्योंकि बंधियां बनाना, मेंड़ों का बनाना ऐसे काम हैं जो अपने श्रम से करे या कुछ पैसा लगा कर करे। इसलिये यह संशोधन अनावश्यक सा है। जो कुछ काम अनुसूची में दिये गये हैं, उनको अपनी लागत से बनवा दे। यही उचित है अतः संशोधन अस्वीकार है।

श्री श्री चन्द—मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शनिवार, २० फरवरी, १९५४ को सदन की बैठक करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—अब इसके बाद माननीय राजस्व मंत्री यह चाहते हैं, नेता सदन मौजूद ही हैं कि आठवां आइटम ले लिया जाय, क्योंकि यह विधेयक तो आगे चलेगा ही। तो माननीय नेता सदन या राजस्व मंत्री जो भी चाहें, वे पेश कर दें।

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—मैं यह प्रस्ताव करना चाहता था कि कल जो नान-आफीशियल बिजनेस है अगर उसके पूरा करने के बाद समय रहे तो आज का जो बिजनेस बाक़ी रह जाय वह पांच बजे तक ले लिया जाय और अगर समय न रहे तो न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो सदन का सेंस यही है?

(सदन की ओर से इसकी स्वीकृति दी गयी।)

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जो दूसरा सुझाव करना चाहता था उसका मैंने पहले भी इशारा किया था। परसों शनिवार को बजट पेश हो जाय उसके अलावा और कोई कार्यवाही न हो। यह बजट पेश हो जाय ताकि शनिवार और इतवार को मेम्बर लोग उसको देख सकें।

श्री अध्यक्ष—यह तो प्रस्ताव है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—वह सारा पढ़ने के बदले मैं कहे दे रहा हूं। इसकी रजामन्दी मिल जाय तो फिर पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं पढ़ दूंगा और यह मान लिया जायगा कि पढ़ा गया। वोट लेते समय मैं पढ़ दूंगा।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—दूसरी बात यह है कि इस बिल को पांच बजे के बाद चाहते हैं कि आगे न हो या पूरा हो जाय। थोड़ा सा रह गया है, जैसा उचित समझें वैसा किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आज नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—कल या शनिवार को बजट के बाद कर देंगे।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—तो क्या कहा आपने?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—कल अगर वक्त बच जायगा तो कल यह ले लिया जायगा नहीं तो शनिवार को बजट प्रेजेन्टेशन के बाद जो थोड़ा समय बचता है उस वक्त इसको ले लिया जायगा।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—ठीक है।

श्री अध्यक्ष—मैं प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—वह तो शाब्दिक बात है। आज ५ बजे सदन उठ जायगा। कल नान-आफिशियल बिजनेस के बाद टाइम बचा तो आफिशियल बिजनेस हो जायगा। परसों बजट पेश होगा और अगर कल इसका नम्बर नहीं आया तो फिर बजट के बाद इसको ले लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—संकल्प यह है कि—

"उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली (दि रूल्स आफ प्रोसीजर आफ दि यू० पी० लेजिस्लेटिव असेम्बली) के नियम ११ के उपनियम (२) के अनुसार सदन की बैठक शनिवार को नहीं होती है। तथापि १९५४–५५ के आयव्ययक तथा तत्सम्बन्धी विधेयक के ३१ मार्च, १९५४ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियमित समय पर २० फरवरी, १९५४ ई० को भी, जो शनिवार है, होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक चिकित्सा की प्रबंधकारिणी समिति के लिए एक सदस्य तथा रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं दो एक सूचनायें देना चाहता हूं—

बुन्देलखंड आयुर्वेदिक चिकित्सा की प्रबन्धकारिणी समिति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन के लिये श्री दीनदयालु शास्त्री और जोरावर वर्मा के नामांकन पत्र प्राप्त हुये हैं। २३ फरवरी, १९५४ को ३ बजे अपराह्न तक नाम वापस लेने का अन्तिम समय है। अगर उस समय के भीतर नाम वापस नहीं लिया गया तो निर्वाचन के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये चार सदस्यों के चुनाव के लिये नामांकन पत्र प्राप्त हुये हैं—

श्री फूल सिंह, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री गंगा सिंह, श्री वीरेन्द्र शाह, श्री जोरावर वर्मा।

इसमें भी २३ फरवरी, १९५४ को तीन बजे अपराह्न तक नाम वापस लेने का अन्तिम समय है। यदि इस समय के भीतर नाम वापस न लिया गया तो निर्वाचन के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ फ़रवरी, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१५पर)

सामूहिक विकास योजना के सम्बन्ध में अमरीका को आर्डर दिये गये हुये सामान की सूची

नाम सामान	संख्या	मूल्य रुपये में (लगभग)
स्टेशन वैगन	१ ..	११,५००
जीप	४५ ..	४,२६,४२०
पिक अप	५ ..	८५,५६०
ट्रक	६ ..	१,५३,६१५
	योग	६,७७,०९५
बोरिंग रिग्स .. (एयर कम्प्रेसर इत्यादि के साथ)	५ ..	१०,००,०००
बोर होल पम्प	१०० ..	३,७१,५००
पावर स्प्रेयर	९ ..	३७,८००
	योग	१४,०९,३००
माइक्रासकोप	१८ ..	३८,७९०
रेफ्रिजरेटर	१७ ..	२४,९७५
आर्टिफिशल इन्सेमिनेशन सेट	१५ ..	२५,१२५
	योग	८८,८९०
एपिडास्कोप	४ ..	१९,०५२
टेप रिकार्डर	२ ..	६,५१२
कैमरा	२३ ..	३७,१४५
प्रोजेक्टर	२३ ..	१,१८,८६४
फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर	२३ ..	२७,५३१
मोबाइल सिनेमा वैन	१ ..	३९,८३७
		२,४७,९४१
	पूर्ण योग ..	२४,२३,२२६

अमर पदुम विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१७ पर)

प्रश्न संख्या ११ में वर्णित सूची (१)—

विलीन काशी राज्य की तरफ से वहां के पहाड़ी इलाके के निवासियों को निम्नलिखित सुविधायें जंगल के सामानों के लेने में प्राप्त थीं :—

(क) खेतों में मचान बनाने के लिये लकड़ी निःशुल्क।

(ख) कुओं से पानी निकालने के लिये लकड़ी के खम्भे निःशुल्क।

(ग) मढ़ई बनाने के लिये और कृषि के सामान, जैसे हल, जुआ, परिहत, हरिश हेंगा इत्यादि के लिये लकड़ी निःशुल्क।

(घ) वन के समीपवर्ती ग्राम निवासियों को अपने मवेशियों के लिये अथवा अपनी मढ़ई बनाने के लिये घास या पत्तियां निःशुल्क।

(च) निजी इस्तेमाल के लिये सर बोझ जलाव लकड़ी निःशुल्क।

(छ) खेतों के घोरान के लिये जंगल से कांटे व कांटेदार झाड़ियां निःशुल्क।

(ज) मकान बनाने के लिये इमारती लकड़ी आधे शेड्यूल रेट पर।

(झ) जले हुये मकानों को फिर से बनाने के लिये तथा बाढ़पीड़ितों को और दीन जनता को मकान बनाने के लिये लकड़ियां निःशुल्क।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१८ पर)

प्रश्न संख्या १३ में वर्णित सूची (२)—

तहसील चकिया, जिला बनारस के जंगलों में निम्नलिखित डेवलपमेंट का काम विलय के बाद अर्थात् पिछले चार वर्षों में किया जा चुका है और भविष्य के लिये भी इन कामों को जारी करने की योजना बन चुकी है :—

(१) ३२० एकड़ भूमि में नये जंगल सागौन इत्यादि के लगाये जा चुके हैं।

(२) पलास के १२,५०० वृक्षों में लाह (lac) की खेती की जा रही है।

(३) कुल जंगलों की हदबन्दी (demarcation) का काम जारी है।

(४) इन जंगलों को वैज्ञानिक रीति से चलाने के लिये एक १० वर्षीय योजना बना ली गई है।

(५) वन विभाग का पूर्ण Reorganisation अन्य उत्तर प्रदेश जंगलात डिवीजनों की भांति की जा चुकी है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१३५ एस० ए०—१९५४—८५०।